हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 मार्च, 2016 (प्रथम बैठक)

खण्ड-1, अंक-4

अधिकृत विवरण

वीरवार, 17 मार्च, 2016

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4) 1
नियम 45(1) के तहत सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4) 22
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4) 28
सदन की बैठकों/कार्यक्रम में परिवर्तन	(4) 37
स्थगन प्रस्ताव की सूचना	(4) 37
नवीनीकरण किये गये एम.एल.एज. होस्टल, सैक्टर-3, चण्डीगढ़ में मोबाइल नैटवर्किंग की समस्या से संबंधित मामला उठाना	(4) 39
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-	
वृद्धावस्था पैंशनरों द्वारा सामना की जा रही समस्या संबंधी	(4) 39
वक्तव्य-	
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानार्षण प्रस्ताव संबंधी	(4) 39

मूल्य:

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ

श्री अरविन्द केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली द्वारा दी गई टिप्पणियों के संबंध में मामला उठाना (4) 71

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) (4) 72

वैयक्तिक स्पष्टीकरण-

श्री जय प्रकाश, एम.एल.ए. द्वारा (4) 75

बैठक का समय बढ़ाना (4) 77

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के निलम्बित सदस्यगण को वापिस बुलाने के लिए अनुरोध (4) 77

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) (4) 77

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 17 मार्च, 2016 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है ।

Problem of stray cattles

***1027 (a) Shri Om Parkash Barwa**

Shri Pirthi Singh

Shri Balwan Singh Daulatpuria

Shri Randhir Singh Kapriwas

Shri Jagbir Singh Malik

Shri Kiran Chaudhary

Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state whether it is a fact that stray cattles are damaging the crops and also causing fatal accidents; if so, whether there is any proposal to open Nandishalla or any other concret proposal for permanent solution of the above-said problem togetherwith details thereof?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां, श्रीमान जी। सरकार द्वारा इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए पहले ही विभिन्न स्थानों पर "गौ-अभ्यारण्य" स्थापित करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। सरकार द्वारा हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से आवश्यक राशि उपलब्ध करवाई जा रही है।

श्री ओम प्रकाश बड़वा : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह का आश्वासन माननीय मंत्री जी ने पिछले सत्र में जब "गौ संरक्षण विधेयक" लाया गया था उस समय दिया था लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जहां तक जमीन का सवाल है हल्का लौहारू के अंदर पंचायत की हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है जिस पर "गौ अभ्यारण" बनाये जा सकते हैं। आवारा पशुओं से किसान बहुत दुखी और परेशान हैं। आज आवारा पशुओं से किसान को अपनी फसल बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए एक-एक गांव में दो-दो करोड़ रूपये की तार फैंसिंग की हुई है। उसके बावजूद भी किसान अपनी फसल को आवारा पशुओं से नहीं बचा पाते इसलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द "गौ अभ्यारण" बनाने की कार्यवाही करें।

@ Put by Shri Om Parkash Barwa

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो कंसर्न है वह बिलकुल वाजिब है और यह बात सही है कि पिछले सत्र में भी यह मुद्दा उठा था। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में टोटल 1,17,209 आवारा पशु हैं जिसमें से 84554 आवारा पशु ग्रामीण एरिया में हैं और 32655 आवारा पशु शहरी क्षेत्र में हैं जो सड़कों पर बैठ जाते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। यही वजह है कि सरकार इस विषय में ठोस कार्यवाही करने में लगी हुई है। पानीपत जिले में एक "गौ अभ्यारण" का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसी तरह से हिसार में अभ्यारण बनाने के लिए 50 एकड़ जमीन पशु पालन विभाग को दे दी गई है। सदन के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि गौशाला ट्रस्ट भिवानी ने "गौ अभ्यारण" के लिए रोड़ पर 40 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है। इसी तरह से भिवानी के अंदर 35 एकड़ जमीन फिशरीज विभाग ने अतिरिक्त "गो अभ्यारण" के लिए दी है। अध्यक्ष महोदय, आपके जिले यमुनानगर के अलीसेर माजरा गांव में भी "गौ अभ्यारण" के निर्माण के लिए एक उपयुक्त स्थान तय हो गया है। इसके अतिरिक्त एक अप्रैल से जितने भी आवारा सांड हैं उनकी हम नसबंदी का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं ताकि आवारा पशुओं की संख्या ज्यादा न बढ़े। इसके अलावा जल्द लाभ के लिए एक अतिरिक्त कार्यक्रम भी सोचा है कि हमारे प्रदेश में करीबन 400 गौशालाएं हैं जिनमें लगभग 3 लाख पशु हैं। जो गौशालाएं टैम्परेरी तौर पर आवारा पशुओं को ले सकें उन्हें सरकार अनुदान देने के लिए तैयार है। इस तरह का प्रयोग हमने रोहतक में किया था लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत आ गई। हमने वहां पर लगभग 500 आवारा पशुओं को पहुंचाया यह संख्या ऐक्यूरेट नहीं है मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। उनके पास वहां पर 3000 पशु थे इसलिए उन्होंने उनमें से भी 1000/1500 पशुओं को जोड़कर हमें बता दिया कि ये भी आपके ही हैं। यह मामला निपटारे के लिए कोर्ट तक चला गया। इसलिए हम चाहते हैं कि इन सभी पशुओं का सबसे पहले आईडैंटीफिकेशन करवाया जाये। इस बात के मद्देनज़र हम सभी आवारा पशुओं और गौशालाओं के पशुओं की आईडैंटीफिकेशन करवा रहे हैं। हमारे विभाग ने आईडैंटीफिकेशन का यह काम बड़ी तेज़ी के साथ शुरू कर दिया है। इससे हमें यह पता चल जायेगा कि प्रदेश की किन-किन गऊशालाओं में पशु निर्धारित संख्या से कम है और वहां जगह ज्यादा है। ऐसा पता चलने पर हम उन गऊशालाओं में आवारा पशुओं को एडजस्ट कर देंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे इन प्रयासों से प्रदेशवासियों और विशेषकर किसानों को आवारा पशुओं की समस्या से जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जायेगा। जहां तक "गौ-अभ्यारण्य" संचालन का विषय है इसके लिए हमारा गो सेवा आयोग राज्य स्तर पर रिसोर्सिज़ उपलब्ध करवाने का काम करेगा। हमारी जो जिला परिषदें बनी हैं वे ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी देख-रेख करेंगीं और जो हमारे नगर निगम हैं वे शहरी क्षेत्रों में इनकी देख-रेख में हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि "गौ-अभ्यारण्य" के संचालन का काम ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषदों को और शहरी क्षेत्रों में नगर निगमों को सौंपा गया है। इस विषय की जितनी चिंता हमारे सभी माननीय सदस्यों को है उतनी ही चिंता सरकार को भी है और हमारी सरकार इस मामले में पूरी गम्भीरता और जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभा रही है। जिन पंचायतों के पास ज्यादा भूमि है हम उन पंचायतों की भूमि का इस उद्देश्य के लिए प्रयोग करेंगे। इस मामले में अभी तक हुई डिले का एक मुख्य कारण यह था कि हमारे प्रदेश में कुछ समय तक निर्वाचित पंचायतें नहीं थी। निर्वाचित पंचायतों के न होने के कारण इसके लिए हमें पंचायत का रेजोल्यूशन प्राप्त नहीं हो पाया। अब नई पंचायतें चयनित होकर आ गई हैं और जिन-जिन ग्राम पंचायतों से हमें भूमि प्राप्त हो सकती है हम वहां पर

"गौ-अभ्यारण्य" स्थापित करेंगे। हमारी सरकार की योजना प्रदेश में 40 "गौ-अभ्यारण्य" स्थपित करने की है। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह रिकवैस्ट करूंगा कि वे सरकार को इस उद्देश्य के लिए जहां-जहां पर भी ज़मीन दिलवा सकें हम वहां-वहां पर "गौ-अभ्यारण्य" स्थापित करने का काम करेंगे।

श्री पिरथी सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा जब से यह कानून बना था उसके बाद से अब तक इसमें कितना सुधार हुआ है। मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं से भी ज्यादा नुकसान इन आवारा पशुओं से हो रहा है। ये आवारा पशु किसान के जिस भी खेत में एंटर कर जाते हैं उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। जब ये अचानक सड़कों पर आ जाते हैं तो इनकी वजह से हर रोज़ बहुत बड़ी संख्या में बहुत से भयंकर एक्सीडैंट्स भी हो रहे हैं। जिनकी वजह से जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पुन: जानना चाहूंगा कि अब तक इन्होंने इसमें कितना सुधार किया। माननीय मंत्री जी ने नंदीशाला खोलने की भी घोषणा की थी लेकिन माननीय मंत्री महोदय द्वारा घोषित इन नंदीशालाओं का कहीं निर्माण हुआ हो ऐसा प्रदेश में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। इन आवारा पशुओं के कारण नरवाना हल्के में बहुत से भयंकर एक्सीडैंट्स हो चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इसकी समय सीमा के बारे में जानना चाहूंगा कि इस समस्या का समुचित समाधान कब तक हो सकेगा।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने प्रदेश में कुछ "गौ-अभ्यारण्य" बनाने की बात कही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सिरसा और फतेहाबाद में भी इस उद्देश्य हेतू कोई भूमि चिन्हित की गई है। यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि सिरसा और फतेहाबाद में आवारा पशुओं की बड़ी भयंकर समस्या खड़ी हो गई है। पहले तो हम यह सोचते थे कि अगर कहीं जाना हो तो रात के समय में सफर करेंगे और जल्दी पहुंच जायेंगे लेकिन आज की डेट में रात के समय सफर करना दिन से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अधिकतर आवारा पशु काले रंग के होते हैं जिसकी वजह से वे रात में दिखाई ही नहीं देते और भयंकर एक्सीडैंट का कारण बन जाते हैं। मोटर साईकिल सवारों के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे सिरसा और फतेहाबाद में भी कोई अच्छी भूमि चयनित करके वहां पर "गौ-अभ्यारण्य" बनाने का काम करें।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को यह बताना चाहूंगा कि यह समस्या ज्यादातर जर्सी और संकर नस्ल के जो बछड़े हैं उनसे है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन नस्ल के बछड़ों का कोई उपयोग नहीं होता। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या हमारी सरकार फर्टीलिटी सीड को बैन करके कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनायेगी जिससे शी-काऊ अर्थात इस नस्ल की बछड़ियां ज्यादा पैदा हों क्योंकि आज इस नस्ल के बछड़ों की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसा किया जा सकता है। अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे पशु पालकों का भी फायदा होगा और सरकार के स्तर पर इस समस्या का परमानैंट समाधान भी निकल जायेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप कितने भी "गौ-अभ्यारण्य" खोल लेना यह समस्या हल नहीं हो पायेगी क्योंकि इनकी संख्या दिन दूनी और रात चौगुणी दर से बढ़ती ही रहेगी जो कि बढ़ भी रही है। मैं समझता हूं कि इस समस्या

[श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास]

का इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं हो पायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे मेरे इस सुझाव पर जल्दी से जल्दी अमल करेंगे और सरकारी स्तर पर इसके लिए कोई योजना बनायेंगे।

डॉ. पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस विषय पर कुछ सुझाव देना चाहता हूँ । जिस प्रकार से हमारे माननीय साथी श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास ने जो बात कही है कि ऐसी तकनीक अपनाई जाये जिससे बछड़ी ही बछड़ी पैदा हों और बछड़े पैदा न हों क्योंकि डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही बछड़ों को छोड़ दिया जाता है और वे किसी काम के नहीं रहते। इन आवारा पशुओं में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं बछड़ों की है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि XY क्रोमोसोम को सैग्रीगेट करके XX क्रोमोसोम का बैंक अगर हम बना लेते हैं और अगर सैक्स्ट सीमन हम जर्मिनेट करते हैं तो केवल बछड़ियाँ ही पैदा होंगी। अध्यक्ष महोदय, इस सैक्स्ट सीमन बैंक के अतिरिक्त मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम मॉल से सामान खरीदते हैं तो उस सामान पर रेट का टैग लगा होता है इसी प्रकार से अगर मेल बछड़ों पर उसके मालिक का टैग लगा दिया जाए और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो जब भी उसका मालिक उसको आवारा छोड़ देगा तो उस टैग से उसके मालिक का पता चल जायेगा और वह आवारा बछड़ा उसके पास पहुंचा दिया जायेगा। उसके बाद वह उसको आवारा छोड़ने की बजाय गौशाला में छोड़ कर आयेगा और उसके चारे वगैरह के लिए भी उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे।

श्री मक्खन लाल सिंगला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सिरसा में "गौ-अभयारण्य" कब तक शुरू कर दिया जायेगा और क्या उसके लिए कोई जगह चिह्नित की गई है ?

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, हिसार में आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और किसान पहले तो भगवान ने मार दिये और जो बची हुई फसल है उसकी आवारा पशुओं से रखवाली के लिए सारी-सारी रात जागना पड़ता है। हिसार में "गौ-अभ्यारण्य" के लिए 50 एकड़ जमीन आईडैंटिफाई की गई है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उस पर "गौ-अभयारण्य" कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाये हैं। हिसार में आवारा पशुओं की संख्या 13218 है। इसी प्रकार से फतेहाबाद में 5442 है तथा सिरसा में 10949 आवारा पशु हैं। हमने अपने पशुपालन विभाग से बात करके हिसार में जमीन नगर निगम को दे दी है तथा नगर निगम से भी आग्रह किया है कि वहाँ पर आवारा पशुओं के लिए जल्दी से जल्दी "गौ-अभ्यारण्य" बनाया जाये। 4 जिलों में तो हमें जमीन मिल गई है और उन चारों जिलों को तो मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस वित्त वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में ही हम "गौ-अभ्यारण्य" शुरू करने की स्थिति में आ जायेंगे। बाकी के जिलों में हमें अभी तक जमीन नहीं मिली है। इस काम के लिए मेरा सभी विधायक साथियों से निवेदन है कि वे अपने-अपने क्षेत्र की पंचायतों को जमीन देने के लिए तैयार करें ताकि वहाँ पर भी "गौ-अभ्यारण्य" जल्दी शुरू किये

जा सकें। यहाँ पर एक विषय शंकर नस्ल के बछड़ों के बारे में उठाया गया था। अध्यक्ष महोदय, ये केवल फसलों को ही खराब नहीं करते हैं बल्कि ये अपने दूसरे पशुओं गाय और भैंस को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यह नस्ल जहाँ की है और उन लोगों का जैसा स्वभाव है इन पशुओं का स्वभाव भी उसी प्रकार का होता है तथा डंडा लेकर उनसे रखवाली करनी पड़ती है। ये अपनी गायों और भैंसों को भी खराब करते हैं इसलिए विभाग ने1 अप्रैल से इनकी नसबंदी करने का निर्णय लिया है। विभाग इस रास्ते पर भी आगे बढ़ रहा है कि बछड़ी ही ज्यादा पैदा हों। जो हमारी देशी गाय है उसका नंदी रितुगामी होता है जबकि शंकर नस्ल का सांड रितुगामी नहीं होता। हमने विभाग से भी इसी रास्ते पर काम करने के लिए कहा है कि अपनी देशी गाय के सीमन को ही सीमन बैंकों में प्राथमिकता दें ताकि ये शंकर नस्ल के बछड़े पैदा ही न हों। हम देशी नस्ल की गाय को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। यह काम भी हम जल्दी करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम इजराईल की तर्ज पर प्रति पशु दूध बढ़ाने का एक एक्सीलैंसी सैंटर हिसार में शुरू करने जा रहे हैं। जिसके कामों पर विभाग पूरी तत्परता से लगा हुआ है। इसके अलावा आगे की स्कीमों के बारे में भी हम सोच रहे हैं कि एक देसी गाय की नसल को कैसे बढ़ाया जाए जिसके लिए हम सोच रहे हैं कि गऊशालाओं में जो स्वस्थ गाय हैं उन गायों को क्या सैरोगेट मदर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे सब विषयों पर विभाग काम कर रहा है ताकि अपने प्रदेश में देसी पशु धन बढ़े और उसका दूध बढ़े। इसके साथ जो आवारा पशुओं की समस्या है उससे भी जल्दी से जल्दी निजात पाई जा सके।

Setting up of SEZ

***1084. Shri Umesh Aggarwal :** Will the Industries & Commerce Minister be pleased to state:-

(a) whether the previous Governments acquired land for SEZs for the socalled industral development in Gurgaon District;

(b) the total number of such SEZs proposed to be set up together with the number of such SEZs set up till now;

(c) whether there is any possibility in the future that such SEZs are likely be set up; if not, whether the Government will consider to return the land acquired for such SEZs to the farmers; and

(d) the details of provision for paying royalty/giving employment to the farmers whose land was acquired for the SEZs?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : हां जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

[कैप्टन अभिमन्यु]

विवरण

राज्य सरकार ने गांवों खांडसा, नरसिंहपुर मोहम्मदपुर झांडसा, गाडौली खुर्द तथा हरसरू, तहसील एवं जिला गुड़गांव की 1779 एकड़ 3 कनाल 425 मरला भूमि हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम (एच0एस0आई0डी0सी0) द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य नामत: विशेष आर्थिक जोन (सेज) चरण-1, गुड़गांव के लिये अधिग्रहण करने हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अर्न्तगत 29-01-2003 को अधिसूचना जारी की थी।

राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत 1715 एकड़ 3 कनाल 5.5 मरला भूमि के अधिग्रहण के लिये घोषणा 28-01-2004 को की थी। एस0ए0ए0सी0 गुड़गांव ने 1590 एकड़ भूमि के लिये अवार्ड की घोषणा 27-01-2006 को की थी। अवार्ड की घोषणा के पश्चात, 1383.68 एकड़ भूमि रिलायन्स हरियाणा सेज लि0 को कन्वेन्स डीड दिनांक 24-06-2007 के द्वारा अन्तरण (ट्रांसफर) की गई थी तथा यह सब दिनांक 29-08-2014 को एच0एस0आई0डी0सी0 को वापस की जा चुकी है।

तदन्तर राज्य सरकार ने औद्योगिक कोरिडोर परियोजना के अर्न्गत की गई अनेकों पहलों के अर्न्तगत गुड़गांव में ग्लोबल सिटी परियोजना की एक अर्लीबर्ड परियोजना के रूप में पहचान की है। मंत्रीमंडल ने 7 फरवरी 2014 को हुई अपनी बैठक में इस परियोजना की स्थापना रिलायन्स हरियाणा सेज लिमिटेड से वापस मिली भूमि पर करने की स्वीकृति दी थी। यह परियोजना लगभग 1000 एकड़ भूमि पर एच0एस0आई0डी0सी0 तथा तथा देहली मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित की जानी प्रस्तावित है। डी0एम0आई0सी0डी0सी0 ने ग्लोबल सिटी परियोजना के लिये औचित्यता अध्ययन एवं मास्टर योजना पर कार्य करने के लिए ए0सी0ओ0एम0, इण्डिया प्रा0 लिमिटेड को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

उपरोक्त पैरा संख्या "क" में वर्णित के अतिरिक्त कोई अन्य भूमि सरकार द्वारा उद्योग विभाग में अधिग्रहण नहीं की गई है। आगे किसी अन्य सेज के लिये भूमि अधिग्रहण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जैसा की उपरोक्त पैरा संख्या "क" में स्पष्ट किया है, सरकार ने देहली मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना के अर्न्तगत गुड़गांव में ग्लोबल सिटी परियोजना की एक अर्लीबर्ड परियोजना के रूप में पहचान की है। इस प्रकार सेज के लिये अधिग्रहण की गई भूमि को पूर्व भूमि मालिकों को वापस नहीं किया जा सकता।

भूमि मालिको/किसानों को रॉयल्टी का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, किसानों/भूमि मालिकों की क्षति पूर्ति (मुआवजा) के लिए हरियाणा सरकार में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 07-12-2007 द्वारा जारी की गयी जिसके अर्न्तगत 33 साल तक एन्युटी देने का प्रावधान किया गया। इस नीति की मुख्य विशेषतायें एन्युटी के बारे में निम्न प्रकार से है।

* भूमि मालिकों को 33 साल तक एन्युटी अथवा सामान्य भूमि मुआवजा दिया जा सकेगा। एन्युटी की कीमत 15000/- रुपये प्रति एकड़ होगी।

* 15000 रुपये की एन्युटी, 500/- रुपये की निश्चित धनराशि की दर से हर साल बढ़ाई जा सकेगी।

* भूमि अधिग्रहण नीति के अनुसार, अधिग्रहित भूमि के बारे में विशेष आर्थिक क्षेत्र तकनीकी शहर/टैक्नोलोजी पार्क, स्थापित करने के अलावा एक पुनर्वास एवं पुन: स्थापना पैकेज उद्योग एवं वाणिज्य विभाग दिनांक 04-05-2016 को अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार 30,000/- रुपये प्रति एकड़ वार्षिक दर से 33 साल तक निजी डेवलपर्स द्वारा दिया जायेगा और यह एन्युटी 1000/- रुपये हर साल बढ़ाई जा सकेगी।

* एन्युटी वितरण की यह नीति सभी प्रकार के भूमि अधिग्रहण के मामलों में सरकार द्वारा लागू होगी, सिवाय रक्षा उद्देश्य सम्बन्धी भूमि अधिग्रहण के इस मामले में भले ही भूमि की स्थिति सेज द्वारा एच0एस0आई0डी0सी0 को लौटाने के बाद बदल गई है, परन्तु भूमि मालिकों को इसी दर पर एन्युटी दिया जा रहा है तथा भविष्य में भी एन्युटी भुगतान किया जा सकेगा।

जहां तक उन किसानों को रोजगार देने का प्रश्न है जिनकी भूमि सेज के लिये अधिग्रहण की गई थी, रिलायन्स हरियाणा सेज लिमिटेड से वापस मिली भूमि के उपयोग के लिए तरीका (मोडयूल) अब तक निर्णित नहीं हुआ है। यदि भूमि सेज की स्थापना के लिए निजि संस्थापक द्वारा उपयोग में लाई जाती है, तो उद्योगों एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संख्या 49/48/2006/41बी 1 के दिनांक 4 मई 2006 द्वारा जारी आर एण्ड आर पैकेज के निम्नलिखित प्रावधान लागू होगें:-

1. संस्थापक यह शपथ लेगा कि परियोजना की स्थापना के लिए किसान जिनकी भूमि अधिग्रहण की गई है उसके परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देगा। प्रदान किए गये रोजगार की प्रकृति उद्योग विभाग की सन्तुष्टि के अनुसार होगी।

2. संस्थापक इस आशय का एक शपथ पत्र देगा की वह कुल रोजगार प्रदान किए व्यक्तियों का कम से कम 25 प्रतिशत सभी श्रेणियों में हरियाणा निवासी को रोजगार देगा सिवाय तकनीकी पदों को छोड़कर हॉलाकि उसमें भी हरियाणा निवासी को रोजगार देगा सिवाय तकनीकी पदों को छोड़कर हॉलाकि उसमें भी हरियाणा निवासी को अधिमान दिया जायेगा।

एच0एस0आई0आई0डी0सी0 द्वारा औद्योगिक सम्पदा इत्यादि स्थापित करने के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, आर एण्ड आर नीति, 2007 के अर्न्तगत रोजगार देने के लिये कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं किया गया है, अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री उमेश अग्रवाल जी ने जो सवाल पूछा है उस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में गुड़गांव के इण्डस्ट्रियल डवैल्पमैंट के लिए, SEZ के लिए जो जमीन एकवायर हुई थी उसमें से उस समय कुल कितने SEZ प्रपोजल सरकार के पास मंजूर हुए और फयुचर में इस प्रकार के SEZ को स्थापित करने की क्या सरकार की कोई योजना है? या सरकार द्वारा जो जमीन SEZ के लिए एकवायर की गई थी और वह यूज नहीं की जा रही है तो क्या सरकार उस जमीन को वापिस करने की कोई योजना बना रही है। इसके अलावा आपने जो डिटेल मांगी है उसमें रोयल्टी और रोजगार की है। इसमें जो जमीन के मालिक थे और जिनकी जमीन SEZ में गई है उसका विस्तृत

[कैप्टन अभिमन्यु]

ब्योरा इस स्टेटमैंट के माध्यम से दिया है । मैं केवल संक्षेप में बताना चाहूंगा कि माननीय विधायक का प्रश्न यह मानते हुए कि एक हरियाणा सरकार ने पिछले सालों में केवल एक SEZ के लिए जमीन एकवायर की थी और वह एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने वर्ष 2003 में सैक्शन-4 का नोटिस देकर गुड़गांव के खांडसा, नरसिंह पुर, मोहम्मद पुर, झाड़सा, गड़ोली खुर्द, और हरशरू से 1779 एकड़ तीन कनाल 4.25 मरला जमीन इसके लिए एकवायर की थी । यह पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ते-बढ़ते वर्ष 2004 में सैक्शन-6 हुआ जिसमें 1715 एकड़ और उसके बाद वर्ष 2006 में इसका 1590 एकड़ का अवार्ड सुनाया गया । अवार्ड के सुनाने के बाद 1383.68 एकड़ जमीन उस समय की सरकार ने एक प्राईवेट कम्पनी के साथ समझौता करके और SEZ व सरकार ने मिलकर SEZ को ज्वाइंट वैंचर के तौर पर डवैल्प करने की योजना बनाकर 26 अप्रैल 2007 को वह जमीन रिलायंस हरियाणा SEZ लिमिटिड जो ज्वाइंट वैंचर कम्पनी बनी जो एच.एस.आई.आई.डी.सी. और रिलायंस कम्पनी के साथ थी उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके बाद यह बहुत बड़ा प्रोजैक्ट था सरकार ने इसको बड़ी डिटेल में योजना बनाकर प्रस्तुत किया था कि 25 हजार एकड़ जमीन गुड़गांव व झज्जर दो जिलों ने मिलकर रिलांयस कम्पनी को डवैल्प करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद अनेक बार यह प्रोजैक्ट झूलता रहा। जैसे हमारे आदरणीय मंत्री श्री रामबिलास शर्मा जी हरियाणवी कहावत सुनाया करते हैं कि- रमलू कित-कित रोऊं, चालती जा और रोंदी जा। वह इसी प्रकार से पूरा प्रोजैक्ट झूलता रहा, घूमता रहा। अन्त्तोगत्वा वर्ष 2013 में गुड़गांव का जो हिस्सा था वह एच.एस.आई.आई.डी.सी. को वापिस आ गया और रिलायंस कम्पनी ने उसे आगे बढ़ाने से अपने हाथ वापिस खींच लिये और पूरी की पूरी जो जमीन है वह एच.एस.आई.आई.डी.सी. के पास है । आज की स्थिति यह है कि एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने उस जमीन के ऊपर बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार के साथ इस पर एक सैद्धांतिक सहमति की है कि राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर देश का सबसे विकसित ग्लोबल सिटी के नाम से यहां पर एक टाऊनशिप को डिवैल्प करेंगे । उस टाऊनशिप में भारत सरकार की हिस्सेदारी भी होगी । इसलिए जो भी हरियाणा सरकार की आर.एण्ड आर. की पॉलिसी बनी क्योंकि नियम यह है कि जिस दिन जो जमीन एकवायर हो जाए उस दिन जो आर.एण्ड आर. की पॉलिसी है वह उस जमीन के मालिकों को उसके तहत उसका मुआवजा मिलेगा या उसमें रोजगार मिलेगा । यहां मैं यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने इस जमीन को एक्वॉयर करने के बाद जो तीस हजार रूपये प्रति वर्ष एन्युटी देनी है, वह तब देनी थी जब कायदे से उस एक्वॉयर जमीन में एस.ई.जैड. डिवैल्प होता है परन्तु बावजूद इसके एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने लगातार, निरंतर तथा अभी तक तीस हजार रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष एन्युटी की पूरी पेमैंट की हुई है। जहां तक रोजगार प्रदान करने की बात है तो जब एस.ई.जैड. के लिए जमीन एक्वॉयर की गई थी तो उस समय रिलायंस के साथ एक समझौता किया गया था। उस समय तत्कालीन सरकार ने एक नई नीति बनाई थी कि अगर प्राईवेट डिवेलपर्ज के साथ समझौते में एक्वॉयर्ड जमीन में एस.ई.जैड. डिवैल्प किया जाता है या इंडस्ट्रियल टाउनशिप को डिवैल्प किया जाता है तो जिन भू-मालिकों की जमीन एक्वॉयर्ड की गई थी उन सभी के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जायेगा तथा इसमें 25 प्रतिशत रोजगार हरियाणा के डोमिसाईल को दिया जायेगा। चूंकि आज यह स्थिति प्राईवेट डिवैल्पर्ज की नहीं है और न ही प्राईवेट डिवैल्पर्ज के साथ यह जमीन विकसित हो रही है तो इस प्रकार यह

पॉलिसी इस पर लागू नहीं होती है लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार की इस्टेट मैनेजमैंट प्रोसिजर की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक कोई भी उद्योग यदि यहां लगता है तो उसमें 75 प्रतिशत unskilled man power हरियाणा डोमिसाईल्ज की ही लगेगी। यह पॉलिसी इस पर लागू होती है। रोजगार देने का सरकार का यह एक गम्भीर प्रयास है और आगे भी जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त जो पूरा ब्यौरा है वह स्टेटमैंट के रूप में वह सदन के पटल पर रखा है।

श्री उमेश अग्रवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बड़े विस्तार से जवाब दिया है लेकिन मेरे प्रश्न का जो बी तथा सी पार्ट है उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने एस.ई.जैड. को मंजूरी दी गई थी। जहां तक मेरी जानकारी है 37 एस.ई.जैड. जो प्राईवेट बिल्डर्ज द्वारा डिवेलप करने थे, इन 37 एस.ई.जैड. को मंजूरी दी गई थी। ऐसी कुल कितनी जमीन थी जिस पर यह एस.ई.जैड. बनाये जाने थे, तत्कालीन सरकार ने एस.ई.जैड. के माध्यम से कितने लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, कितना निवेश आने का वायदा किया गया था। यह सब बातें मेरे मूल प्रश्न में थी, जिनका माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। मैंने यह भी पूछा है कि जहां-जहां यह एस.ई.जैड. डिवैल्प नहीं हो पाये क्या उस जमीन को बिल्डर्ज से वापस दिलाया जायेगा क्योंकि जिनकी जमीन गई थी न तो उनको रॉयल्टी दी जा रही है, न ही उनके परिवारों को रोजगार मिला है। अध्यक्ष महोदय, कुछ जगह पर तो बिल्डर्ज ने कोलाबोरेशन कर रखे हैं। केवल मात्र 5-10 प्रतिशत अमाउंट देकर कोलाबोरेशन करके जमीनदारों की जमीनों को पिछले 8-10 साल से एंगेज किया हुआ है। जमीनदार कोई भी काम करने की स्थित में नहीं हैं। यह दोनों बातें भी मेरे मूल प्रश्न में थी। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इन प्रश्नों का भी जवाब दें।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने अभी कहा है कि सदन के पटल पर पूरी स्टेटमैंट रखी हुई है जिसमें माननीय सदस्य के उत्तर दिये गये हैं लेकिन फिर भी माननीय सदस्य को यदि लगता है कि उनके दोनों प्रश्न अनुतरित हैं तो जो आपके प्रश्न का सी पार्ट है उसमें आपने पूछा है कि भविष्य में एस.ई.जैड. को डिवेलप करने की सरकार की कोई योजना है तो उसके उत्तर में मैं यह कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के एस.ई.जैड. को डिवैल्प करने की सरकार की कोई भी योजना नहीं है। आपने यह भी पूछा है कि whether there is any possibility in the future that such SEZs are likely to be set up क्योंकि सरकार की अब तक ऐसी कोई योजना नहीं है, अत: इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपने यह भी पूछा है कि whether the Government will consider to return the land acquired for such SEZs to the farmers जैसाकि मैंने आपको बताया कि सरकार की एक ही एस.ई.जैड. स्थापित करने की योजना थी और जमीन को रिटर्न करने का कोई कारण नहीं है परन्तु जो आपने पूरक प्रश्न के रूप में पूछा कि जिस जमीन को प्राईवेट डिवैल्पर्ज ने एस.ई.जैड. के नाम पर लिया हुआ है क्या सरकार उस जमीन को वापस दिलवायेगी तो उसके उत्तर में मैं बताना चाहूँगा कि जो प्राईवेट बिल्डर्ज ने यह जमीन परचेज की है अपने स्तर पर की है और यदि बिल्डर्ज इस जमीन को एस.ई.जैड. के तौर पर डिवैल्प नहीं करते हैं तो अन्य प्रकार की जो भी उसमें कानून के अनुसार डिवैल्पमैंट की जा सकती हैं वह डिवैल्पमैंट उसमें कर सकते हैं उसका अधिकार निश्चित तौर से है, परन्तु सरकार की इसमें हस्तक्षेप की कोई नीति नहीं है। जहां तक बात है

[कैप्टन अभिमन्यु]

एस.ई.जैड. को मंजूरी देने की है तो उस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जानकारी सही है कि 37 एस.ई.जैड. प्रोपोज्ड थे। आज हरियाणा प्रदेश में कुल मिलाकर 7 एस.ई.जैड. आपरेशन में हैं।1006 हेक्टेयर भूमि में टोटल 7473 करोड़ रूपये की इंवेस्टमैंट आई है तथा लगभग 91 हजार लोगों को इससे रोजगार मिला है।

श्री उमेश अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, जो प्राईवेट बिल्डर्ज के द्वारा एस.ई.जैड. डिवैल्प किए जाने थे इसके अन्दर लगभग 1500 एकड़ जमीन इन्होंने एंगेज की हुई है। मैं माननीय मंत्री जी कहना चाहता हूँ कि सेज की जमीन केवल उद्योगों के लगाने के लिए उपयोग होती है। हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वैस्टर्स सम्मिट, 2016 के दौरान उद्योगों ने हरियाणा में निवेश करने के लिए अपने-अपने एम.ओ.यू. दिए हैं कि हम हरियाणा में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। क्या उन उद्योगों के लिए जमीन देने की कोई योजना है? क्या स्थानीय किसानों की जमीनें उद्योगों के उपयोग के लिए ली जाती है तो किसानों को कोई लाभ दिया जायेगाा ?

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार का टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग अपनी योजना के अनुसार अलग-अलग भूमि के उपयोग के माप दण्ड तैयार करता है। प्राईवेट डवैल्पर्स अपनी जमीन पर उद्योग लगाने के लिए सरकार के टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग में आवेदन कर सकता है। हरियाणा सरकार निश्चित रूप से उद्योग लगाने के पक्ष में है। हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वैस्टर्स सम्मिट का आयोजन सफल सिद्ध हुआ है। उस नाते से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट निर्णय लिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति हरियाणा में उद्योग लगाना चाहता है तो उसको हर प्रकार की सहुलियतें और सहयोग देने का काम हरियाणा सरकार करेगी ।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान गुड़गांव के साथ लगते गांवों की जमीन मजदूरों के फ्लैट बनाने के लिए एक्वायर की गई थी। कांग्रेस सरकार ने उस जमीन का एक भाव तय करके वह जमीन रिलायंस कम्पनी को दे दी थी। रिलायंस कम्पनी ने अब तक उस जमीन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। आज भी वह बेशकीमती जमीन ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने वह जमीन वापिस ले ली है? और यदि वापिस नहीं ली तो उसमें क्या अड़चनें रही? कृपया मंत्री जी बताने का कष्ट करें।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष नेता का प्रश्न स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2003 की नोटिफिकेशन के आधार पर ही वर्ष 2006 में अवार्ड की घोषणा हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले बताया कि 1383 एकड़ भूमि एच.एस.आई.आई.डी.सी. और रिलायंस कम्पनी ने मिलकर डवैल्प करने की योजना बनाई थी। वर्ष 2013 में सरकार ने उस पूरी जमीन को प्राईवेट कम्पनी से वापस ले लिया इसके अतिरिक्त यदि कोई भी जमीन माननीय प्रतिपक्ष नेता के ध्यान में हो तो मुझे लिखकर दें दे मैं उसकी जानकारी माननीय प्रतिपक्ष के नेता को दे दूंगा। मैं माननीय प्रतिपक्ष नेता को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी सेज़ के नाम से जमीन एक्वायर हुई थी, वह सरकार ने वापस ले ली है।

———————

Opening of Purchase Centre

***1320. Shri Sukhwinder :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether it is a fact that an announcement was made by Chief Minister on 6th April, 2015 for the opening of purchase centres in village Jhoju Kalan and Badhwana; if so, the time by which abovesaid purchase centres are likely to be opened and are likely to be functional?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां श्रीमान जी, ये खरीद केन्द्र पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा वांछित पंचायत भूमि को मार्किट कमेटी, चरखी दादरी के नाम स्थानांतरण होने के 4 महीने के अन्दर चालू कर दिए जाएंगे।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर विभाग द्वारा दिया गया है उसमें आगे बढ़ते हुए मैं माननीय साथी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसी गेहूँ की फसल के करीब हम दोनों में खरीद केन्द्र खोल देंगे। पंचायत विभाग की जमीन खरीद केन्द्र को कितने रुपये में मिलेगी, उसके लिए भी राशि निर्धारित कर ली गई है। इसमें जो-जो अड़चनें थी वो भी माननीय साथी के सवाल आने से पहले ही दूर कर ली है। इस प्रकार से अस्थाई रूप से तो इसी बार से खरीद केन्द्र खोल देंगे और स्थाई रूप से खरीद केन्द्र खोलने की प्रक्रिया में जो अड़चनें थी वो समाप्त हो गई है।

श्री सुखविन्द्र: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का अपने क्षेत्र की तरफ से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मांगने से पहले ही कोई चीज मिल जाती है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरा प्रश्न निकल गया है लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अब वह प्रश्न पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि विधान सभा के सैशन के ऐजन्डे की प्रतियां हमारे घरों में पहुँचनी चाहिए ताकि हमें विधान सभा के सैशन के ऐजैन्डे का पता चल सके। इसके बारे में मैंने तीन बार लिखकर भी दिया हुआ है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जिस माननीय सदस्य का प्रश्न लगा हुआ है और वह सदन में उपस्थित नहीं है तो फिर आपको दूसरे माननीय सदस्य की जगह उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। (विघ्न)

श्री ज्ञानचंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यूं तो मैं विधान सभा में काफी समय पहले पहुंच गया था परंतु मुझे आज की सदन के ऐजैन्डे की सूचना न होने के कारण यह चूक हो गई। अत: मेरा सुझाव है कि सदन की कार्यवाही के कागज-पत्र माननीय सदस्यों को देने के लिए एम.एल.ए. हॉस्टल में भेजने की बजाय उन्हें सदस्यों के घर पर भेजना चाहिए ताकि हम सदन के ऐजन्डे से अवगत हो सकें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अभी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो ।

To provider Drainage System

***1315. Shri Gian Chand Gupta :** Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the rainy water accumulates/stagnates in the streets roads and phirni of Barwala, Bataur and Sultanpur villages of Panchakula Assembly Constituency; and

(b) if so, the steps taken by the Government to solve the abovesaid problem togetherwith the time by which it is likely to be solved?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां श्रीमान जी।

(ख) इस समस्या के समाधान हेतु इन गांवों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) **गांव बरवाला**:- लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा बरवाला विद्यालय तक 600 मीटर की पहुंच सड़क व नालियों के लिए निविदाऐं स्वीकृत कर ली गई हैं।

(ii) **गांव बतौड़**:- 42.63 लाख रुपये की तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना के तहत नालियों, तालाबों की खुदाई व अतिरिक्त पानी को पम्प द्वारा निकालने हेतु निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा कार्य जल्द शुरु करवा दिया जाएगा।

(ii) **गांव सुलतानपुर**:- तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना के अन्तर्गत नाला निर्माण एवं तालाबों की खुदाई हेतु 17.51 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं व कार्य जल्द ही शुरु करवा दिया जाएगा।

श्री ज्ञानचंद गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि गांव बरवाला में 6 सौ मीटर सड़क बनने के बाद भी वहां पानी की निकासी की समस्या हल नहीं हुई है। वहां पर एक बरसात होने के तीन दिन बाद भी पानी की निकासी नहीं होती है। इसी प्रकार से बतौड़ गांव की समस्या है। वहां आज भी बरसात होने के बाद पानी घरों में घुस जाता है और 2-3 महीने के बाद भी पानी घरों से नहीं निकलता है। उस गांव की समस्या का कोई स्थाई समाधान किया जाए। वहां पर बरसात के पानी को निकालने के लिए मोटर और पम्प लगाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। वहां जब तक ड्रेन नहीं बनाई जाती तब तक गांव से पानी बाहर नहीं निकल सकता। बरवाला में 6 सौ मीटर की सड़क बनने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। वहां पर गांव की गलियों में पानी खड़ा रहता है। मेरा आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह समस्या का स्थाई समाधान करें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अकेले ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस समस्या का समाधान नहीं होगा इसलिए मैंने नहरी विभाग से विचार करके इस समस्या का समाधान करवाया है। हमने 4 करोड़, 78 लाख रूपये का प्रोजेक्ट बरवाला और इन तीनों गांवों से पानी निकालने के लिए मंजूर कर दिया है और विभाग से इस बारे में विचार-विमर्श भी कर लिया है। मैं माननीय सदन को आश्वस्त करता हूं माननीय सदस्य की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री ज्ञानचंद गुप्ता का प्रश्न एक नंबर पर था। उसके बाद बहुत-से सदस्यों ने अपने प्रश्न पूछ लिये हैं। इनसे अगले विधायक इस इंतजार में बैठे हैं कि अभी उनका नंबर आएगा। अगर कोई विधायक सदन में समय पर नहीं पहुंचता है तो उसका प्रश्न टेकअप नहीं होना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह चौटाला जी, माननीय सदस्य ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और हमने इसे मंजूर कर लिया है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, फिर तो आपको सभी सदस्यों की रिक्वैस्ट को मान लेना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हम सभी सदस्यों की रिक्वैस्ट को स्वीकार करते हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रत्येक सदस्य को कहना चाहूंगा कि सदस्यों को सदन में समय पर आकर बैठना चाहिए। यहां सदन में लोग मीलों दूर से समय पर आकर बैठते हैं परंतु कुछ सदस्य नजदीक के क्षेत्र से संबंध रखते हुए भी समय पर नहीं पहुंचते।

Replacement of Obsolete Electricity Wires

***1088. Shri Tak Chand Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the length of obsolete electrictiy wires replaced in Prithla Assembly Constituency; and

(b) whether there is any prposal under consideration of the Government to replace the remaining obsolete electricity wires; if so, the time by which these wires are likely to be replaced?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) :

(क) अप्रैल, 2014 के बाद पृथला निर्वाचन क्षेत्र में 294 किलोमीटर तारों को बदला जा चुका है।

(ख) श्रीमान नहीं। विभिन्न क्षेत्रों में तारों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर बदला जाता है।

To provider Drainage System

***1315. Shri Gian Chand Gupta :** Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the rainy water accumulates/stagnates in the streets roads and phirni of Barwala, Bataur and Sultanpur villages of Panchakula Assembly Constituency; and

(b) if so, the steps taken by the Government to solve the abovesaid problem togetherwith the time by which it is likely to be solved?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां श्रीमान जी। इस समस्या के समाधान हेतु इन गांवों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

श्री टेकचंद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली बोर्ड की बात है तो यह सबसे ज्यादा लोस में चलने वाला डिपार्टमैंट है । "म्हारा गांव, जगमग गांव" स्कीम के तहत 83 फीडर्ज को गोद लिया गया है । इसके तहत मेरे यहां के दो फीडर्ज गांव साहपुर कला और सोतई गोद लिए गए हैं । इन दोनों फीडर्ज पर पहले लोस 75 परसैंट होता था लेकिन केबल और ट्रांसफार्मर्ज बदलने के बाद वहां लोस 25 परसैंट रह गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछा है कि शेष पुरानी तारों को कब तक बदलने का विचार है। इसके बारे में मैं बताना चाहता है कि जिस समय मैंने ये दो फीडर्ज गोद लिए थे उस समय हमने 1000 नए मीटर्ज लगवाए थे और उनका लोस कम हो गया था। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बाधोला ,खंदावली, बीजोपुर, जखोपुर, पनहेड़ा खुर्द, नरियाला और ककड़ीपुर गांवों की यदि केबल बदल दी जाती हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें बहुत बड़ी इम्प्रूवमैंट आएगी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास इन तारों को बदलने की कोई योजना है ?

श्री कृष्ण लाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने पृथला के साहपुर फीडर का जिक्र किया है। इस फीडर के अंदर 4 गांव आते हैं। इसमें हमने 443 कनैक्शंज रिलीज किए हैं, 375 मीटर्ज बदले गए हैं तथा 1226 मीटर्ज घरों से बाहर किए गए हैं और वहां 12 से 15 घटे बिजली दी जा रही है। जैसा मेरे साथी ने भी बताया है कि 83 फीडर्ज को गोद लेकर उनके कंडक्टर्ज चेंज किए गए थे। 260 फीडर्ज का हरियाणा में चयन किया गया है और 1000 फीडर्ज ऐसे हैं जिनमें 15 घंटे बिजली दे रहे हैं। "म्हारा गांव, जगमग गांव" के तहत जो फीडर्ज गोद लिए गए हैं यदि उन गांवों के मीटर्ज 100 परसैंट घर से बाहर होंगे तो उनके कंडक्टर्ज चेंज करके केबल लगा दी जाएगी और उनको हम 18 घंटे बिजली देंगे। उन गांवों में यदि 90 परसैंट बिजली के बिलों की रिकवरी होती है तो उनको 100 परसैंट बिजली देने का काम हम करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। जैसा कि साथी ने पूछा है कि कितनी तारें बदली गई हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारा 31.1.2016 तक 10831.23 किलोमीटर तारें बदलने का लक्ष्य था जिसमें से 10167.31 किलोमीटर तारें बदलने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इनमें से उत्तरी हरियाणा की 3129.63 किलोमीटर तारें हैं तथा दक्षिणी हरियाणा की 7701. 60 किलोमीटर तारें हैं। मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में 515 फीडर्ज और पृथला विधानसभा के 35 फीडर्ज हैं।

इनके क्षेत्र में वर्ष 2013 में 320.15 किलोमीटर तारें बदली गई हैं। वर्ष 2013-14 में 301.30 ,वर्ष 2014-15 में 176.74 और वर्ष 2015-16 में 159 किलोमीटर तारें बदली गई हैं। मैं माननीय साथी को विश्वास दिलाता हूं कि यदि कहीं पर कंडक्टर्ज चेंज करने की आवश्यकता होती है तो हम समय समय पर उनको चेंज करते हैं।

श्री टेकचंद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि आवश्यकता अनुसार तारों को समय समय पर बदला जाता है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में लगभग 30 साल पुराने कंडक्टर्ज लगे हुए थे वही कंडक्टर्ज आज भी लगे हुए हैं। जिनके टूटने की वजह से एक तो निर्बाध बिजली नहीं मिल पाती है और दूसरा इसकी वजह से सरकार का बहुत ज्यादा लोस हो रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन तारों को इस साल में ही बदल दिया जाए तो आपकी मेहरबानी होगी।

श्री कृष्ण लाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, कोई भी ट्रांसफार्मर हो उस पर एक साल में लगभग 10 परसैंट एक्सैस लोड बढ़ जाता है। जब कनैक्शंज दिए जाते हैं तो उस पर 5 एम.एम. के कंडक्टर्ज लगे होते हैं लेकिन जब वह ओवर लोडिड हो जाएगा तो निश्चित तौर पर तारें टूट जाएंगी। समय समय पर लोड एक्सटैंड करके उन तारों पर कंडक्टर्ज की एम.एम. की जो संख्या होती है उसको बढ़ा दिया जाता है। मेरे माननीय साथी ने जैसे कि सर्वे के लिए कहा है तो हम सारा सर्वे करवा लेंगे। जिस फीडर पर लोड ज्यादा है और कंडक्टर्ज कम एम.एम. के हैं हम उनकी एम.एम.की संख्या बढ़ाकर उन तारों को चेंज कर देंगे।

श्रीमती नैना चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि डबवाली विधान सभा क्षेत्र के अंदर ओडा गांव है और पंचायत तथा बिजली विभाग के समझौते के अनुसार 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान है। वहां पर विभाग ढ़ाणियों के लिए अलग से लाईन लगाकर केवल 8 घंटे बिजली दी जा रही है जो कि समझौते के अनुसार गलत है। इसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह अलग प्रश्न है फिर भी मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के लिए हम 8 घंटे, घरेलू सप्लाई के लिए 12 घंटे और इण्डस्ट्रीज के लिए 24 घंटे बिजली देते हैं तथा सी.एस.यू. में भी 24 घंटे बिजली देते हैं । इसके अतिरिक्त "हमारा गांव, जगमग गांव" तथा जिन फीडरों पर 90 प्रतिशत से ज्यादा रिकवरी होती है उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि सरकार द्वारा ऐसे फीडरों की सारी तारें बदली जायेंगी, मीटरों को बाहर लगाया जायेगा और एग्रीकल्चर के फीडर अलग से देकर वहां पर 24 घंटे बिजली देने के लिए हम वचनबद्ध हैं।

Canal Based Scheme for Drinking Water

***1310. Dr. Banwari Lal :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide canal based drinking water in villages Nandha, Mayan, Balwari, Kund, Padla and Manethhi in Block Khol of district Rewari; if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : नहीं श्रीमान जी; इसलिए प्रश्न के इस भाग का सवाल नहीं उठता, परन्तु नलकूप आधारित योजनाओं को नहर आधारित योजनाओं में बदलने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन (फिजीबिलिटी स्टडी) किया जा रहा है कि यह संभव है या नही जिसके सितम्बर, 2016 तक पूरा होने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय, 30 सितम्बर तक फिजीबिलिटी स्टडी की रिपोर्ट आने के पश्चात इस पर आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

डा. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र में पीने के पानी की भी बहुत समस्या है। दक्षिणी हरियाणा के विधायक पिछले सत्रों में भी इस मुद्दे को उठाते आये हैं लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। इस समस्या का कंक्रीट सोल्यूशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग का आपस में तालमेल नहीं बनेगा। हम जब जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहते हैं कि नहर आधारित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाओ तो वे कहते हैं कि पानी की जब तक उपलब्धता नहीं होगी तब तक प्रोजैक्ट रिपोर्ट नहीं बना सकते। माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे दक्षिणी हरियाणा के जिन गांवों में ग्राउंड वाटर पीने लायक नहीं हैं उनके लिए पानी उपलब्ध करवायें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

To Open AIIMS in Jind

***997. Shri Hari Chand Middha :** Will the Health Minister be pleased to state:-

(a) whether any New Medical Ploicy has been framed by the State Government in the State during the year 2015-16; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open AIIMS in Jind under the New Medical Policy; if so, the time by which it is likely to be opened.

Health Minister (Anil Vij) :

(a) No, Sir.

(b) Therefore, this question does not arise.

श्री हरी चंद मिद्ढा : अध्यक्ष महोदय, हमारे परम आदरणीय मंत्री जी जींद के सरकारी हॉस्पीटल का निरीक्षण करके आये थे और इन्होंने स्वयं देखा था कि जीन्द के हॉस्पीटल की सबसे खराब हालत है। वहां पर न तो डाक्टर हैं और न ही दूसरा स्टॉफ है। इसके अतिरिक्त दवाईयां भी बिलकुल नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, जीन्द हरियाणा का सैंटर है और हरियाणा का दिल है लेकिन मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं में देकर दिल को तार-तार कर दिया है। मंत्री जी मोबाईल तो नहीं रखते लेकिन इनके चेहरे पर स्माईल है। मेरा इनसे अनुरोध है कि केवल स्माईल से काम न चलायें और हमारे जीन्द हॉस्पीटल का काम करके दिखायें। अध्यक्ष

महोदय, आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से फिर से विनती है कि आज जीन्द निराश है और मंत्री जी से हमें बहुत आशा है इसलिए जीन्द के हॉस्पीटल को नई जिन्दगी देने की कृपा करें ताकि वहां लोगों का सही इलाज हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप भी मंत्री जी से सिफारिश करें। मैं एक फकीर हूं और फकीर को खाली हाथ नहीं भेजते।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं मिढ्डा साहब को सबसे पहले तो यह बताना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि ये अपने कामों को करवाने के लिए आपको कष्ट दें और अपने कामों को करवाने के लिए आपसे मुझे सिफारिश करवायें क्योंकि मैं तो इनकी बात सीधे-सीधे ही मान लेता हूं।

श्री हरी चंद मिढ्ढा : स्पीकर सर, माननीय मंत्री राजा हैं और मैं एक फकीर हूं इसलिए मैं अपने कामों के लिए इनके आगे झोली फैलाता हूं और कहना चाहता हूं कि ये मुझ फकीर को खाली न जाने दें और मेरी झोली भर दें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मिढ्डा साहब को यह कहना चाहता हूं कि इनके सभी काम कर दिये जायेंगे और इनकी झोली भर दी जायेगी। माननीय साथी दो-तीन दिन से जींद के सिविल अस्पताल की यहां पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमने केवल मात्र जींद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्ज़ और दूसरे बड़े सरकारी हॉस्पिटल्ज़ की एन.ए.बी.एच. की एक्रीडिशन करवाने के आदेश जारी कर दिये हैं। इस प्रकार से हम पूरे हरियाणा प्रदेश के 84 अस्पतालों को एन.ए.बी.एच. करवा रहे हैं। मिढ्डा साहब ने जो जींद के हॉस्पिटल के बारे में यहां पर बताया है इनकी बात पूरी तरह से सही है क्योंकि मैंने भी जींद के इस हॉस्पिटल के हॉल को अपनी आंखों से देखा है। वहां पर सभी प्रकार की सुविधाओं की बहुत ही बुरी हालत है। मैं वहां पर यह देखकर हैरान हो गया कि वहां पर लेडीज़ और जैन्ट्स का एक ही टॉयलैट बनाया हुआ था। लेडीज़ और जैन्ट्स उसी एक मात्र टॉयलैट का इस्तेमाल कर रहे थे। इस प्रकार से वहां पर आवश्यक सुविधाओं का इतना बुरा हाल था। इन सारी स्थितियों को देखते हुए हमने यही निर्णय किया है कि हम इन सभी को अपग्रेड करें और सबकी एन.ए.बी.एच. की एक्रीडिशन करवायें। इस मामले से सम्बंधित हमारी फाईल अप्रूव हो चुकी है। अभी इस बारे में थोड़ा सा काम बाकी है। मैं आपके माध्यम से इस पूरे सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने पूरे प्रदेश में 84 हॉस्पिटल्ज़ एन.ए.बी.एच. की एक्रीडिशन करवाने का फैसला किया है। हम प्रत्येक जिले के चार हॉस्पिटल्ज़ की एन.ए.बी.एच. की एक्रीडिशन करवायेंगे। मैं विशेष रूप से यह बताना चाहता हूं कि हम यमुनानगर के हॉस्पिटल की भी एन.ए.बी.एच. की एक्रीडिशन करवायेंगे। हम हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक सब-डिवीज़न हॉस्पिटल, एक सी.एच.सी. और एक पी.एच.सी. की एन.ए.बी.एच. की एक्रीडिशन करवायेंगे। माननीय स्पीकर सर, एन.ए.बी.एच. की एक्रीडिशन के बारे में मैं यहां पर पोजीशन क्लीयर कर देना चाहता हूं। एन.ए.बी.एच. की एक्रीडिशन का मतलब यह है कि वहां-वहां पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करवाने का प्रबंध किया जाए। बाकी की सभी आवश्यक सुविधायें हम अपने स्तर पर उपलब्ध करवा रहे हैं। एम.आर.आई. हम लगाकर दे रहे हैं। डायलैसिस की मशीन भी हम लगाकर दे रहे हैं। यह बात मैंने कल भी बताई थी कि as a pilot project हम हरियाणा प्रदेश के चार जिलों में कैथ लैब की सुविधा भी शुरू करने जा रहे हैं कि हम कैफ लैब भी लगा दें लेकिन हमारा यह प्रयास है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी

[श्री अनिल विज]
अस्पतालों का स्तर सुधरे और लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठायें। मैंने यह बात कल भी यहां पर बताई थी कि जब से हमारी सरकार ने सत्ता सम्भाली है तब से हरियाणा प्रदेश के लोगों का रूख सरकारी अस्पतालों की तरफ बढ़ा है। हमारी सरकार आने के बाद हमारी 15 परसैंट ओ.पी.डी. बढ़ी है।

श्री हरी चंद मिढ्ढा : स्पीकर सर, मंत्री जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं उपलब्ध हों इसके लिए ईमानदारीपूर्वक पूरी लगन और बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह रिकवैस्ट करना चाहता हूं कि ये जो-जो भी काम शुरू करना चाहते हैं उन सब की शुरूआत मेरे जींद शहर के सरकारी हॉस्पिटल से ही करें।

श्री अनिल विज : ठीक है स्पीकर सर, मैंने माननीय साथी श्री मिढ्डा जी की बात मान ली है।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : स्पीकर सर, पिछली सरकार ने एक घोषणा की थी कि जींद के अंदर एक नर्सिंग कालेज खोला जायेगा। इस घोषणा के बाद वहां पर नर्सिंग कालेज के लिए बिल्डिंग भी बन चुकी है लेकिन वहां पर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी यह नर्सिंग कालेज अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मैं माननीय स्पीकर सर के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह नर्सिंग कालेज कब तक शुरू कर दिया जायेगा।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, पिछली सरकार ने क्या-क्या किया अगर मैं यह बताना शुरू करूं तो यह सारे का सारा सैशन इसी में ही बीत जायेगा। सर, इस समय जो हमारा नर्सिंग काऊंसिल एक्ट है वह पंजाब का अडॉप्ट किया हुआ है। यहां तक कि आज तक उस एक्ट को अमैण्ड भी नहीं किया गया। उस एक्ट में नर्सिंग काऊंसिल के मैम्बर बनने के लिए जिन 16 इंस्टीच्युशंज़ का जिक्र किया गया है उनमें से 15 इंस्टीच्युशंज़ इस समय पंजाब में हैं। किसी भी सरकार के समय में उस एक्ट को खोलकर नहीं देखा गया। मैंने इस एक्ट को पढ़ा है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अब हम इस एक्ट को अमैण्ड कर रहे हैं। जब तक मेरे पास नर्सिंग काऊंसिल नहीं और नर्सिंग एक्ट नहीं है तब तक इस मामले मे कुछ नहीं किया जा सकता। हमारी यही कोशिश है कि जल्दी ही ऐसा नर्सिंग एक्ट बने जो हमारा अपना हो और उसके बाद नर्सिंग काऊंसिल का गठन किया जाये। यह सब होने के बाद ही इस दिशा में कोई कार्यवाही वास्तविक रूप में सम्भव हो पायेगी। पिछली सरकार ने नर्सिंग एक्ट और नर्सिंग काऊंसिल के बिना ही 175 नर्सिंग कालेज खोल दिये। उस समय कांस्टीच्युशनली कोई नर्सिंग काऊंसिल नहीं थी। उस समय यह होता था कि आदेश आते थे और नर्सिंग कालेज खोल दिये जाते थे। हम बिना निर्धारित कायदे कानून के कैसे काम कर सकते हैं। दूसरी बात मैं इस बारे में यह बताना चाहता हूं कि तत्कालीन सरकार द्वारा मैडीकल एजुकेशन का अलग से डिपार्टमैंट बना दिया लेकिन जो हमारे बिजनैस रूल्ज़ हैं उसमें उन्हें अलग से क्रियेट नहीं किया। ऐसा न होने के कारण उसमें सब कुछ हैल्थ डिपार्टमैंट के अंडर ही चल रहा था और जो मैडिकल हैल्थ डिपार्टमैंट था वह एक तरह से गैर-कानूनी तरीके से चल रहा था। पिछली कैबिनेट की मीटिंग में मैंने वह पास करवाया है। हम उसको बदल रहे हैं और जब चेंज करेंगे तो कौन सी काउंसिल का कौन वालीवारिस है यह तय होगा, हैल्थ करेगा या मैडिकल हैल्थ करेगा ? अब वह हमने तय कर दिया है कि मैडिकल हैल्थ में ही ये सारे काम होंगे। अब नर्सिंग एक्ट मैडिकल हैल्थ

डिपार्टमैंट बनायेगा अभी उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। जहाँ तक पिछले राज की बात की जाये तो पिछला राज तो अंधेर नगरी चौपट राजा था। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जाते-जाते 15 एम.पी.एच.डब्ल्यू कॉलेजिज को एन.ओ.सी. दे दी। हमारी सरकार बनने के बाद वे हमारे पास आये कि हमें एडमिशन देने की इजाजत दे दी जाये। हमने इजाजत नहीं दी तो वे कोर्ट में भी चले गये । हमने कहा कि पिछली सरकार ने एन.ओ.सी जारी की है इसलिए हम इसकी जाँच करवाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हमने जांच करवाई तो पता चला कि सितम्बर के महीने में ही एप्लीकेशन आई और उसी महीने में बिल्डिंग भी बन गई और सितम्बर में ही इन्सपैक्शन हो गया तथा सितम्बर में ही एन.ओ.सी. जारी कर दी गई। जब वह फाईल मेरे पास आई तो मैंने देखा कि एक ही महीने में ऐसा कौन सा अजूबा हो गया कि बिल्डिंग भी तैयार हो गई। हमने उसका इन्सपैक्शन दोबारा करवाया। अध्यक्ष महोदय, आप भी सुन कर हैरान होंगे और पूरा सदन भी सुन कर हैरान होगा कि पहली इन्सपैक्शन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, लाईब्रेरी बनी हुई है, लैब बनी हुई है। जब हमारी इन्सपैक्शन कमेटी वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर खेत ही खेत थे कोई बिल्डिंग नहीं थी। किसी एक-आध को छोड़कर सभी इन्स्टीच्यूशन में यही हालात थे। मैंने इसकी जाँच विजिलैंस को दे दी है कि किन लोगों ने वह गलत रिपोर्ट दी तथा किन लोगों के कहने से कागज दिये गये और क्यों मैडिकल ऐजूकेशन का बेड़ा गर्क किया गया। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की सारी कहानियाँ अगर मैं बताने लगूँगा तो एक अलग से सैशन बुलाना पड़ेगा।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, इस काम के लिए मैं मंत्री जी की ताईद करता हूँ। उस समय पूर्व मंत्री श्री आफताब अहमद ने श्री संसार चन्द डायरैक्टर के साथ मिल कर बहुत भ्रष्टाचार किया था और वह डायरैक्टर आज के दिन भी आपकी सरकार ने रखा हुआ है। अब तो आपकी सरकार आ गई है, आप आज भी उस अंधेर नगरी के अंधे राजाओं को क्यों चला रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी आपको फोटोज दी थी कि ऑप्रेशन थियेटरों में बहुत गंदगी है और मैडिकल कॉलेज में कुत्ते घूम रहे हैं। मैं यह बात आज फिर मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ। जो मैडिकल कॉलेज का वेस्ट मैटीरियल ह्यूमनबींग के लिए खतरनाक है वह मैडिकल कॉलेज के आगे पड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि 19.08.2015 को मुख्य सचिव महोदय नूंह के हॉस्पिटल में गये थे वहाँ पर सीवर की लाईन किचन में टपक रही थी और नीचे बाल्टी रखी हुई थी। उस समय मुख्य सचिव ने उसको ठीक करने के लिए कहा। मैं कोई भी गलत बात हाउस में नहीं कहता हूँ अगर कोई बात गलत हो तो मंत्री जी इसकी इन्कवायरी करवा लें। इसमें विशेष जांच की आवश्यकता है और तुरन्त प्रभाव से उस डायरैक्टर को बदला जाये। अध्यक्ष महोदय, पिछली 1 तारीख को मेरी धर्मपत्नी को अचानक हर्ट अटैक की शिकायत हो गई। वह इमरजैंसी में एडमिट हो गई और जब मैं इमरजैंसी में गया तो जिस गद्दे पर वह लेटी हुई थी उस गद्दे पर चद्दर नहीं थी और उनसे पहले का किसी मरीज का खून पड़ा हुआ था। ये हालात तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। वहाँ पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब मुख्य सचिव महोदय उस दौरे पर गये थे तो उस किचन को बंद कर दिया गया था और वहाँ पर इतना रूम फ्रैशनर छिड़का गया कि रूम फ्रैशनर की बदबू आने लगी थी। इसलिए कांग्रेस के समय के उस अधिकारी को बदला जाये। मैंने नूंह के सरकारी हॉस्पीटल की तस्वीरें कल भी हाऊस में दिखाई थी और आज फिर दिखा रहा हूँ।

(इस समय नूंह के सरकारी हॉस्पीटल की फोटोज स्वास्थ्य मंत्री जी को सौंपी गई।)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह कुछ दस्तावेज आए हैं। अगर किसी और सदस्य के पास भी कोई दस्तावेज हों तो वह हमें मुहैया कराएं and I declare on the floor of the House that a high level enquiry will be conducted into all these corruption cases.

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, जिला कैथल में पिछली सरकार के समय में मैंने सुना था कि कैथल में कोई मिनी पी.जी.आई. खुला है। वैसे तो यह प्रश्न से बाहर की बात है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कैथल में कोई मिनी पी.जी.आई. का प्रोविजन था? इसके साथ मैं मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि कैथल में भी एक मैडिकल कॉलेज जरूर बना देना क्योंकि कैथल से आपके मैडिकल कॉलेज का जो दायरा है वह करीब 70-70 किलोमीटर दूर पड़ता है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या पिछली सरकार के समय में कैथल में कोई मिनि पी.जी.आई. बनाने का कोई प्रोविजन था ? इस बात को जनता जानना चाहती है। अगर नहीं था तो आप वहां पर एक मैडिकल कॉलेज जरूर बनवा देना ।

श्री अनिल विज : जयप्रकाश जी, आपने पिछले सैशन में भी लौबी में मुझसे यह सवाल पूछा था। मैंने इसके लिए सारी फाईलें ढूंढ ली मुझे एक भी कागज ऐसा नहीं मिला जिसमें मिनी पी.जी.आई. लिखा हो। आप पिछली सरकार के साथ रहे हैं और आप उनके अच्छे जानकार भी हैं जिसका आपको पता है कि वह झूठ को कैसे असली बनाकर पेश करते हैं।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं कैथल वालों के साथ नहीं था। कैथल का जो रिप्रजैंटेटिव था उसके बारे में मंत्री जी मैंने आपसे यह इसलिए जानना चाहा है क्योंकि कुछ नेताओं ने अपनी राजनिति के लिए वहां के लोगों को गुमराह किया है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हम वही बोलेंगे जो सरकारी रिकॉर्ड में होगा और सरकारी रिकॉर्ड में ऐसी मिनी पी.जी.आई. वाली कोई बात नहीं है। सरासर कैथल के लोगों के साथ धोखा किया गया, उनसे झूठ बोला गया है और झूठ पर चाशनी लगाकर खिलाई गई।

Problem of Antelopes

***1003. Shri Kehar Singh :** Will the Forest Minister be pleased to state whether it is a fact that central Government has given permission to kill antelopes in Bihar; if so, whether there is is any proposal under consideration of the Government to tackle the problem of antelopes in the state together with the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान जी, विवरण अनुबंध-1 पर सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अनुबंध-1

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 62 में प्रदत्त शक्तियों के तहत केन्द्र सरकार अनुसूची-I व अनुसूची-II के भाग में निर्दिष्ट के इलावा कुछ जंगली जानवरों को विशिष्ट क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिये पीड़क जंतु घोषित कर सकती है। नीलगाय (एंटीलोप) को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-II में शामिल किया गया है।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा1 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना से बिहार राज्य में नील गाय व जंगली सूअर को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये पीड़क जंतु घोषित किया गया है।

यदि कोई वन्य जीव, मानव जीवन या सम्पति के लिये खतरनाक हो गया हो तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-II (ख) में प्रदत्त शक्तियों के तहत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अथवा प्राधिकृत अधिकारी अनुसूचि-II,III और IV में निर्दिष्ट वन्य जीव को मारने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

हरियाणा सरकार ने सम्बन्धित जिले के वन मण्डल अधिकारियों को सम्बोधित पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नीलगाय को मारने का परमिट जारी करने के लिये अधिकृत किया हुआ है।

पिछले 8 वर्षों (2007-09 से 2015-16) में 136 नीलगायों को मारने हेतु 42 परमिट जारी किये गये हैं। परन्तु वास्तव में केवल 2 नीलगाय ही मारी गई।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसानो की जो गाढ़े खून पसीने की कमाई से दिन-रात मेहनत करके जो फसल तैयार की जाती है उसे नील गायों के माध्यम से और जंगली जानवरों के माध्यम से बर्बाद कर दी जाती हैं उसके लिए सरकार और विभाग क्या करने जा रहा है उसका विवरण मैं जानना चाहता हूं।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो नील गाय हैं वैसे तो यह हिरण प्रजाति का एक बड़ा जानवर है जिसको हमारे हिन्दु धर्म के अनुसार नील गाय कहते हैं इसके नाम के साथ गाय शब्द लगने से उसको बहुत कम लोग मारते हैं। इस संबंध में हमारे सदस्य का प्रश्न है कि बिहार के बहुत से जिलों में इसको मारने की परमिशन दे दी है। हमने भी पिछले आठ सालों में इनको मारने के लिए तकरीबन 42 परमिट दिये हैं लेकिन 42 परमिट देने के बाद भी केवल दो नीलगाय मारी गई हैं। सरकार इस संबंध में प्रस्ताव ला रही है जिसमें जल्दी ही नीलगाय का नाम हम रोज करने जा रहे हैं और जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी सरकार उसको मारने की इजाजत देगी।

श्री टेक चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने कहा है कि हम इसका नाम बदलने जा रहे हैं क्योंकि हम गऊ हत्या के बारे में यह कहेंगे कि नील गाय की बजाए इसका नाम चेंज किया जाए क्योंकि गाय शब्द आते ही इस नाम से भावनाएं जुड़ जाती है।

———————

To Construct an Underpass

***1013. Shri Anoop Dhanak :** Will the PW (B & R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct an underpass on the Railway line in Uklana Mandi togetherwith the time by which it is likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान जी; नही। इसलिए समय-सीमा का सवाल ही नहीं उठता ।

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारी उकलाना मण्डी दो भागों में बंटी हुई है जिसकी एक साईड में सरकारी अस्पताल है। थाना भी उसी साईड में है और बी.डी.ओ. ब्लॉक भी उसी साईड में है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों वहां पर ऐसी घटना घटी कि वहां पर डकैती हो गई तो इसी समस्या को लेते हुए वहां फाटक बन्द थी और फाटक खुलते-खुलते जाम लगा हुआ था तो जब वहां पुलिस आई तो उससे पहले डकैत वहां से भाग गये थे तो मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हम पिछले दिनों हमारे सांसद श्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में डी.आर.एम. अम्बाला से मिले थे तो डी.आर.एम. साहब ने आश्वासन दिया था कि आपकी हरियाणा सरकार अगर बजट देने के लिए तैयार है तो हम आर.यू.बी. की परमिशन देने के लिए तैयार हैं। अत: मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हमारा यह आर.यू.बी. बनाया जाए क्योंकि यह बहुत ही मेजर समस्या है। इसलिए इस समस्या का निदान करने के लिए यह आर.यू.बी. बनाया जाए।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस आर.यू.बी. का जिक्र हमारे साथी ने किया है उसके लिए जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार अगर वहां से रोजाना एक लाख ट्रैफिक का आना-जाना है तब जाकर वहां पर आर.यू.बी. बनाया जाता है लेकिन वहां कुल 56-57 हजार ट्रैफिक है जिसकी हमने वैरीफिकेशन करवाई है। माननीय सदस्य ने जो दो आर.यू.बी. की मांग की है उस सबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग के दौरान चर्चा की गई थी। माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि उनके द्वारा डिमांड किए गए दो आर.यू.बी. में से उकलाना आर.यू.बी की डिमांड वॉयबल बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि मैं कई बार उस सड़क से गुजरा हूँ वहां पर दिक्कत आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि अगले वित्त वर्ष में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके क्षेत्र में यह आर.यू.बी. बनाया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के तहत सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Replace the Obsolete Electric Wires

***1030. Shri Mool Chand Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the obsolete electric wires of Mohana road and Tigoan road in Ballabgarh Assembly constituency; if so, the time by which these wires are likely to be replaced?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, नही। विभिन्न क्षेत्रो में तारों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर बदला।

Construction of Kutabar Bridge

***1076. Shri Ramchand Kamboj :** Will the PW (B & R) Minister be pleased to state the time by which the construction work of Kutabar Bridge of Rania Assembly constituency is likely to be started togetherwith the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : इस संबंध में कथन सदन के पटल पर रख दिया गया है।

कथन

प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 13/29/2012-2 बी0 एण्ड आर0 (डब्लू) दिनांक 24-09-2015 द्वारा 1633.08 लाख रुपये की जारी कर दी गई है।

पुल के पहुंच निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए इस अवस्था में समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

To upgrade the Electricity Supply System

***1080. Shri Nagender Bhadana :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the electricity supply system in NIT Faridabad constituency; if so, the time by which the work on the abovesaid proposal is likely to be started?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी हां। कार्य पहले ही प्रगति पर है।

Supply of Water

***1127. Smt. Renuka Bishnoi :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the water works constructed near the village Kutubpur for improving the water supply is not fully functional; if so, the reasons there of;

(b) the time by which the abovesaid waterworks is likely to be connected to the different areas of city to supply the drinking; and

(c) whether any action will be taken by the Government against the officers held responsible for delaying the functioning of the water works?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

To Lay down the Astroturf in Hockey Stadium

***1145. Shri Prithi Singh :** Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to lay down Astroturf in Hocky ground and Athletics Track in the Navdeep Stadium in Narwana city; if so, the time by which the Astroturf if likely to be laid down?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नही श्रीमान जी।

Scheme to promote Horticulture

***1280. Shri Jasbir Singh :** Will the Agriculture Minister be pleased to state:-

(a) whether the Government is formulating and scheme to promote the Horticulture; if so, the details thereof;

(b) the policy of the state to promote cash crops in the state; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to impart the training of green house farming or to set up Training Institute for the farmers in each district of the State?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, इसकी सूचना सदन के पटल पर रखी गई है।

सूचना

सरकार ने वर्ष 2015-16 में 18 योजनाओं को लागू किया और वर्ष 2016-17 में 2 और योजनाएं बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए स्वर्ण जयंती योजना के तहत लागू कर रही है। विवरण संलग्न है। नकदी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की अलग से कोई नीति नही है। यद्यपि सरकार राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से ही बागवानी को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार बागवानी प्रशिक्षण संस्थान, उचानी, करनाल और सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र, घरौन्डा, करनाल में किसानों को मौजूदा कृषि मानव संसाधन विकास नामक प्लान स्कीम के तहत प्रशिक्षण प्रदान करवा रही है।

उद्यान विभाग, हरियाणा

बजट अनुमान 2015-16

क्र0 सं0	स्कीम का नाम	बजट अनुमान 2015-16
	2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें भाग-I राज्य योजना स्कीमें	रुपये लाख में
1.	हरियाणा बागवानी निदेशालय की स्थापना (94)	320.00
2.	कृषि मानव संसाधन विकास योजना (92)	215.00
3.	हरियाणा में खाद्य संसाधन प्रौद्योगिकी एवं प्रदर्शन (70)	48.00
4.	हरियाणा राज्य में बागवानी जैव केन्द्र हेतू योजना (66)	330.00
5.	हरियाणा राज्य में उद्यान विकास समेकित योजना लागू करने बारे (65)	825.00
6.	फलों व सब्जियों में उत्तम कृषि अभ्यास तथा कीटनाशी के अवशेष की स्कीम (61)	116.00
7.	उद्यान में सूचना तकनीक के लिए स्कीम (60)	100.00
8.	उद्यान विभाग के विस्तार के लिए स्कीम (59)	760.00
9.	बागवानी क्षेत्र में आधुनिक राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय तकनीकों के प्रोत्साहन हेतु प्लान योजना (58)	1046.00
10.	789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-अनुसूचित जाति वर्ग के लिए समेकित बागवानी विकास विकास हेतू योजना (98)	400.00
11.	उद्यान सांख्कीय प्रणाली हेतु योजना (56)	1.00
12.	बागवानी किसानों के लिए खेत पर मदद व विपणन प्रोत्साहन (54)	1.00
13.	बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना (53)	1.00
योग	**भाग-I राज्य योजना स्कीमें**	**4163.00**
	भाग-II केन्द्रीय योजना स्कीमें (शेयरिंग बेसिज)	
14.	सूक्ष्म सिंचाई योजना (72)	6380.00
15.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (69)	13000.00
16.	हरियाणा में उद्यान फसलों की बीमा योजना (63)	50.00
17.	रेशम उत्पादक हेतू उत्प्ररेक विकास योजना (62)	52.00
योग	**भाग-II केन्द्रीय योजना स्कीमें (शेयरिंग बेसिज)**	**19482.00**
	भाग-III केन्द्रीय आयोजित स्कीमें (100 प्रतिशत)	
18.	औषधीय वनस्पतियों पर राष्ट्रीय अभियान (55)	300.00
योग	**भाग-III केन्द्रीय आयोजित स्कीमें (100 प्रतिशत)**	**300.00**
योग	**2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें**	**23945.00**

Construction of New Link Roads

***1173. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new link-roads between villages in the Julana Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which these are likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान जी। जुलाना निर्वाचन क्षेत्र में तीन योजक सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजक सड़क	स्थिति	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	समिति
1	गांव लजवाना खुर्द से ढ़िगाना	निर्माणाधीन	30-4-2016	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
2	गांव रामकली से फतेहगढ़ तथा लजवाना खुर्द सड़क	17-12-2015 को स्वीकृत की गई	2016-17 में शुरु की जानी है	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
3	उत्तरी बाई-पास से गांव किशनपुरा (राजा वाली गोर) नई योजक सड़क	26-11-2015 को स्वीकृत की गई	2016-17 में शुरु की जानी है	लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें)

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Providing Medicines to the Patients

***239. Shri OmParkash Barwa :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide medicines to the patients suffering from Haemophilia in the Government Hospitals of district Bhiwani?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : हां श्रीमान जी, जिला भिवानी के सरकारी अस्पताल सहित सभी सरकारी असपतालों में हीमोफिलिया से पीडित रोगियों को दवाईयां (एंटी हीमोफिलिया फैक्टर VIII व IX) वितरित की जा रही हैं।

Norms Fixed for the safety of Environment

249. Shri Nagender Bhadana : Will the Mines and Geology Minister be pleased to state:-

(a) the norms fixed for the Gujarat Enviro Protection and Infrastructure Pvt. Ltd. Company, Village pali near Pali-Mohtababad stone crusher zone established in Faridabad; and

(b) whether the above said company is fulfilling all the norms fixed for the safety of environment and human life.; if so the details of inquiry report of the said company for the last five years?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क व ख): केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय (एम0ओ0ई0एफ0 और सी0सी0) भारत सरकार द्वारा विकसित प्रोटोकॉल में स्थापना और ऑपरेशन उपचार, भण्डारण तथा निपटान सुविधाएं (टी0एस0डी0एफ0) का मतलब खतरनाक उद्योगों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का प्रबन्धन के लिए मौजूद सुविधाएं http/www.cpcb.nic.in/uploadNewItems/NewItem_149_Protocol.pdf पर उपलब्ध है और दस्तावेज के वोल्यूम को ध्यान में रखते हुए उत्तर के साथ यहां संलग्न नही है।

इन सुविधाओं को भरस्क संयन्त्र से उत्सर्जन, फर्श धोने से उत्सर्जीत जल तथा गीला स्क्रबर के लिए निर्धारित मानकों का अनुपालन करना होता है एवं राष्ट्रीय वायु गुणवता मानकों पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के प्रावधानों के तहत और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से जल (निवारण एवं प्रदूषण के नियन्त्रण) अधिनियम, 1974, वायु (निवारण एवं प्रदूषण के नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं निपटान) नियम, 1989 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त करनी होती है। मानक अनुसूची 1 पर्यावरण (संरक्षण) 5 वें संशोधन नियम, 2008 के अर्न्गत दिए गए हैं और **अनुबन्ध-क** में संलग्न है।

मैसर्ज गुजरात इन्वायरो प्रोटेक्शन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर (हरियाणा) प्रा0लि0 द्वारा संचालित टी0एस0डी0एफ0 गांव पाली, नजदीक पाली मोहबताबाद स्टोन क्रैशर जोन फरीदाबाद में उपरोक्त सभी मानदण्डों का पालन कर रहा है। भस्मक सयंन्त्र से उत्पन्न उत्सर्जन और अपशिष्ट जल के मानकों के अनुपालन की जांच के बाद जो कि एचएसपीसीबी और एम0ओ0ई0एफ0 एवं सी0सी0 द्वारा प्रमाणित सत्यापित प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया है एचएसपीसीबी प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों के अन्तर्गत सहमति प्रदान कर रहा है। मैसर्ज गुजरात इन्वायरो प्रोटेक्शन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर (हरियाणा) प्रा0लि0 द्वारा संचालित टी0एस0डी0एफ0 के पैरामीटर का पिछले पांच वर्षों (2012-2016) के लिए उत्सर्जन मानकों के अनुपालन का विवरण **अनुबन्ध-ख** में संलग्न है।

अनुबन्ध-'क'

Note:-

(i) All effort shall be made to reuse and re-circulate the water and to maintain 'Zero discharge'

(ii) Stormwater drain shall be provided within the premises of the industry so as to avoid mixing with effluent].

1[100. COMMON HAZARSOUS WASTE INCINERATOR

	A. Emission	
	Limiting concentration	Sampling Duration in in mg/Nm3 (minutes)
	unless stated	unless stated
Particulate matter	50	30
HCL	50	30
SO2	200	30
CO	100	30
	50	24 hours
Total Organic Carbon	20	30
HF	4	30
NOx (NO and NO2 expressed as NO2	400	30
Total dioxins and furans	0.1 ngETQ/Nm3	8 hours
Cd+Th-their compounds	0.05	2hours
Hg and its compounds	0.05	2hours
Sb+As+Pb+CO+ Cr+Cu+Mn+Ni+ V+their compounds	0.50	2hours

[1] Inserted by Rule 2 of the Environment (Protection) Fifth Amendment Rules, 2008 notified by G.S.R 481 (E), dated 26-6-2008.

Note:-

(i) All monitored values shall be corrected to 11% oxygen on dry basis.

(ii) The CO^2 concentration in tail gas shall not be less than 7%.

(iii) In case, halogenated organic waste is less than 1% by weight in input waste, all the facilities in twin chamber incineratiors shall be designed to achieve a minimum temperature of 950oC in secondary combustion chember and with a gas residence time insecondary combustion chamber not less than 2 (two) seconds.

iv In case halogenated organic waste is more than 1% by weight in input wast, waste shall be incinerated only in twin chamber incinerator and all the facilities shall be designed to achieve a minimum temperature of 1100oC in secondary combustion chamber with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than 2 (two seconds.)

v Incineration plants shall be operated (combustion chamber) with such temperature, retention time and trubulence, as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the slag and bottom ashes less than 3%, or their loss on ignition is less than 5% of the dry weight].

B. Wastewater

i Wastewater (scrubber water and floor washings) shall be discharged into receiving water conforming to the norms prescribed under. Schedule VI: General Standards for Discharge of Environment Pollution (Part A: Effluents) notified under the Environment (Protection) Rules, 1986.

ii The built up in Total Dissolved Solids (TDS) in wastewater of floor washings shall not exceed 1000 mg/I over and above the TDS of raw water used.

[1][102, REFRACTORY INDUSTRY

[1][SCHEDULE VII]

[See Rules 3 (3B)]

NATIONAL AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS

S. No.	Pollutant	Time Weighted Average	Concentration in Ambient Air: Industrial, Residential, Rural and other Area	Concentration in Ambient Air: Ecologically Sensitive Area (notified by Central Government)	Methods of Measurement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sulphur Dioxide (SO2), ug/m3	Annual*	50	20	-Improved West and Gaeke
		24 hours**	80	80	-Ultrviolet fluorescence
2	Nitrogen Dioxide (NO2)ug/m3	Annual*	40	30	-Modified Jacob & Hochheiser (Na-Arsenite) - -Chemiluminescence
		24 hours**	80	80	
3	Particulate Matter (size less than 10um) or PM10 ug/m3	Annual*	60	60	-Gravimetric -TOEM
		24 hours**	100	100	-Beta attenuation
4	Particulate Matter (size less than 2.5um) or PM2.5 ug/m3	Annual*	40	40	-Gravimetric -TOEM
		24 hours**	100	100	-Beta attenuation
5	Ozone (O3) ug/m3	Annual*	40	40	-UV photometric
		8 hours**	100	100	-Chemiluminescence
		1 hours**	180	180	-Chemical Method
6	Lead (Pb) ug/m3	Annual*	0.50	0.50	-AAS/ICP method after sampling on EMP2000 or equivalent filter paper -ED-ERF using Teflon filter
		24 hours**	1.0	1.0	
7	Carbon Monoxide (CO) mg/m3	8 hours**	02	02	-Non Dispersive Infra Red (NDIR) spectroscopy
		1 hours**	04	04	
8	Ammonia (NH3) ug/m3	Annual*	100	100	-Chemiluminescence
		24 hours**	400	400	-Indophenol blue method
9	Benzene (C6H6) ug/m3	Annual*	05	05	-Gas chromatography -based continuous analyzer -Adsorption and Desorption followed by GC analysis
		24 hours**	400	400	

[1]Substituted by Rules 3 of the Environment (Protection) Seventh Amendment Rules, 2009 notified by G.S.R. 826 (E) dated 16-11-2009.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Benzo (a) Pyre ne (BaP)- particulate phase only, ng/m3	Annual*	01	01	-Solvent extraction followed by HPLC/GC analysis
11	Arsencic (As), ug/m3	Annual*	06	06	-AAS/ICP method after sampling on EMP 2000 or equivalent filter paper
12	Nickel (Ni), ug/m3	Annual*	20	20	-AAS/ICP method after sampling on EMP 2000 or equivalent filter paper

* Annual arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year at a particular site taken twice a week 24 hourly at uniform intervals.

** 24 hourly or 08 or 1 hourly monitored values, as applicable, shall be complied with 98% of the time in a year 2% of time, they may exceed the limits but not on two consecutive days of monitoring.

Note.— Whenever and wherever monitoring results on two consecutive days of monitoring exceed the limits specified above for the respective category, it shall be considered adequate reason to institute regular or continuous monitoring and further investigation.]

[File No. Q-15017/43/2007-CWP]
RAJEESH DUBE, Jr. Secretary

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India vide Number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433 (E0 dated 18th April, 1987, S.O. 64 (E) dated the 18th January, 1988, S.O. 8 (E) dated the 3rd January, 1989, S.O. 190 (E) dated the 15th March, 1989, G.S.R. 913 (E) dated the 24th October, 1989, S.O. 12 (E), dated the 8th January, 1990, GSR 742 (E), dated 30 August 1990, S.O. 23 (E) dated the 12th February, 1992, GSR 329 (E) dated the13th March, 1991, GSR 475 (E) dated the 5th May, 1992,GSR 797 (E) DATED THE 1ST 0ctober, 1992, GSR 386 (E) dated the 28 April, 1993, GSR 422 (e), dated the 19th May, 1993, GSR 80 (E) dated the 31st December, 1993, GSR 176 (E), dated the 2nd April, 1996, GSR 97 (E), dated the 18th February, 2009, GSR 149 (E), dated the 4 March, 2009, GSR 512 (E) , dated the 9th July, 2009, GSR 543 (E), dated the 22nd July, 2009, GSR 595 (E), dated the 21st August, 2009 and GSR 794 (E), dated the 4th November, 2009.

B. Wastewater

i Wastewater (scrubber water and floor washings) shall be discharged into receiving water conforming to the norms prescribed under. Schedule VI: General Standards for Discharge of Environment Pollutions (Part A: Effluents) notified under the Envirnment (Protection) Rules, 1986.

ii The built up in Total Dissolve Solids (TDS) in watewater of floor washings shall not exceed 1000 mg I over and above the TDS of raw water used.

[1][102. REFRACTORY INDUSTRY

[1][SCHEDULE -VI]

(See Rule 3A)

GENERAL STANDARDS FOR DISCHARGE OF ENVIRONMENTAL PLLUTANTS PART-A : EFFLUENTS

S. No.	Parameter	Standards			
		Inland surface water	Public Sewers	Land for irrigation	Marine coastal areas
1	2		3		
		(a)	(b)	(c)	(d)
1	Colour and odour	See 6 of Annexure-I	—	See 6 of Annexure-I	See 6 of Annexure-I
2	Suspended mg/I, Max.	100	600	200	(a) For process waste water-100 (b) For coolling water effiuent 10 percent above total suspended matter of infiuent.
3	Particulate size of Suspended solids	Shall pass micron IS Sieve	—	—	(a) Floatable solids, max. (b) Settleable solids, max. 850 microns.
[2]4	***	*	—	***	*
5	PhValue	5.5 to 9.0	5.5 to 9.0	5.5 to 9.0	5.5 to 9.0
6	Temperature	shall not exceed5°C above the receiving water temp-erature	— 1.0	— 1.0	shall not exceed 5°C above the receiving water temperature
7.	Oil and grease mg/IMax.	10	20	10	20
8.	Total residual Chlorin mg/IMax.	1.0	—	—	1.0

[1] *Schedule VI inserted by Rule 2 (d) of the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 1993 notified vide G.S.R. 422(E) dated 19.05.1993 published in the Gazette No. 174 dated 19.05.1993.*

[2] *Omitted by Rule 2(d)(i) of the Environment (Protection) Thrid Amendment Rules, 1993 vide Notification No. G.S.R. 801 (E), dated 31.12.1993.*

1	2	3			
		(a)	(b)	(c)	(d)
9.	Ammonical nitrogen (as N), mg/I, Max	50	50	—	50
10.	Total Kjeldahl Nitrogen (as NH^3) mg/I, Max	100	—	—	100
11.	Free ammonia (as NH^3)mgI,Max	5.0	—	—	5.0
12.	Biochemical Oxygen demand[1][3 days at 27°C]mg/I max.	30	350	100	100
13.	Chemical Oxygen Demand, mg/L,max.	250	—	—	250
14.	Arsenic (as As) mg/I,max	0.2	0.2	0.2	0.2
15.	Mercury (as Hg), mg/I, Max.	0.01	1.0	—	0.01
16.	Lead (as Pb) mg/I, Max.	0.1	1.0	—	2.0
17.	Cadmium (as Cd) mg/I, max.	2.0	1.0	—	2.0
18.	Hexavalent Chromium (as Cr+6), mg/I max.	0.1	2.0	—	1.0
19.	Total chromium (as Cr.) mg/IMax.	2.0	2.0	—	2.0
20.	Copper (as Cu) mg/IMax.	3.0	3.0	—	3.0
21.	Zinc (As Zn.) mg/I, max.	5.0	15	—	15
22.	Selenium (as Se.) mg/IMax.	0.05	0.05	—	0.05
23.	Nickel (as Ni) mg/IMax.	3.0	3.0	—	5.0
24.	***	*	*	*	*
25.	***	*	*	*	*

[1] *Substituted by Rule2 of the Environment (Protection) Amendment Rules, 1996 notified by G.S.R. 176, dated 2.04.1996 may be read as BOD (3 days at 27° C) wherever BOD5 days 20° C occurred.*

1	2	3			
		(a)	(b)	(c)	(d)
26.	***	*	*	*	*
27.	Cyanide (as CN) mg/I max.	0.2	2.0	0.2	0.2
28.	***	*	*	*	*
29.	Fluoride (as F) mg/Imax	0.2	15	—	15
30.	Dissolved Phosphates (asP) mg/I, max.	5.0	—	—	—
31.	***	*	*	*	*
32.	Sulphide (as S) mg/I, max.	2.0	—	—	5.0
33.	Phenoile compounds (as S) C^6H^5OH)mg/I, max.	1.0	5.0	—	5.0
34.	Radioactiv materials:				
	(a) Alpha emitter micro curie/ml.	10^{-7}	10^{-7}	10^{-8}	10^{-7}
	(b) Beta emitter micro curie/ml.	10^{-6}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-6}
35.	Bio-assay test	90% survival of fish after 96 hours in 100% effluent	90% survival of fish after 96 hours in 100% effluent	90% survival of fish after 96 hours in 100% effluent	90% survival of fish after 96 hours in 100% effluent
36.	Manganese (as Mn)	2mg/I	2mg/I	—	2mg/I
37.	Iron (as Fe)	3mg/I	3mg/I	—	3mg/I
38.	Vanadium (as V)	0.2mg/I	0.2mg/I	—	0.2mg/I
39.	Nitrate Nitrogen	10mg/I	—	—	20mg/I
40.	***	*	*	*	*

[1] *Omitted by Rule2(d)(i) of the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 1993 vide Notification No. G.S.R. 801(E), dated 31.12.1993.*

[1] *Omitted by Rule2(d)(i) of the Environment (Protection) Third Amendment Rules,1993 vide Notification No. G.S.R. 801(E), dated 31.12.1*993.

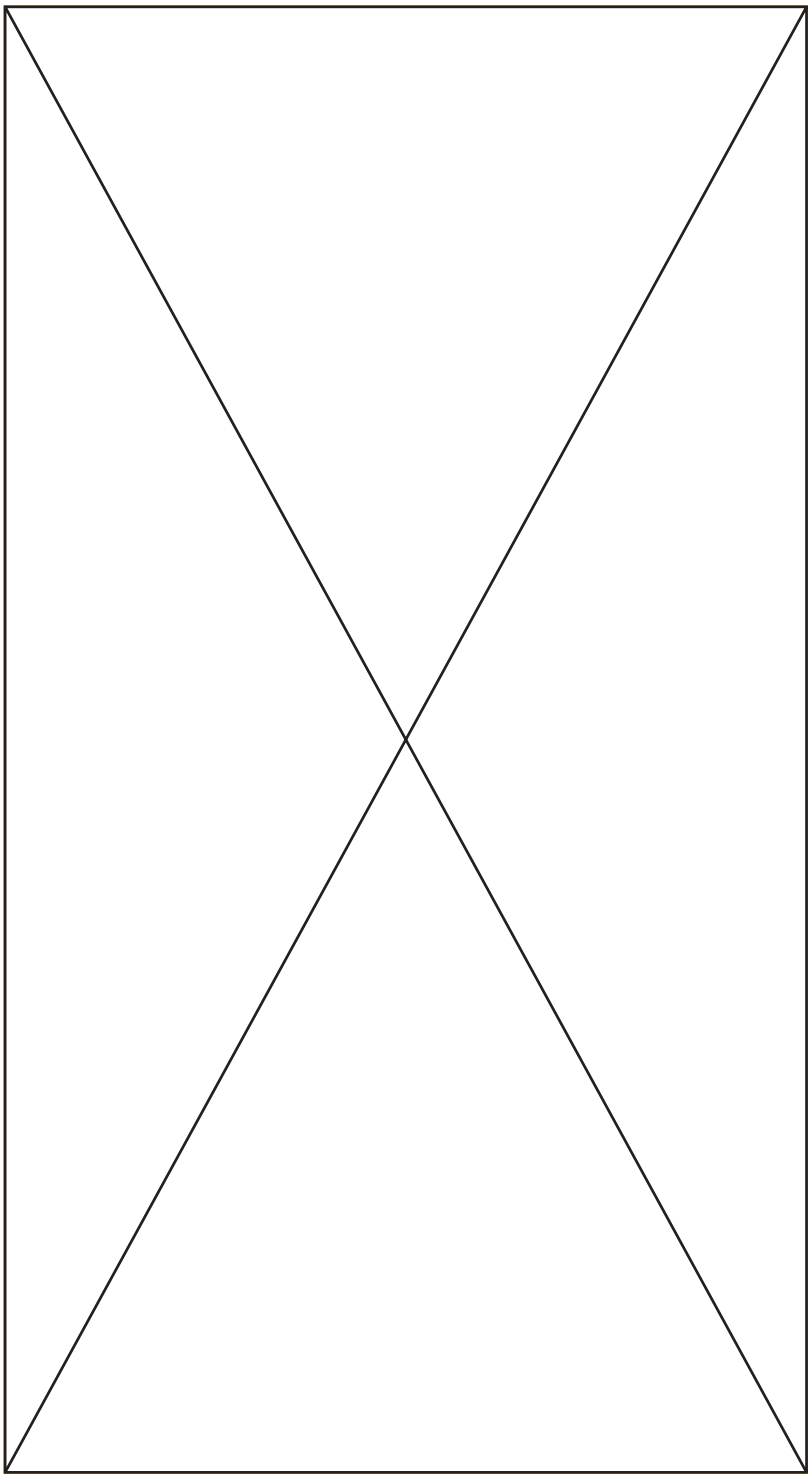

EPF and ESI Facility for the Temporary Employees

***251. Shri Prithi Singh :** Will the Labour and Employment Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start EPF and ESIfacility for the temporary employees and to frame policy to regularize the temporay employees; if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized."

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : ई0पी0एफ0 और ई0एस0आई0 से सम्बन्धित कानून सरकारी दफ्तरों पर लागू नहीं है। इसलिये अस्थाई कर्मचारियों को इस कानून के अंतर्गत लाने की कोई प्रस्तावना नही है।

अस्थाई कर्मचारियों की सेवायें नियमितीकरण नीति निर्धारण करने का मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

To Drain Out Dirty Water

***277. Shri Jasbir Singh :** Will the Development Panchayats Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for proper disposal of dirty water in the villages of Safidon assembly constiuency under the Swachh Bharat Abhiyan?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां श्रीमान जी, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अर्न्तगत सफीदों विधानसभा क्षेत्र के 17 गांवों के लिए 17 तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियाजनाए जिनके लिए 5.88 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

Out Put Status of Power Generation units

***256. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Chief Minister be pleased to state current output status of the various proposal generation units operationg within Haryana?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत की 1 से 4 पुरानी तथा अक्षम इकाईयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है इसलिए वे बंद पड़ी हुई हैं। अन्य सभी इकाईयां चालू हैं तथा मांग अनुसार समय-समय पर इन प्लांटों से बिजली शेड्यूल्ड है।

The Writings of Dr. Sukhi Ram Rawat

***265. Shri Kehar Singh :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to include the writings of Dr. Sukhiram Rawat in School curriculum; if so, the details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : जी नहीं, डॉ0 सुखी राम रावत का कोई लेख विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सदन की बैठकों/ कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री एक प्रस्ताव पेश करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, यह सारे सदन की इच्छा है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में सभी सदस्यों को भाग लेने का अवसर मिले इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज दूसरी बैठक भी बुला ली जाये और पहली बैठक दोपहर 1.30 बजे तक और दूसरी बैठक दोपहर 2.30 बजे शुरू की जाये। आज जो द्वितीय बैठक होगी उसमें प्रश्न काल नहीं होगा।

मैं यह भी सुझाव रखता हूँ कि 18 मार्च, 2016 को केवल एक बैठक की जाये और 18 मार्च, 2016 को होने वाली द्वितीय बैठक में पेश होने वाला वर्ष 2016-2017 का बजट माननीय वित्त मंत्री 21 मार्च, 2016 को पेश करें तथा बजट पर चर्चा व आगामी संबंधित मांगों को तद्नुसार 28 मार्च, 2016 की बजाये 29 मार्च, 2016 को पास करवा लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जैसाकि संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के सामने आज द्वितीय बैठक का प्रस्ताव रखा है तथा साथ ही कार्य सलाहकार समिति के बिजनैस में बदलाव का भी प्रस्ताव रखा है, यदि सदन की सहमति हो तो इसको स्वीकार कर लिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा तद्नुसार सदन की आगामी संशोधित कार्य सूची वितरित कर दी जायेगी।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में जो आरक्षण आंदोलन के दौरान दंगे हुए थे उस पर मैंने एक एडजर्नमैंट मोशन दिया था, जिसको 21 मार्च, 2016 के लिए लगाया गया था। हरियाणा विधान सभा की नियमावली के हिसाब से बजट पेश होने के बाद इस तरह का एडजर्नमैंट मोशन टेक अप नहीं किया जा सकता है। अत: मेरा अनुरोध है कि इस एडजर्नमैंट मोशन पर एक बार पुनर्विचार कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: जय प्रकाश जी, आपके एडजर्नमैंट मोशन को अगले दिन टेक-अप कर लिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि इस एडजर्नमैंट मोशन को बजट के अगले दिन न ले जाकर बजट से पहले कार्य दिवस पर टेक-अप कर लिया जाये तो बेहतर रहेगा। अध्यक्ष महोदय, पहले मोशन टेक-अप कर लीजिये, उसके बाद बजट पढ़ लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: जयप्रकाश जी, अगर रूल इसकी तसदीक करेंगे तो इस पर विचार कर लिया जायेगा।

नवीनीकरण किये गये एम.एल.एज.हॉस्टल, सैक्टर-3,चण्डीगढ़ में मोबाइल नैटवर्किंग की समस्या से संबंधित मामला उठाना

श्री परमिन्दर सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि यद्यपि आपने एम.एल.ए हॉस्टल का रेनोवेशन करवाकर बहुत अच्छा काम किया है लेकिन यहां पर न तो मोबाईल और न ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक से हो पा रही है। अगर सिग्नल आता भी है तो वह बहुत ज्यादा वीक है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब एम.एल.ए. हॉस्टल की तर्ज पर हरियाणा एम.एल.ए. हॉस्टल को भी वाई.फाई. करवाया जाना चाहिए। पंजाब की विधान सभा को भी वाई-फाई किया हुआ है इसलिए अपनी हरियाणा विधान सभा को भी वाई-फाई करवा दो। अगर यह चिंता है कि वाई-फाई कोई ओर यूज न करे तो एम.एल.ए. को उस वाई-फाई का पासवर्ड दे दो या फिर कोई अतिरिक्त टावर लगवा दो।

श्री अध्यक्ष: ढुल साहब, आज ही हम इस समस्या के कारणों को चैक करवा लेते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे माननीय सदस्यों को इस प्रकार की कोई समस्या भविष्य में पेश न आये।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव -

वृद्धावस्था पेंशनरों द्वारा सामना की जा रही समस्या संबंधी

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री जसविन्द्र सिंह संधू व तीन अन्य विधायक सर्वश्री परमिन्दर सिंह ढुल, अनूप कुमार तथा बलकौर सिंह द्वारा हरियाणा में बुजुर्गों को च्यारी पैंशन-थारे पासछ योजना का पूरा लाभ न मिलने बारे एक ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। श्री उमेश अग्रवाल, विधायक द्वारा भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-35 च्यारी पैंशन-थारे पासछ योजना के बारे में दी गई है। समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-35 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-19 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री उमेश अग्रवाल को भी इस पर सप्लीमैंटरी पूछने की अनुमति दी जाती है। श्री जसविन्द्र सिंह संधू, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़े।

श्री जसविन्द्र सिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मैं तथा परमेन्द्र सिंह ढुल, अनुप कुमार व बलकौर सिंह, विधायकगण इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक तथा अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश में बुजुर्गो को पेंशन देने के लिए सरकार अनेक योजनाओं का सहारा ले रही है लेकिन ये सभी योजनाएं विफल हो रही हैं। वर्तमान सरकार ने बैंकों द्वारा पेंशन देने के लिए "थारी पेंशन थारे पास" योजना बनाई है मगर इस योजना का पूरा लाभ पेंशनधारकों को नहीं मिल रहा क्योंकि सरकार ने जिन बैंकों को पेंशन देने के लिए प्रस्तावित किया गया है वे ग्रामीण इलाकों से दूर पड़ते हैं तथा बुजर्गो, विधवा तथा विकलांग दूर जाने में असमर्थ हैं व बैंकों में लम्बी-लम्बी लाईनों में लग कर पेंशन प्राप्त नहीं कर सकते जिन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान सरकार को "पेंशन वितरण" करना चाहिए। इस विभाग में ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए जो घर-घर जाके बुजर्गो, विधवाओं तथा विकलांगों को पेंशन वितरण करें। तभी सही माईनें में हम कह सकते हैं कि "थारी पेंशन थारे पास"। इसका लाभ यह होगा कि एक तो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा तथा दूसरी ओर बुजर्गो के पेंशन के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। सरकार इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर सदन में वक्तव्य दे।

श्री अध्यक्ष: अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देंगी।

वक्तव्य

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : सर्व प्रथम मैं माननीय विधायकों का आभार व्यक्त करती हूं कि उन द्वारा यह बहुत महत्वपूर्ण मामले को विधानसभा में उठाया गया है। यह कतई नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार की "थारी पेंशन, थारे पास" योजना असफल हुई है। और जिन बैंकों के माध्यम से पेंशन का वितरण बुर्जगों, विधवाओं या दिव्यांग व्यक्तियों में किया जाता है वह दूर पड़ते है तथा लाभपात्र इतनी दूर जाकर पेंशन प्राप्त करने में असमर्थ है।

हरियाणा सरकार वृद्धों, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं एवं दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन देते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इन योजनाओं के अन्तर्गत सभी 20,89,125 व्यक्तियों को 1400/- रुपये प्रतिमास प्रति व्यक्ति भत्ता/पेंशन की अदायगी की जाती है जिसमें से 13,68,355 वृद्ध व्यक्ति, 5,85,590 विधवा एवं निराश्रित महिलायें तथा 1,35,180 दिव्यांग व्यक्ति हैं। कुल 292.48 करोड़ रुपये की राशि मास फरवरी, 2016 की पेंशन वितरण हेतु मार्च, 2016 में जारी की जा चुकी है। सभी योजनाओं के तहत कुल 22.11 लाख लाभपात्रों को मार्च, 2016 में 304,2 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। साथ ही अब तक 12.8 लाख लोगों को 148 करोड़ राशि बतौर एरियर दिया जा चुका है। सभी लोगों द्वारा बढ़चढ़ कर खाते अपलोड कराना ही स्कीम की अदभुत सफलता का ध्योतक है। अब तक योजनानुसार अपलोड हुए खातों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

योजना	कुल लाभपात्र
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 1400/- रु0 प्रतिमास	13,75,133
दिव्यांग पेंशन 1400/- रु0 प्रतिमास	1,36,235
विधवा पेंशन 1400/- रु0 प्रतिमास	5,59,993
निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता (एक बच्चा) 500/- रु0 प्रतिमास	26,139
निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता (दो बच्चा) 500/- रु0 प्रतिमास	74,377

[श्रीमती कविता जैन]

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता 1400/- रु0 प्रतिमास	27,243
विस्थापित कश्मीरी परिवारों को वित्तीय सहायता 1000/- रु0 प्रतिमास	1
स्कूल न जा सकने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता 700/- रु0 प्रतिमास	6,038
किन्नर भत्ता 1400/- रु0 प्रतिमास	16
बौना भत्ता 1400/- रु0 प्रतिमास	22
कुल लाभपात्र	**22,35,197**

हरियाणा में वर्ष 2006 से पूर्व सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का वितरण गांवों में सर्कल राजस्व अधिकारियों की देख-रेख में पटवारियों के माध्यम से किया जाता था जबकि शहरों में नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा कार्यकारी अधिकारी/सचिव की देखरेख में राशि का विवरण किया जाता था। वर्ष 2006 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि की वितरण प्रणाली में परिवर्तन कर दिया गया और पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से वितरण शुरू कर दिया गया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि के वितरण में पारदर्शिता लाने तथा लाभपात्रों द्वारा अपनी आवश्यकता एवं सुविधानुसार राशि खाते से निकलवाने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2015 में पेंशन राशि का वितरण लाभपात्रों के खातों के माध्यम से किया जाना शुरू किया गया।

सरकार द्वारा लिए गये निर्णय की पालना के लिए, गांववार प्लानिंग का कार्य किया गया और पाया गया कि राज्य के 6756 गांवों में से केवल 1439 गांवों में बैंकों की शाखायें उपलब्ध थी। यह संख्या केवल 21 प्रतिशत गांवों को कवर करती थी, इसलिए लाभपात्र को पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलकर न जाना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए गांव की आवश्यकता अनुसार प्लानिंग का कार्य किया गया। विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त उपलब्ध साधनों के आधार पर 6 विभिन्न प्रणालीयों को अपनाया गया जैसे की बैंकों, डाकघरों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS), बिजनेंस कोरसपोंडेंट एजेंटों (बी0सी0ए0), वोडाफोन एम-पैशा एवं सार्वजनिक सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) पहले चिन्हित किया गया और तदासुसार खाते अपलोड करने शुरू किये गये।

जिन गांवों के अन्दर यह प्रणाली पहले से उपलब्ध नहीं थी, उन मामलो में प्रयत्तन करने उपरान्त अतिरिक्त बी0सी0ए0 नियुक्त किया गया और बैंकों एवं डाकघरों की शाखाओं एवं बी0सी0ए0 को उनके नजदीकी गांवों का कार्य दिया गया ताकि लाभपात्र अपनी पेंशन राशि को अपनी सुविधा एवं आवश्यकतानुसार राशि को बैंकों/डाकघर/बी0सी0ए0/पैक्स/एक-पैसा वोडाफोन/सी0एस0सी0 से निकलवा सकें। लाभपात्र अपनी पेंशन राशि को बैंक द्वारा दिये गये चैक/ए0टी0एम0 के माध्यम से भी निकलवा सकते हैं क्योंकि इस स्कीम में जनधन के खाते भी इस्तेमाल किये गये है। उक्त अतिरिक्त सभी बैंकों/एजेंसियों को उन लाभपात्रों जोकि नि:शक्तता अथवा वृद्धावस्था (80 वर्ष या इससे अधिक आयु) के कारण बिस्तर से उठने में असमर्थ है, की पेंशन राशि, उनके घर-द्वार पर ही वितरित करने के लिये हिदायतें जारी की गई हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

जिन बैकों/एजेंसियों, द्वारा पेंशन राशि का वितरण किया जा रहा है, उनका विवरण इस प्रकार हैं:-

क्र0 सं0	वितरण पद्धति	गावों की संख्या	प्रतिशत हिस्सा
1.	बैंक शाखायें	1439	21%
2.	डाकघर की शाखायें	816	12%
3.	बैंक के नजदीक गांव	1244	18%
4.	डाकघर के नजदीक गांव	599	9%
5.	गांव के ही कार्यरत बी0सी0ए0	988	15%
6.	बी0सी0ए0 के नजदीक गांव	178	3%
7.	गांव के बाहर के बी0सी0ए0	240	3%
8.	अतिरिक्त नियुक्त बी0सी0ए0	376	5%
9.	पैक्स/बिजनैस फैसिलीटेटर	807	12%
10.	वोडाफोन एम-पैसा एजेंट	67	1%
11.	नागरिक सेवा केन्द्र (बी0सी0ए0)	988	15%
	कुल	**6756**	

सब मिलाकर शहरी क्षेत्र में कोई मुख्य मुद्दा नहीं उठा लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 260 गांव 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर थे और इनमें से 249 गांव बैंकों को अलाट किये गये, 8 डाकघर को 1 वोडाफोन एम-पैसा को तथा 2 पैक्स के बिजनैस फैसलिटेटर को दिये गये है।

एक एक गांववार प्रगति हुई:

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का वितरण मास फरवरी, 2015 से (जिसका वितरण मार्च, 2015 में किया गया था) प्रारम्भ किया गया था जब 51 गांवों में बैंकों के माध्यम से पेंशन भेजी गई थी। उसके बाद मास मार्च की पेंशन जिसका वितरण मास अप्रैल, 2015 में किया गया 465 गांवों में खातों के माध्यम से भेजी गई। गांववार प्लानिंग का कार्य बढ़ने के साथ-साथ धीरे-2 खाते अपलोडिंग के कार्य को बढ़ाया गया जिसमें समाज का पूर्ण सहयोग मिला। मास दिसम्बर, 2015 की पेंशन जोकि मास जनवरी, 2016 में वितरित की गई, वह सभी गांवों एवं शहरों में सीधे खातों के माध्यम से वितरित की गई। 10 लाख लाभपात्रों के खाते खुलने के अवसर पर 4 अगस्त, 2015 को इसे "थारी पेंशन थारे पास" नाम दिया गया।

खातों के माध्यम से पेंशन दिये जाने के फायदों का विवरण इस प्रकार है:-

1. नगरपालिका के अधिकारियों/कर्मचारी के समय की बचत, जिससे वह अपने मूल कार्य को कर सकते हैं।
2. गांव के सरपंच, ग्राम सचिव एवं खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी अब इस कार्य से मुक्त है और वे अपने कार्यालय के कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए समय समर्पित कर सकते हैं।

[श्रीमती कविता जैन]

3. जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा कर्मचारी अन्य कल्याणकारी कार्यों, दिव्यांग कल्याण, बुजुर्ग तथा नशामुक्ति क्षेत्र में ज्यादा रूचि लेकर कार्य कर सकते हैं।

4. लाभपात्र अपनी सुविधा एवं आवश्यकतानुसार राशि निकलवा सकते है।

5. लाभपात्र अपने खाते से सम्बन्धित विवरण ऑन-लाईन देख सकते है। **http// socialijusticehry.gov.in.**

6. खातों में पेंशन राशि जाने से और अधिक पारदर्शिता आई है।

7. पेंशन वितरण एजेन्सी द्वारा के0वाई0सी0 को पेशेवर तरीके से किया जाता है तथा जिसके कारण दोहरी निष्पक्ष जांच हो पा रही है।

प्रगतिशील कार्य : "थारी पेंशन थारे पास"

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी नई परियोजना के क्रियान्वयन में योजना, ढ़ांचा खड़ा करना, अमल करना और फीडबैक द्वारा नई परियोजनायें कार्यन्वित करने का एक चक्र होता है और यह फीडबैक के द्वारा सीख कर ही आगे बढ़ने की प्रणाली है। इसलिए "थारी पेंशन थारे पास" स्कीम को "कार्य जो प्रगति पर" हैं और अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है ऐसा जानना चाहिए। हम हर इलाके से जानकारी एकत्रित करते रहते हैं ताकि रचनात्मक कार्यवाही शीघ्र ही की जा सके। और जो भी समस्या उस एरिया में नजर आती है उसके अनुसार हम योजनाओं के अंतर्गत फेर बदल करके सही रास्ते की और बढ़ सकें।

वितरण में सुधार हेतू विशेषत: गांवों से बैंक शाखा/डाकघर शाखा की दूरी को सुधारने के लिए उठाये जाने वाले कदम

21 जिलों के कार्यालयों के अतिरिक्त, दो हैल्पलाईन, एक वेबसाईडट तथा सी0एम0 विंडों के माध्यम से भी जानकारी (फिडबैक) लगातार प्राप्त की जा रही है। लाभपात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी होने की सूरत में जब और जहां कोई नई एजेंसी गांव में अथवा उसके आस-पास आती है अथवा बैंक/एजेंसी के बदलाव हेतू कोई जायज अनुरोध प्राप्त होता है, तो कार्यालय द्वारा अदायगी की प्रणाली बदलने के लिए अनुमति प्रदान कर दी जाती है। अब तक 8 गांवों में इस सम्बन्ध में बदलाव किया गया जिनमें खेड़ी मानसिंह जिला करनाल, डबवाली जिला सिरसा, धारसुलकलां जिला फतेहाबाद, बेगमपुर खतौला जिला गुड़गांव, आसन जिला रोहतक, हालुवास माजरा, देवसर तथा तिवाला जिला भिवानी तथा मामली जिला यमुनानगर शामिल हैं।

हरियाणा ऐसा राज्य है जहां बैंकिंग एवं बी0सी0ए0 नेटवर्क पूर्णत: विकसित नहीं हुआ है जैसा कि उपर वर्णित स्थिति दर्शाती है। सेवाओं में सुधार के लिए हम अभी भी लगातार बैंकों के सम्पर्क में है और प्रत्येक राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठकों में राज्य में नई बैंक शाखायें एवं बी0सी0ए0 खोलने के लिए इस मुद्दे को उठाते हैं।

1. राज्य में वर्ष 2016-17 में 196 नई बैंक शाखायें खोलने का प्रस्ताव है। राज्य में कुल 1708 ग्रामीण, 1065 अर्ध-शहरी तथा 1613 शहरी बैंक शाखायें उपलब्ध है। कुछ गांवों में एक से ज्यादा हैं तथा अधिकांश गांवों में कोई भी शाखा नहीं है। मांग के अनुसार नये लाईसेंस भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये जा रहे है।

2. राज्य में वर्ष 2016-17 में 3263 बी0सी0ए0 होगें। लगभग 30 नये बी0सी0ए0 नियुक्त होने जा रहे हैं।

3. डाक विभाग शीघ्र ही सभी 2127 (कुल 2500) डाकघर शाखाओं को केन्द्रीयकरण बैंकिंग प्रणाली से लिंक किया जा रहा हैं।

4. डाक बैंको ने अगले कुछ मास के समय में ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से नजदीक के गांवों में पेंशन का वितरण करने की सहमति दी है।

5. वोडाफोन एम-पैसा द्वारा रिजर्व बैंक आफ इॅडिया से बैंकिंग लाईसेंस लिया गया है और यह राज्य में अपने पदचिन्ह का विस्तार करेगा। अभी इसके हरियाणा में 3400 एजेंट हैं।

6. राज्य सरकार द्वारा हरियाणा में इस वर्ष 2337 सी0एस0सी0 स्थापित किये जा रहे हैं और इन्हें बी0सी0ए0 नियुक्त किया जा रहा है। बाद में सभी 6000 गांवों को बी0सी0ए में परिवर्तित करने का प्रावधान है।

अलग पेंशन वितरण विभग के गठन का मुद्दा

चूंकि पेंशन वितरण की स्कीम का विकास कार्य अभी प्रगति पर है, और इस हेतु बहुत से नये अवसर खुल रहे हैं, जिनके विस्तृत लाभ का विवरण मैंने वर्णित किया है, इनको मध्यनजर रखते हुए पेंशन वितरण के लिए अलग विभाग की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। बल्कि इससे पुन: भ्रष्टाचार बढेगा और राज्य एवं लाभपात्रों को स्पष्टत: नुकसान हो सकता है।

सदन को आश्वस्त किया जाता है कि सभी माननीय सदस्यों द्वारा दी गई राय को नोट कर लिया जा रहा है और विशेषत: गांवों में आ रही बाधाओं को शीघ्रातिशिघ्र वांछित प्रयत्नों द्वारा हल कर लिया जायेगा।

इस सन्दर्भ में मैं माननीय सदस्यों से निम्न अनुरोध करना चाहूंगी :

i सभी लाभपात्रों को मार्गदर्शन दें कि उनके खातों में पेंशन प्रत्येक मास की 10 तारीख तक ही आयेगी। इसलिए वे इससे पूर्व पेंशन प्राप्त करने के लिए कहीं वहां न जायें।

ii जब वे पेंशन प्राप्त करने वहां जायें, तो पेंशन वितरण एजेंट द्वारा किये गये अनुरोध को ध्यान से सुने और उनकी स्थानीय स्तर पर तैयार किये गये प्रोग्राम का पालन करें।

iii यदि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जोकि अब भी दोहरी पेंशन (दो स्त्रोत से) अथवा ग्रामीण एवं शहरी, अथवा दो योजनाओं के अन्तर्गत ले रहे हैं, उसकी सूचना वेबसाईट पर गोपनीय तौर से दे सकते हैं और यहां तक कि स्त्रोत का नाम दिये जाने की आवश्यकता नहीं है ताकि गलती को ठीक किया जा सके। ऐसे व्यक्तियों से शीघ्र ही गलत पैंशन को छोड़ने बारे अनुरोध किया जाये।

iv स्थानीय गैर-सरकारी संस्थाओं और स्वयंसेवक को शामिल किया जाये और पैंशन वितरण को पर्व का दिन बनाये, एक उत्सव बना दें। गैर-सरकारी संस्थायें उस स्थान पर एक शैड, कुछ कुर्सियों, चाय, पानी यहां तक की मैडिकल निरीक्षण अथवा भौतिक चिकित्सा आदि का प्रबन्ध कर सकती है।

[श्रीमती कविता जैन]

v लाभपात्रों को मार्गदर्शित किया जाये कि एक समय में पूरी राशि निकलवाने की बजाय अपनी आवश्यकतानुसार राशि निकलवायें और कुछ बचत करें।

vi लाभपात्रों को समझायें कि यह राशि शराब, तम्बाकू भुक्की इत्यादी अन्य मादक पदार्थो पर खर्च नहीं करनी चाहिये ताकि उनकी जीवन की गुणवता में सुधार हो सके।

हम राज्य के सीमित स्त्रोत होने के बावजूद हर लाभपात्र को 16800/- रु0 वार्षिक पेंशन राशि दे रहे हैं और कुल मिलाकर 317 करोड़ प्रतिमास अर्थात् 3804 करोड़ रुपये प्रति वर्ष दे रहे हैं जोकि एक बहुत बड़ी राशि है। पेंशन राशि में प्रत्येक वर्ष 200/- रु0 की वृद्धि होगी जोकि वर्ष, 2019 में 2000/- रु0 प्रतिमास हो जायेगी अर्थात 7200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो जायेगी। यह राज्य के बुजुर्गो व अन्य लाभपात्रों के प्रति सरकार की वचनबध्दता को दर्शाता है। हममें से प्रत्येक का दायित्व है कि हम लाभपात्रों के चेहरे पर इसी प्रकार से प्रखर मुस्कान पहुंचाने में सरकार की मद्द करें। यही इस स्कीम की सच्ची सफलता होगी।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, आप कुछ महीने पहले जब पेहवा आये थे उस समय मेरी प्रार्थना पर आप मेरे घर पर चाय पीने के लिए आये थे। मेरा पड़ोसी गांव थाना है जहां पर आपके रिश्तेदार भी हैं। वहां पर आपसे कुछ बुजर्ग जो असहाय हैं आपसे मिले भी थे कि उन्हें अपनी पैंशन लेने के लिए गुमथला जाना पड़ता और उनकी उम्र 80-90 साल होने के कारण वे वहां नहीं जा सकते। वहां पर कुछ लोगों ने उनको गुमराह कर दिया कि मैंने जानकर पैंशन अपने गांव में मंगवा ली। मेरे घर के सामने अपैक्स बैंक है। जब लोग वहां पैंशन लेने के लिए आते हैं तो मैं उनके लिए चाय-पानी का भी इंतजाम करता हूं लेकिन मंत्री महोदया ने अभी बताया है कि जो असहाय लोग हैं उनकी पैंशन का इंतजाम सही तरीके से कर दिया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि अभी ये आदेश लागू हुए हैं या नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री महोदया ने कहा है कि बुजर्गों को सेविंग करनी चाहिए और जितने पैसे की आवश्यकता हो उतने पैसे ही वे बैंक से निकालें। 1987 में जननायक चौधरी देवी लाल जी ने 100 रूपये बुढ़ापा पैंशन शुरू की थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषण पत्र में कहा था कि 2000 हजार रूपये बुढ़ापा पैंशन देंगे लेकिन इन्होंने यह वायदा पूरा नहीं किया। पिछले साल 1200 रूपये प्रति महीना बुढ़ापा पैंशन दी जा रही थी इस तरह से 800 रूपये सरकार बचत करती रही और अब 1400 रूपये किए गए हैं इस तरह से 600 रूपये की सरकार बचत कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या इसी बजट से सरकार 2000 रूपये प्रति माह बुढ़ापा पैंशन करने जा रही है या नहीं। जिस समय जननायक चौधरी देवी लाल जी ने सम्मान बुढ़ापा पैंशन शुरू की थी उस समय 14.50 लाख लोगों को पैंशन दी जा रही थी उसके बाद चौधरी भजन लाल जी ने बैनीफिशरीज की संख्या कम करके 6.50 लाख कर दी। उन्होंने तरह-तरह के बहाने लगाकर साढ़े 8 लाख पात्र लोगों में से डेढ़ लाख लोगों की पैंशन काट दी थी। राम बिलास शर्मा जी इस बात के गवाह हैं। आज तीस साल बीत जाने के बाद भी जैसा कि माननीय मंत्री बहन जी ने बताया कि इनकी संख्या 22 लाख हो गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि तीस साल पहले तो इनकी संख्या साढ़े चौदह लाख थी और अब तीस साल बाद इनकी संख्या सिर्फ 22 लाख ही हुई है। इसको देखते हुए मेरा यह अंदेशा है अर्थात मेरी यह शंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो लाभ पात्र लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको पैंशन देने में सरकारी स्तर पर कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस दोबारा से प्रॉपर सर्वे करवाया

जाये और जो पात्र लोग हैं उनकी पैंशन बने। खास तौर से मैं इस मामले में यह बात बताना चाहता हूं कि जो आपने चुनावों के समय प्रदेश की पैंशनभोगी जनता से 2000 रूपये प्रति मास पैंशन देने का वायदा किया था उस वायदे के मुताबिक आप पैंशन कब देने जा रहे हैं ? इसके लिए सरकारी स्तर पर क्या कार्यवाही हो रही है और यह बढ़ी हुई पैंशन कब तक दे दी जायेगी ?

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : स्पीकर सर, कालिंग अटैंशन मोशन के जवाब में माननीय मंत्री महोदया द्वारा शब्दों का बड़ा ही सुन्दर प्रयोग किया गया है लेकिन इस मामले में वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। मंत्री महोदय हमारे जिले की इंचार्ज़ थी और ये जब भी हमारे यहां आती थी तो हमारे जिले की महिलायें इनसे मिलती थी और यह कहती थी कि उन्हें उनका पैंशन का रूका हुआ पूरा पैसा दिलवाया जाये। आज प्रदेश के बैंकों में इतने खाते हैं कि वे काम ही नहीं करना चाहते। हमारे जैसे व्यक्ति को भी सही तरीके से एंटरटेन नहीं करना चाहते और न ही सही तरीके से कभी एंटरटेन किया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे एक आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। मेरे हल्के के गांव मेढ़ा में 90 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति था। मैंने सम्बंधित बैंक मैनेजर को उसकी पैंशन के बारे में फोन किया और कहा कि उस व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हो सकती है इसलिए आप इसकी पैंशन को उसके घर भिजवा दें। मैंने यह भी कहा कि अगर आप चाहें तो मैं इस काम के लिए अपनी गाड़ी भेज देता हूं लेकिन मेरे द्वारा इतना कहने के बावजूद भी वह लगातार तीन दिन तक इस मामले को लटकाता रहा। इसके बाद मैंने डी.सी. साहब को फोन किया तो उन्होंने भी उस बैंक मैनेजर को यह कहा कि या तो वह स्वयं उस व्यक्ति की पैंशन देकर आयें या फिर मैं अपनी गाड़ी भेज देता हूं। मैं यह उदाहरण देकर यह समझाना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए यह व्यवस्था हो सकती है लेकिन सभी के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर बैंक ही नहीं हैं। मेरे पास दैनिक रूप में यह समस्या आती है और लोग कहते हैं कि उन्हें बैंक वालों द्वारा परेशान किया जाता है और घंटों-घंटों बिठाया जाता है और अंत में अगले दिन आने के लिए कह दिया जाता है। बहुत से बैंक तो ऐसे हैं जिनके पास बुजुर्गों को बिठाने के लिए जगह भी नहीं है। मैं किला जफरगढ़ गांव के बारे में बताना चाहता हूं वहां पर जो बैंक है वह कई गांवों का बैंक है। बहन जी ने बताया कि दो-दो किलोमीटर पर बैंक हैं लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि सिवाह गांव से बड़ा बाहविद 8 किलोमीटर दूर है। यह हर रोज़ का काम है वहां के बुजुर्ग लोग मिलकर टैक्सी करते हैं और पैंशन लेने जाते हैं लेकिन उन्हें पैंशन नहीं मिल पाती और बिना पैंशन लिये ही वे वापिस आते हैं। आजकल के बच्चे तो बुजुर्गों का कोई विशेष ख्याल नहीं रखते हैं यह बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया जी से यह कहना चाहता हूं कि वे कोई ऐसी व्यवस्था बनायें जिसमें इनके विभाग के सरकारी कर्मचारी या फिर एजेंट हमारे प्रदेश के बुजुर्गों को घर पर पैंशन देकर आयें। जब तक सरकार का पैंशन वितरण का सही ढांचा पूरी तरह से तैयार नहीं होता तब तक यह व्यवस्था की जाये ताकि प्रदेश के बुजुर्गों को अपनी पैंशन को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। क्या यह व्यवस्था की जायेगी यह मैं माननीय मंत्री महोदया जी से जानना चाहता हूं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आज बच्चों के जन्म पर यह एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। पहले जब बच्चा जन्म लेता था तो उसके बारे में लड़का अथवा लड़की के साथ माता-पिता का नाम लिख दिया जाता था। इसके कारण आज के समय में लड़का या लड़की का नाम आज लिखवाना इतना असम्भव है शायद इससे ज्यादा असम्भव कोई और काम नहीं हो सकता। मैंने यह पहले सैशन में भी सरकार से निवेदन किया था कि जो

[सरदार जसविन्द्र सिंह संधू]

हरियाणा के निवासी अपना जन्म प्रमाण पत्र सही नहीं बनवा पाये उनकों साल या 6 महीने की कोई एक टैंटेटिव समय-सीमा दे दो कि इतने समय में वे अपने जन्म प्रमाण पत्र को सही करवा लें। जिनके जन्म प्रमाण-पत्र नहीं मिल रहे हैं क्या उन बुजुर्गों के लिए क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि डॉक्टर्ज़ की एक टीम उसकी एज़ को वैरीफाई करे। इस सम्बन्ध में तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक यह सारी की सारी व्यवस्था न बने तब तक आप अपने विभाग को ऐसे दिशानिर्देश जारी करें कि हमारे पैंशनधारक बुजुर्गों को सही समय पर बिना किसी परेशानी के पैंशन मिल जाये।

श्री अनूप धानक : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी को यह बताना चाहता हूं कि जो चौधरी देवी लाल जी द्वारा बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा सम्मान पैंशन शुरू की गई थी वह वर्तमान सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण असम्मान पैंशन बनकर रह गई है। अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति के नाम में कोई गलती हो गई तो उस बुजुर्ग व्यक्ति की पैंशन रूक जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे कोई ऐसी योजना बना रही है इस प्रकार की गलती को जल्दी से जल्दी कैसे ठीक किया जाये जिससे हमारे प्रदेश के बुजुर्गों को बिना किसी वजह के परेशान न होना पड़े। नाम ठीक करवाने के लिए कोई आधार कार्ड लेकर चला जाता है और उसमें नाम गलत होने के कारण वह भी गलत हो जाता है। मेरा विधान सभा क्षेत्र में बधावड़, डाढ़, बिठमड़ा, सूरेवाला, बनगौरी, मतलौड़ा और खेदड़ में हमारे बुजुर्गों को पिछले चार-चार महीने से पैंशन नहीं मिली है। उनको पैंशन न मिलने का यही कारण रहता है कि कभी उनको कहा जाता है कि आपका नाम ठीक नहीं है और कभी कहा जाता है कि आपके अंगूठे का निशान ठीक नहीं है। इसके कारण हमारे बुजुर्गों का बहुत अपमान हो रहा है। मेरी माननीय मंत्री महोदया जी को यह सलाह है कि जिस प्रकार से हमारे बुजुर्गों को पहले पैंशन वितरित की जाती थी उसी प्रकार से उनको पैंशन का वितरण किया जाये। जैसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में पटवारी घर-घर जाकर बुजुर्गों को पैंशन देते थे। इसी प्रकार से अभी भी आपके विभाग का कोई सरकारी कर्मचारी या फिर कोई एजेंट हमारे बुजुर्गों को घर-घर जाकर पैंशन का वितरण करे। मैं माननीय मंत्री महोदया जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस प्रकार की कोई योजना बनाने जा रही हैं। अगर नहीं तो क्यों नहीं और अगर हां तो कब तक इस योजना को अमल में लाया जायेगा।

श्री बलकौर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से नई पैंशन बनवाने के लिए सिर्फ स्कूल सर्टिफिकेट ही मान्य हैं जबकि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है और न ही उनके बच्चों के पास स्कूल सर्टिफिकेट हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों के लिए सरकार ने क्या कोई रास्ता निकाला है ताकि वे इस सम्मान भत्ते से वंचित न रहें। इसी प्रकार से बैंकों में वृद्धावस्था पैंशन आने की कोई सूचना नहीं दी जाती और बुजुर्ग लोगों को बैंकों के कई-कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कई बुजुर्ग चलने-फिरने लायक नहीं होते और गांव में कोई अधिकारी पैंशन देने के लिए उनके पास जाता नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को कोई ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि उनको घर पर भी पैंशन वितरित कर दी जाये। इसी तरह से कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे नहीं हैं और उनकी उम्र भी 45 से 60 साल के बीच में है और वे बीमार

भी रहते हैं तथा उनकी आमदनी का भी दूसरा कोई साधन नहीं है। क्या सरकार इस तरह के परिवारों के लिए भी पैंशन का कोई प्रावधान करेगी ताकि उनका गुजारा हो सके। इसी प्रकार से जिनके नाम गलत हो जाते हैं उनको ठीक करवाने के लिए बुजुर्गों को चक्कर लगाने पड़ते हैं और उनको यह भी पता नहीं होता कि उनका नाम कहाँ पर ठीक होगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि सरकारी अधिकारी गांवों में जा कर उन बुजुर्गों के नाम ठीक करें। उसके लिए चाहे सरपंच, बी.डी.पी.ओ या पटवारी किसी भी अधिकारी की ड्यूटी लगा दी जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

(इस समय उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर आसीन हुई।)

श्री उमेश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदया, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारी सरकार ने सम्मान भत्ता 1400 रूपये प्रति मास किया है हालाँकि यह हमारे घोषणा पत्र में 2000 रूपये प्रति मास देने की बात कही गई थी।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, जब 2000 रूपये प्रति मास देने की बात थी तो 200 रूपये प्रति वर्ष क्यों बढ़ाये गये ? एक साथ ही 2000 रूपये क्यों नहीं किये गये ?

श्री उमेश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदया, लेकिन घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है इसलिए हमारी सरकार ने 200 रूपये प्रति वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया है और 2019 तक यह सम्मान भत्ता 2000 रूपये हो जायेगा उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। वर्ष 2014 में 22,16,000 लोगों को पैंशन दी जाती थी जिस पर प्रति मास मात्र 220 करोड़ रूपये खर्च किये जाते थे अब 22,35,000 लोगों को इस पैंशन का लाभ मिल रहा है और उस पर हरियाणा सरकार द्वारा 317 करोड़ रूपये प्रति मास खर्च किये जा रहे हैं। इस हिसाब से इसमें लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें डेढ़ लाख लोग ऐसे भी पाये गये हैं जो पिछली सरकार के समय इस पैंशन का लाभ ले रहे थे और जब से हमारी सरकार ने इसको ऑनलाईन किया है और जांच की है तो वे बोगस पाये गये हैं और उनका ग्राउंड पर वजूद नहीं है। हमारे पड़ौस के राज्य पंजाब और राजस्थान में यह पैंशन मात्र 500/- रूपये प्रति मास दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 300 रूपये हिमाचल प्रदेश में 600 रूपये दी जाती है तथा दिल्ली में 1000/- रूपये प्रति मास दी जाती है जबकि हरियाणा में हमारी सरकार 1400 रूपये प्रतिमास सम्मान भत्ता दे रही है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात और सदन के सामने लाना चाहता हूँ कि 1987 में चौधरी देवी लाल और डॉ. मंगल सैन जी के प्रयासों से जब यह सम्मान भत्ता शुरू किया गया था तो उस समय लगभग 7-8 लाख लोगों को यह भत्ता दिया जाता था ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, दादा रामबिलास शर्मा जी इस बात के गवाह हैं कि हमारी सरकार के समय में साढ़े 14 लाख लोगों को पैंशन दी गई थी। साढ़े 14 लाख में से 6 लाख लोगों की पैंशन चौधरी भजन लाल जी ने वर्ष 1991 में काटी थी उसके बाद भी साढ़े आठ लाख लोगों को पैंशन मिलती रही है। आप रामबिलास जी से कहलवा दो कि साढ़े चौदह लाख लोगों को पैंशन नहीं दी जा रही थी।

श्री उमेश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपने आंकड़े ठीक कर लेता हूं। वर्ष 1987 में यह भत्ता लगभग साढ़े 14 लाख लोगों को दिया जाता था। वर्ष 1987 की हरियाणा की जनसंख्या और आज की हरियाणा की जनसंख्या के अनुपात को अगर हम देखें तो जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी है उसके अनुपात में अब 22 लाख 35 हजार लोगों को यह पैंशन दी जा रही है। मैं समझता हूं कि उस समय में दी जा रही पैंशन से ज्यादा अनुपात में यह पैंशन दी जा रही है। उसके बावजूद भी मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में जो डेढ़ लाख लोग बोगस पैंशन ले रहे थे उसके बारे में सरकार ने अब तक क्या इंक्वायरी की है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाही करने की योजना है। कृपा मंत्री जी इसके बारे में भी बताएं।

श्रीमती कविता जैन : आदरणीय डिप्टी स्पीकर महोदया, हमारे साथी विधायकों ने यहां बहुत ही जायज प्रश्न उठाए हैं। जो नि:सन्देह प्रदेश की जनता के साथ जो एक सम्मान भत्ते के रूप में हम सबका एक विषय ऐसा है मैं समझती हूं कि जिस पर राजनीति न करके हम सबको मिल कर काम करना चाहिए और हम सब लोगों ने जो एक वादा किया है उस पर मिलकर काम करना चाहिए । मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह आदरणीय संधू जी ने एक विषय उठाया था कि नि:सन्देह हमारे जो गांव दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हैं और जहां पर बैंक शाखा नहीं हैं उनके बारे में कुछ किया जाए। इस बारे में मैंने अपने जवाब में भी बताया था कि ऐसे हमारे कुल 267 गांव हैं जो दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हैं जहां पर कोई बैंक शाखा नहीं है। इस संबंध में मैंने अपने सम्बोधन में बताया कि हमारी जो 6 एजेंसियां हैं जिनको हमने आईडैंटिफाई किया है चाहे वह बैक हों, पोस्ट ऑफिसिज हों, बी.सी.एज. हों या वोडाफोन एम्पैसा या सी.एस.सी. के हों इन सबके थ्रू यह काम करवाया जाएगा। इसमें मैं एक बात और एड करना चाहूंगी कि अभी पिछले दिनों हमारी केन्द्र सरकार की स्कीम डिजिटल इण्डिया के तहत हमने हरियाणा के तकरीबन दो हजार से ऊपर गांवों में कॉमन सर्विस सैंटर खोले हैं जोकि धीरे-धीरे सभी गांवों के अन्दर हो जाएंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि कॉमन सर्विस सैंटर के माध्यम से हमारी समाज कल्याण विभाग की जो 6 सुविधाएं हैं वह भी उसमें शामिल की गई हैं और इसी के तहत उसी गांव के वासी वहां पर अपने फॉर्म अपलोढ़ करवा सकते हैं। मैं समझती हूं कि आने वाले दिनों में यह समस्या धीरे-धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। जो सी.एस.सी. सैंटर बनेंगे वहां पर बकायदा एक बी.सी.ए. भी नियुक्त किया जाएगा ताकि उस गांव की पैंशन का वितरण वहीं उस सर्विस सैंटर के माध्यम से किया जा सके। उसके साथ इन्होंने जो दूसरे मुद्दे की बात की थी कि पहले 14 लाख 50 हजार लोगों को पैंशन मिलती थी और अब कम हो गये हैं। इसमें एक तो जो सबसे प्रभावी होगा वह प्रकृति का नियम है और दूसरा उसके अन्दर पहले जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाता था अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो अब जो विधवा सम्मान भत्ता के हमारे जो लाभ पात्र हैं वह 13 लाख 75 हजार 133 हैं। उसके साथ-साथ हमारी जो विधवा बहनें ये पैंशन ले रही हैं और इसके साथ-साथ जो डिसैबल लोग भी ले रहे हैं उसमें हमारे 60 साल के लोग भी शामिल हैं और यह आंकड़ा लगभग दो लाख के करीब है जोकि उसी के अन्दर शामिल हो सकता है। इसके अलावा भी मैं आज सदन के माध्यम से कह रही हूं कि हमारी पैंशन के जो पैंडिंग फॉर्म पड़े हैं उनकी संख्या इतनी नहीं है वह कम है। हमारे पास जो भी बेनीफिशरीज आते हैं और अपनी आयु का प्रमाण पत्र देते हैं हम उनको शीघ्र अपलोड करने की कार्रवाही कर रहे हैं। बेनीफिशरीज से इनकी यह संख्या कम क्यों है इनका एक और कारण

यह भी है कि हमने जब से डायरैक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैंशन को देने का फैंसला लिया है तब से कहीं न कहीं जो पहले डुप्लीकेसी थी या गलत तरीके से पैंशन ले रहे थे। मैं उन आत्माओं के बारे में नहीं कहना चाहती हूं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन यह सच्चाई है कि कहीं-कहीं जो लोग इस दुनिया में नहीं थे उनकी भी पैंशन ली जाती थी। कोई महिला विधवा नहीं होती थी, वह भी विधवा पैशन लेती थी। इस प्रकार के अनेक फ्रॉड केसिज हुआ करते थे। अब डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के लागू होने के बाद इन फ्रॉड केसिज पर लगाम लग गई है। आज हरियाणा में 20,243 पैंडिंग केसिज हैं। इसके अतिरिक्त जैसाकि सदन के हमारे कई साथियों चाहे वह ढुल साहब हों, अनूप जी हों या अन्य साथी हों उनकी तरफ से वृद्धावस्था या अन्य प्रकार की पैंशन के लाभार्थियों के लिए कई प्रकार की चिंताएं जाहिर की गई हैं जैसेकि यदि किसी व्यक्ति के पास आयु का प्रमाण पत्र नहीं हैं तो वह क्या करेगा या फिर दूर-दराज के गांवों में रहने वाले वृद्ध व अन्य पैंशन लाभार्थियों को डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के तहत आने वाली समस्याओं से कैसे बचाया जा सकेगा। (विघ्न)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू: उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी बुढ़ापा पैंशन दो हजार करने के बारे में बात करें तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष: संधू जी, आप बैठिये। माननीय मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दें।

श्रीमती कविता जैन: उपाध्यक्ष महोदया, जो संधू साहब कह रहे हैं मैं उस विषय पर मैं बाद में बात करूंगी लेकिन पहले जो विषय चल रहा है, उस विषय को पूरा कर लूँ। जब हमने डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से पैंशन देने का फैसला लिया था तो कुछ ऐसी चीजें सामने निकलकर आई थी जिनकी वजह से हमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा जैसेकि जो डिस-एबल हैं, उनको डोर-स्टैप पर पैंशन का वितरण कैसे हो ताकि उनको अपमान का सामना न करना पड़े। इस बारे में कदम उठाये गये। मैडीकल रिटार्टिड बच्चों के गार्जियन कौन होंगे क्योंकि बैंक इनके बैंक अकाउंट खोलने में आनाकानी करते हैं। इस बारे में भी कदम उठाये गये हैं। इन सभी कठिनाईयों के अलावा और भी कईं कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मैं नाम की गलती को ठीक कराने के बारे में सदन को बताना चाहूँगी। इस संबंध में बैंक, डिस्ट्रिक्ट सोशल वैलफेयर ऑफिसर या संबंधित अन्य अधिकारी उन सबको यह हिदायतें दी गई है कि यदि नाम में बहुत मामूली गलती है, जैसे किसी के नाम में स्पेलिंग की गलती हैं for example Sandeep को Sandip लिख दिया गया हो, या जैसे किसी का नाम राम लाल हो और उसका नाम रामू लिख दिया गया हो तो इस तरह की छोटी और मामूली गलती को बैंक अपने स्तर पर ठीक कर ले। यदि नाम में बड़ी गलती है जैसे किसी के पति के नाम या पिता के नाम में कोई गलती आती है तो उसको डिस्ट्रिक्ट सोशल वैलफेयर ऑफिसर अपने स्तर पर ठीक कर ले। अगर कही से भी नाम पूरी तरह से मेल नहीं खाता है तो उसके लिए एप्लीकेंट को फिर नया फार्म भरना पड़ता है। सभी बैंक्स तथा सभी आफिसर्ज को क्लीयर हिदायतें दे दी गई हैं कि किसी को कोई समस्या न आने पाये। मैं समझती हूँ कि भविष्य में नाम की गलती होने की वजह से लोगों को जो समस्या आती थी वह अब नहीं आयेंगी। दूसरी समस्या जो सामने आती है वह आयु प्रमाण पत्र की है। हमारे हरियाणा प्रदेश में बहुत कम लोगों के पास आयु प्रमाण पत्र मौजूद हैं। यदि किसी के पास स्कूल सर्टीफिकेट हो तो वह तो निश्चित रूप से आयु प्रमाण पत्र के तौर पर समझा जायेगा लेकिन यदि किसी के पास स्कूल सर्टिफिकेट भी नहीं है और उसके बड़े बच्चे की

[श्रीमती कविता जैन]

उम्र 40 या इससे ज्यादा है तो वह भी आयु प्रमाण पत्र का पैमाना माना जायेगा। हमने आयु प्रमाण पत्र की कमी को पूरा करने के लिए अलग-अलग क्राईटेरियॉज बनाये हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास इनमें से कोई भी प्रूफ नहीं है और न ही 15 साल पुराना वोटर कार्ड है तो ऐसे केसिज के लिए हमने दो सदस्य मैडीकल बोर्ड का गठन किया हुआ है। यह मैडीकल बोर्ड हर महीने सिविल हास्पिटल में बैठता है जहां पर जाकर आयु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक मैंटली रिटार्टिड बच्चों के गार्जियन्ज की बात है क्योंकि वह मैंटली डिसेबल्ड होते हैं। इनको सरकार की स्कीम के तहत फायदा देने के लिए मैं सदन को बताना चाहूँगी कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत हर जिले में एक लोकल लैवल कमेटी बनी हुई है। यह कमेटी मैंटली रिटार्टिड बच्चों का लोकल गार्जियन डिसाईड कर देती है और लोकल गार्जियन के नाम से बैंक में अकाउंट खोल दिया जाता है और उस अकाउंट में मैंटली रिटार्टिड बच्चे का पैसा चला जाता है। (विघ्न)

श्री हरि चन्द मिढ्डा: अध्यक्ष महोदय, ..(विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): मैडम, हरि चन्द मिढ्डा जी कागज हाथ में लेकर खड़े हैं। वह आपको कोई प्वॉयंट नोट करवाना चाहते हैं, आप अपनी बात रखने के बाद उनका प्वॉयंट भी नोट कर लेना। माननीय मिढ्डा साहब तुसी तो रूहे रवां हो-यह सदन भी रूहे रवां है।

श्री हरि चन्द मिड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं शर्मा जी का, मेरे प्रति दिखाये गये आदर भाव के लिए धन्यवाद प्रकट करते हुए अपनी सीट धारण करता हूँ।

श्रीमती कविता जैन: ठीक शर्मा जी, मैं अपनी बात पूरी करके मिढ्डा जी का प्वॉयंट नोट कर लूंगी। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहँगी डॉयरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत पैंशन की राशि का बैंकों के माध्यम से वितरण करने की एवज में बैंक को एक प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। हमारे पास इस तरह की भी शिकायतें आई हैं कि जब वृद्धावस्था व दूसरी पैंशन के लाभार्थी बैंक में जाते हैं तो उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। हमने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। यही कारण है कि हमने समय-समय पर बैंकों के अधिकारियों के साथ संबंधित क्षेत्र के डी.सी. व लोकल विधायक की अध्यक्षता में मीटिंग कर उन्हें अहसास कराया है कि डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत पैंशन की राशि उनके लाभार्थियों तक पहुंचाने में बैंक समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसके साथ ही उनके संज्ञान में बैंक स्टाफ द्वारा इन लाभार्थियों के प्रति किये जाने वाले बुरे बर्ताव को भी लाया गया और इस संबंध में बैंक अधिकारियों को वृद्धावस्था या अन्य प्रकार की पैंशन पाने वाले लाभर्थियों के लिए बैंक स्टाफ द्वारा अच्छे शब्दों का प्रयोग करने व मानसिकता बदलने संबंधी हिदायतें जारी करने के लिए निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त हमने समय-समय पर बैंकों के साथ काउंसलिंग का भी प्रोविजन रखा है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार चुनावी वायदों को पुरा करने के लिए कृतसंकल्प है। हमारी सरकार 5 साल के दौरान बुढ़ापा पैंशन को दो हजार रूपये कर देगी। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: उपाध्यक्ष महोदया, हमारी पार्टी की सरकार ने100 रूपये पैंशन देने का वायदा करके उसमें 20-20 रूपये हर साल में बढ़ोत्तरी करके देने का काम नहीं किया था बल्कि शुरू से ही 100 रूपये देने का काम किया था। (शोर एवं व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह): उपाध्यक्ष महोदया, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि ना मीटर रहेगा, ना ही रीडर और ना ही बिल। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: मैडम, आपकी सरकार ने आते ही 2 हजार रूपये पैंशन देने का वायदा किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनुप धानक: उपाध्यक्ष महोदया, लोगों को चार-चार महीने से पैंशन नहीं मिल रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन: उपाध्यक्ष महोदया, जैसे हमारे भाई कह रहे हैं कि 4-4 महीने तक पैंशन लोगों को नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से मेरे भाई को कहना चाहूँगी कि जिन गांव व शहरों में पैंशन के केसिज़ पैंडिंग है, उनकी संख्या माननीय सदस्य को बता दी है जो 20243 के करीब है। उपाध्यक्ष महोदया, इस प्रोसैस में समय लगता है क्योंकि छंटनी भी करनी पड़ती है ताकि पहले की तरह काई गडबड़ ना हो जाये। यह तो कंटीन्यू प्रोसैस है क्योंकि बुढ़ापा और विधवा पैंशन के केसिज़ तो आते रहेंगे, पैंडिंग होते रहेंगे और अपलोड भी होते रहेंगे। हमारे सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) इस प्रोसैस में लगातार हमारा काम चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं समझती हूँ कि हमारे देश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब हमारे प्रदेश में100 प्रतिशत बैनीफिशरीज को डायरैक्ट बैनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) पैंशन के माध्यम से दी जा रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मार्गदर्शक और दूरगामी सोच के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार का एक चुनावी वायदा था कि पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर लगाम कसना। निश्चित रूप से हरियाणा की जनता ने इसे स्वीकार कर लिया है। जहां पर थोड़ी बहुत कमी रह गई है, उसे हम दूर कर लेंगे क्योंकि यह ऑन गोईंग प्रोसैस है। उपाध्यक्ष महोदया, जैसे-जैसे हमें अच्छे सुझाव मिलते रहेंगे वैसे-वैसे अपने सिस्टम को हमें चेंज करने में कोई हर्ज नहीं होगा। हम इस प्रोसैस को आखिरी छोर तक लेकर जायेंगे। डिजिटल हरियाणा के तहत सभी गांवों के अन्दर कॉमन सर्विस सैन्टर खुल जायेंगे। अब किसी भी बुजुर्ग, विकलांग और विधवा महिला को धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अपने ही गांव के कॉमन सर्विस सैन्टर में पैंशन का फार्म जमा करवा सकते हैं। हमने एक वैबसाईट बनाई है, इसका फायदा यह होगा कि कोई भी बैनीफिशरी यदि अपना एकाउंट देखेगा तो उसे अपनी पैंशन की लेटैस्ट इन्फर्मेशन का पता चल जायेगा कि उसकी पैंशन कितने महीने से पैंडिंग पड़ी हुई है और कितने महीने की पैंशन वह ले चुका है । उपाध्यक्ष महोदया, इसके साथ-साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने इस स्कीम के तहत किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं किया है। एक बात सदन के पटल पर जरूर बताना चाहती हूँ कि यह पहली ऐसी सरकार है जिसने इस योजना के तहत12.96 लाख बैनीफिशरीज बनाएं हैं और 149 करोड़ रूपये का एरियर भी दिया है। हमारे सदन के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पैंशन के केसिज़ पैंडिंग हैं, यदि आज भी वे मूल प्रमाण पत्र समेत अपना एकाउंट अपलोड करवा लेते हैं तो मैं उपाध्यक्ष महोदया आपके माध्यम से कहती हूँ कि जितनी भी पैंशन बकाया है, हम उन्हें देंगे। हरियाणा की जनता का एक भी पैसा गबन नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, वर्ष 2011 में कांग्रेस शासनकाल का जिक्र करते हुए आपके माध्यम से सदन को जरूर बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस सरकार ने एक फिनो नाम की कम्पनी के माध्यम से बैंकों में पैंशन देने का काम किया था। वह कम्पनी कई महीनों की पैंशन का गबन करके गायब हो

[श्रीमती कविता जैन]

गई जिसका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हमारी सरकार का वायदा है कि हरियाणा प्रदेश की जनता का एक भी पैसा नहीं रखा जायेगा। आज भी यदि कोई बुजुर्ग मूल प्रमाण पत्र समेत अपना एकाउंट अपलोड करता है तो उसे पूरा-पूरा एरियर दिया जायेगा। 12.96 लाख बैनीफिशरीज को हमने एरियर दिया है जबकि टोटल 22 लाख के करीब बैनीफिशरीज हैं। हमारी सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ को पहुंचाना चाहती है। हमारी सरकार समाज के गरीब और पिछड़े व्यक्तियों को सम्मान दिलाना चाहती है। हमारी सरकार पारदर्शिता रखने और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम "सबका साथ सबका विकास" नारे के साथ काम करते रहेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

———————

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस पुनरारम्भ होगी और श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी अपनी बात रखेंगे ।

श्री घनश्याम दास अरोड़ा (यमुनानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में 1 नवम्बर से हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। हरियाणा प्रदेश 50 वर्ष का हो चुका है। हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ विकास के कार्य को आगे बढ़ाने की सारी जानकारी जनता को दे सकते हैं। हमारी सरकार का स्लोगन "सबका साथ, सबका विकास" है। निश्चित रूप से इस सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार सम्पूर्ण हरियाणा के प्रत्येक क्षेत्र को एक समान दृष्टि से देखती है और एक समान रूप से इसके विकास करने में विश्वास रखती है। जनता इसे स्वीकार भी कर रही है है और इससे सरकार का एक सकारात्मक संदेश जनता के बीच में जा रहा है। मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदया, "हरियाणा एक, हरियाणवी एक" के मंत्र पर चलते हुए हम विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं और सारा समाज एक हरियाणवी के रूप में रहकर काम करे तो निश्चित रूप से हरियाणा सारे देश का एक अग्रणी प्रदेश बन सकता है। अग्रणी प्रदेश बनने की दिशा में हमने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। इसी प्रकार "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान की सफलता, एस.वाई.एल. के लिए विधान सभा के द्वारा संकलप प्रस्ताव पारित किया जाना और हैपनिंग हरियाणा के माध्यम से 5.84 लाख करोड़ रूपये का निवेश लाना अपने आप में हरियाणा की जनता और उद्योगपतियों का विश्वास प्रकट करता है। इस निवेश के माध्यम से हरियाणा 'दिन दोगुनी, रात चौगुनी' तरक्की करेगा। इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने फसलों के खराब होने पर एक हजार, 92 करोड़ रूपये मुआवजे के रूप में दिये हैं। सफेद मक्खी के प्रकोप से फसलों को जो नुक्सान हुआ है उस मुआवजे के लिए 967 करोड़ रूपये बजट में रखने का प्रावधान किया गया है । हमारा हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है । यह प्रदेश प्रगति के पथ पर रहे इसके लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं। इसी योजना पर चलते हुए पिछले वर्ष निजी क्षेत्र की चीनी मिलें चीनी के भाव कम हाने के कारण जब वित्तीय संकट में आई तो किसानों का भुगतान समय पर करने हेतु हरियाणा सरकार ने 175

करोड़ रूपये की व्यवस्था की है और किसानों का सारा भुगतान करवाया। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का सर्वांगीण और सर्वव्यापी विकास हो। इसके लिए हमने पढ़ी-लिखी पंचायतों का निर्माण किया है। ऐसा कानून बनाना कि पढ़ी लिखी ब्लाक समितियां बनें और जिला परिषदें बनें तो निश्चित रूप से विकास कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। इस सरकार का मानना है कि इन पंचायतों के माध्यम से, ब्लॉक समितियों के माध्यम से और जिला परिषदों के माध्यम से अपना प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। उपाध्यक्ष महोदया, स्वच्छ भारत अभियान सारे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जितने भी हमारे नगर निगम हैं, जितनी भी हमारी नगर परिषदें हैं क्या वहां सफाई कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है। यदि वहां सफाई कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो उस कमी को जल्दी दूर किया जाना चाहिए ताकि हम स्वच्छ भारत अभियान को धरातल पर उतार सकें। उपाध्यक्ष महोदया, स्थानीय निकाय मंत्री जी यहां बैठी हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा कि जो वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट लगाए गए हैं, क्या वे सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। यदि वे प्लांट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेवारी तय की जाए। उपाध्यक्ष महोदया, वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट सब जगह लगने चाहिएं ताकि ठोस कचरा प्रबंधन ठीक से हो सके और तभी निश्चित रूप से स्वच्छ हरियाणा की दिशा में हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी । इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अपनी प्रदेश सरकार ने जो ग्राम सचिवालय की योजना बनाई है, जो पहला बागवानी विद्यालय करनाल में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, झज्जर में जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की आधारशिला रखी गई है और भविष्य में एक टैक्सटाइल पार्क विकसित करने की जो योजना है ये सभी योजनायें निश्चित रूप से हरियाणा की प्रगति की राह में मील का पत्थर साबित होगा। उपाध्यक्ष महोदया, आज हरियाणा का जो किसान है वह पपलर पैदा करता है। यदि प्लाई-बोर्ड के स्थापित उद्योग की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित रूप से किसान को पपलर के ठीक दाम मिलेंगे और जो उद्योगपति इस काम में लगे हुए हैं वे भी अपना उद्योग बढ़ाने के लिए स्वयं प्रेरित होंगे। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण पढ़ा और अभिभाषण पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने जो बातें सदन में रखी उनको पूरा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हरियाणा सरकार भारत वर्ष में अग्रणी प्रदेश बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश यादव (नारनौल): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में हिस्सा लेने के लिए इस महान सदन में बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने सामाजिक न्याय के प्रति, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिणक क्षेत्र में सभी प्रकार की समानता इस प्रदेश में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इसके लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार "सबका साथ, सबका विकास" का नारा लेकर चल रही है। इस अभिभाषण में कहा गया है कि इस प्रदेश में समाज के अन्तिम व्यक्ति तक जब तक सरकार की योजनाओं का लाभ न पहुंचे तब तक सरकार प्रयासरत रहेगी। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सम्पूर्ण सरकार का बार बार धन्यवाद करता हूं कि आम 12.00 बजे व्यक्ति के बारे में भी हमारी सरकार सोचती है। राम और राज में कोई अंतर नहीं होता। राम किसी के साथ भेदभाव नहीं करता इसलिए राज को भी किसी के साथ भेदभाव नहीं

[श्री ओम प्रकाश यादव]

करना चाहिए। मौजूदा सरकार भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार को बधाई देता हूं और धन्यवादी हूं। इसके विपरित पिछली सरकार के समय में जो ताण्डव क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद का किया गया उसके बारे में हम सभी जानते हैं। पिछली सरकार घोटालों की सरकार बनकर रह गई थी। हर रोज उनके किसी ने किसी घोटाले की खबर अकबारों के फ्रंट पेज पर मिलती थी। इसके अतिरिक्त उनके घोटालों की सी.डी. भी निकलती थी जिनमें सी.एल.यू. का खेल देखने को मिलता था लेकिन हमारी सरकार एक साफ सुधरी छवि की सरकार है जिसने आम आदमी के दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ी है। हमारी सरकार को बने एक साल से ज्यादा समय हो गया है और प्रदेश की जनता को कोई भी ऐसी बात सुनने को मुख्यमंत्री जी की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से या विधायकों की तरफ से नहीं मिली जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित हो। हमारी सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वालों के सख्त खिलाफ है। मुझे गर्व है कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विश्वास जताया है और उस विश्वास पर सरकार खरी उत्तर रही है। उपाध्यक्ष महोदया, अभी हमारे हैल्थ मिनिस्टर जी जिक्र कर रहे थे कि पिछली सरकार ने किस प्रकार के घोटाले किए। मेरे पास भी 12.3.2016 के दैनिक भास्कर अखबार की कटिंग है जिसमें जिस प्रकार का मामला मंत्री जी ने बताया उसी तरह की खबर छपी है। झज्जर के गांव गुरावड़ में एक मैडीकल कालेज की एन.ओ.सी दे दी जो कि आज तक बना ही नहीं है। आज भी वहां पर फसल खड़ी है। उच्च अधिकारियों की टीम जिसने एन.ओ.सी. जारी की थी उनमें खानपुर मैडीकल कालेज का निदेशक डा. रामचन्द्र और रोहतक पी.जी.आई. के फोरैंसिक हैड डा. कमल सिंह शामिल हैं। यह एन.ओ.सी. उन्होंने पिछली सरकार के जाते-जाते 2014 में जारी की थी । मैं समझता हूं कि हमारे अधिकारी इस तरह से गलत रिपोर्ट दें तो उनका संज्ञान लेना चाहिए। मुझे यह घोटाला 12.3.2016 के अखबार में पढ़ने को मिला है। मैं धन्यवादी हूं हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब का कि उनके संज्ञान में इस तरह की बातें हैं। हमारी सरकार पिछली सरकार से विपरीत है । हमारी सरकार ने लिंगानुपात को प्रदेश में ठीक करने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी जिसके परिणाम बहुत अच्छे निकले हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने आम आदमी तक हर सुविधा मुहैया करवाकर उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करने का काम किया है। नेत्रहीन व्यक्तियों की पैंशन बढ़ाकर सरकार ने दर्शाया है कि वह अंतिम व्यक्ति तक लाभ देना चाहती है। इसी तरह से सरकार ने शोषित से पोषित स्कीम चालू की है जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, अभी मैंने कहा था कि राम और राज एक होता है। जिस प्रकार से राम से हम अपेक्षा करते हैं उसी तरह हर व्यक्ति राज से भी वही अपेक्षा करता है। यह सरकार भी राम राज की तरह कार्य कर रही है। किसानों की फसल पर जब ओलावृष्टि का ताण्डव हुआ तो यह सरकार किसान के साथ खड़ी हुई नज़र आई। गऊओं के लिए एक विशेष कानून लाकर गौ संवर्द्धन और गौ संरक्षण का हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में एक नमूना पेश किया। हरियाणा सरकार इसके लिए भी बार-बार धन्यवाद की पात्र है। पिछले 12 साल से हरियाणा प्रदेश के हितों से जुड़ा एक बहुत ही अहम मुद्दा जो कि प्रैजीडैंशियल रैफरैंस एस.वाई.एल. के बारे में था वह लम्बित था। इसके लिए पिछले 12 साल से तत्कालीन सरकारों ने कोई काम नहीं किया। राष्ट्रपति जी से इस बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया गया और न ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को ही कोई पत्र लिखा गया। ऐसा भी नहीं किया गया कि इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में कोई गुहार की गई। न ही

सर्वोच्च न्यायालय में इस बारे में कोई एप्लीकेशन ही लगाई गई। पिछली सरकारों की यह कारगुजारी प्रदेश के हित के बारे में उनके चिंतन को दर्शाती है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी सरकार के पिछले डेढ़ वर्ष के छोटे से समय में भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधान मंत्री जी से मिलकर प्रदेश हित में यह काम किया कि जो एस.वाई.एल. के पानी का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है उसके ऊपर चर्चा शुरू करवाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ही आज माननीय कोर्ट के अंदर उसके ऊपर कार्यवाही शुरू हो रही है। हमारी सरकार की इस उपलब्धि के लिए हमारी सरकार बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई की पात्र है। जो एस.वाई.एल. का मसला है चाहे इसमें हमारे पंजाब के भाई इसके निर्माण में अड़ंगें डाल रहे हों लेकिन इस बारे में जो प्रैजीडैंशियल रैफरैंस था वह पिछले 12 साल से लम्बित पड़ा था उसके ऊपर विचार तो हर हालत में होना ही चाहिए था। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला आयेगा ये सब बाद की बाते हैं लेकिन यह सब हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का फल है कि इस पर सुनवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह पता कितने समय के लिए लम्बित पड़ा रहता। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्य के लिए उनका बार-बार धन्यवाद करते हैं क्योंकि एस.वाई.एल. हमारे हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा होने के साथ-साथ भाग्य रेखा भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया आप भी हमारे क्षेत्र से ही बिलाँग करती हैं। हम जिस क्षेत्र से बिलाँग करते हैं वह क्षेत्र सारे हरियाणा प्रदेश में भौगोलिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। हमारे क्षेत्र की मिट्टी बालू है, वहां पर पहाड़ हैं और दर्रे हैं। हमारे क्षेत्र में पानी की अत्यधिक कमी है। उस क्षेत्र से सम्बन्ध रखने के नाते मेरा इस सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक विशेष आग्रह है कि अगर हमारे लिए पानी की कोई और व्यवस्था नहीं हो सकती तो जो हमारी लिफ्ट इरीगेशन के तहत नहर बनी हुई है उसके माध्यम से हमें 3 या 4 महीने केवल बारिश का ही पानी दे दिया जाये। हमारे क्षेत्र की दो पुरानी बरसाती नदियां हैं दोहान और सिसलावती। अगर इन नदियों के बैड में बरसात का पानी डाल दिया जाये तो हमारे एरिया का अण्डर ग्राऊंड वॉटर रिचार्ज़ हो जायेगा। इससे हमें पीने का पानी ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाये। मुझे उम्मीद है कि सरकार द्वारा मेरे इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा और हमारे क्षेत्र को पानी की कमी की समस्या से कुछ राहत अवश्य दिलवाई जायेगी। मैं बार-बार माननीय सिंचाई मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बार-बार निवेदन करता हूं कि वे हमें बारिश के दिनों में पानी देने का प्रबन्ध कर दें ताकि अण्डर ग्राऊंड वॉटर टेबल रिचार्ज़ हो सके। हमारा सारे का सारा क्षेत्र डार्क ज़ोन घोषित किया जा चुका है। हमारे वहां पर पीने के पानी की भी बहुत भारी समस्या है। मेरे विचार से एक न एक दिन यह व्यवस्था तो सरकार को करनी ही होगी और अगर यह व्यवस्था करनी ही पड़ेगी तो क्यों न इसी सैशन में इसके लिए आवश्यक बजट का प्रावधान कर दिया जाये। अगर मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकार करें तो माननीय मुख्यमंत्री इसी बजट में हमारे क्षेत्र के लिए इस बरसाती पानी को पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान करके एक नया सिलसिला शुरू करें। मैं यह नहीं कहता कि सारी की सारी व्यवस्था एक दिन में ही सुधर जायेगी लेकिन जितना प्रयास इस बारे में आज हो सकता है वह हर हाल में किया ही जाना चाहिए। इस बारे में कोई शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाये। यह मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी के माध्यम से सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदया, जे.एल.एन. कैनाल पर लिफ्ट इरीगेशन के लिए लगे 40 साल पुराने पम्प जो

[श्री ओम प्रकाश यादव]

जीर्णशीर्ण हो चुके थे, को ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने143 करोड़ रूपये की योजना पास की है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी तथा वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जब इस योजना पर काम शुरू हो जायेगा तो ये पम्प ठीक हो जायेंगे और हमारे इलाके में पानी आसानी से पहुंच सकेगा । इसी प्रकार से पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे के समय हमने ब्लॉक सिहमा में और कनीना में एक-एक महिला कॉलेज खोलने की मांग की थी जिसको मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया था । मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाये । सिहमा कॉलेज के लिए पंचायत जमीन देने के लिए तैयार है इसलिए उस पर जल्दी काम शुरू करके बिल्डिंग बनाई जाये । कनीना कॉलेज के लिए हमारे पास एक स्कूल की बिल्डिंग है जिसमें 55-56 कमरे हैं और उसमें से 28 कमरे वे कॉलेज चलाने के लिए देने को तैयार हैं । मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि इसी सत्र से उन 28 कमरों में कॉलेज की क्लासिज शुरू कर दी जायें। मैं समझता हूँ कि 28 कमरों में कॉलेज का काम चल जायेगा और लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी । जब तक कॉलेज की अपनी बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक इस स्कूल की बिल्डिंग में महिला कॉलेज की क्लासिज लगाई जा सकती हैं। उपाध्यक्ष महोदया, कुछ दिन पहले माननीय कृषि मंत्री महोदय ने हमारे इलाके का दौरा किया था तथा 10 साल से बंद पड़ी हमारी अनाज मंडियों के लिए 20-20 करोड़ रूपये दे कर काम दोबारा शुरू करवाया है उसके लिए मैं कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारा जिला महेन्द्रगढ़ पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता है। हमारी सरकार ने इस इलाके को 3-3 नैशनल हाई वे दे कर उसको दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम किया है उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है । एक बहुत अहम बात जो हमारे इलाके के लिए विकास का गेट कहूँ तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस सरकार ने हमारे इलाके नारनौल को इंडस्ट्रियल हब के रूप में मंजूरी दे कर उसके लिए विकास का दरवाजा खोल दिया है। उसके माध्यम से उस क्षेत्र के विकास का रास्ता खुलेगा। उसके लिए मैं सरकार को बार-बार धन्यवाद देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, एक आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे नारनौल क्षेत्र में बनाया जा रहा है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये । इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उस आयुर्वेदिक कॉलेज को मैडीकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाये तो इस सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद होगा। इसकी बिल्डिंग बनी हुई है जोकि लगभग तैयार हो चुकी है। कॉलेज के लिए जमीन भी एक्वायर्ड है तो मैं समझता हूं कि उसको आयुर्वेदिक कॉलेज की बजाए मैडिकल कॉलेज में तबदील कर दिया जाए तो इसका हमारे क्षेत्र को और भी ज्यादा लाभ होगा और सरकार का वह वादा भी पूरा होगा जो सरकार ने वादा कर रखा है कि हर जिले में एक मैडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इस पर गौर करें और इस कॉलेज को मैडिकल कॉलेज में कनवर्ट कर दें तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नारनौल दौरे के समय हमने उनसे कुछ मांगे मांगी थी जिनकी उन्होंने घोषणा भी की थी लेकिन उन पर अभी कार्य लम्बित है। इसके अलावा नारनौल शहर के अन्दर पीने के पानी और सीवरेज के लिए 10-12 करोड़ रूपये की योजना की अनाऊंसमैंट थी जिसके एस्टीमेट बनकर आए हुए हैं लेकिन किसी कारण से उनमें देरी हो रही है तो मेरा निवेदन है कि उनको जल्दी करवाया जाए। शहर के बीचों बीच एक छलक नदी नाम का एक गंदा नाला है उसको हमने बन्द नाले में तबदील करवाने के लिए माननीय

मुख्यमंत्री जी से मांग की थी जिसके लिए उन्होंने हाँ कहा था लेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है तो मेरा निवेदन है कि उस पर काम शुरू करवाया जाए। इसी के साथ हमारे क्षेत्र में सिहमा एक नया ब्लॉक बना है जिसमें हम एक महिला कॉलेज बनाने की बात कर रहे थे जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारनौल दौरे के दौरान यस किया था कि बिजली विभाग का सब डिविजन सिहमा में बनाया जाएगा क्योंकि नारनौल से जो लाईनें जाती हैं वह बहुत लम्बी पड़ती हैं जिससे लाईन लौस भी होता और बिजली का लौस भी होता है जिसको बिजली विभाग की तरफ से उचित भी ठहराया गया था उसकी फिजिबिलटी भी ठीक बताई गई थी तो मेरा निवेदन है कि उसको बिजली विभाग का सब डिविजन बनाया जाए। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से हमारी बात हुई थी कि हमारे जिले के गांव कांटी, खेड़ी, रामपुरा, नावदी, बिहाली, गलियार और बजाड़ इन गांवों में पीने के पानी की बहुत भारी दिक्कत है। हमने यह बात मुख्यमंत्री जी के सामने भी करीना रैली में रिक्वेस्ट के तौर पर की थी और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी इस बात को कई बार लाया गया है। इस सदन के माध्यम से मेरा निवेदन है कि इन गांवों में पीने के पानी की योजना को कार्यरूप दिया जाए। इसके लिए गांव सराय और भालखी जहां से डिग बनाकर पानी को आगे बूस्ट किया जाएगा ये गांव नहर के पास पड़ते हैं। इन गांवों ने 25-30 एकड़ जमीन देने के लिए सहमति जता रखी है। मेरा निवेदन है कि इन गांव सराय और भालखी में जो पंचायत ने जमीन देने के लिए यश कर रखा है तो उनकी वह जमीन लेकर और वहां पर डिग बनाकर इन गांवों कांटी, खेड़ी, रामपुरा, नावदी, बिहाली, गलियार और बजाड़ में पीने के पानी को पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। उपाध्यक्ष महदोया, वर्ष 2014-2015 में जिला महेन्द्रगढ़ में अंडरग्राउंड पाईप लाईन सब्सिडी के 619 केसिज थे और उस समय सरकार ने एक केस में या तो 60 हजार रूपये या फिर 50 प्रतिशत या इनमें से जो कम बनती हो उस राशि की सब्सिडी देने की घोषणा कर रखी थी। अगर इस रेशों से देखें तो वर्ष 2014-2015 में 1,84,70,000/- रूपये की अंडर ग्राउंड पाईप-लाईन की सब्सिडी की जरूरत थी। सरकार ने वर्ष 2014-2015 के जो कुल 619 केसिज थे उनमें से मात्र 259 केसिज की 80,00,000/- रूपये की सब्सिडी वर्ष 2015-2016 में दे दी और इस तरह 360 केसिज पैंडिंग रह गये यानि 1,44,70,000/- रूपये की सब्सिडी पैंडिंग रह गई। इसी प्रकार वर्ष 2015-2016 के लिए 155 केसिज को पैंडिंग श्रेणी में डाल दिया गया। इन 155 केसिज की कुल सब्सिडी 40,00,000/- रूपये बनती थी। इस प्रकार से वर्ष 2014-2015 के पैंडिग पड़े 360 केसिज की 1,44,70,000/- रूपये की सब्सिडी तथा वर्ष 2015-2016 के पैंडिंग पड़े 155 केसिज की 40,00,000/- रुपये अर्थात 515 पैंडिंग केसिज की कुल 1,84,70,000/- रूपये की सब्सिडी की राशी बकाया है। वर्ष 2016-2017 के लिए इस संबंध में एक अलग ढंग से पॉलिसी बना दी गई। मेरा निवेदन है कि पैंडिंग पड़ी यह सब्सिडी की राशि किसानों को जल्द से जल्द देकर उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया जाये क्योंकि उस समय इन किसानों ने सरकार व विभाग के आश्वासन पर पैसे को उधार लेकर व अन्य स्रोतों का प्रयोग करके यह पाईप दबवा लिये थे। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है यह पैसा जल्द से जल्द किसानों को दिलवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, आज 17 मार्च, 2016 का दिन है। सबको मालूम है कि 20 या 21 मार्च के बाद ट्रेजरी बिल नहीं लेती है। मेरा अनुरोध है कि इस मामले का समाधान जल्द से जल्द किया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, रिवाड़ी जिले को 9,50,00,000/- रुपये की सब्सिडी दी गई और भिवानी में 8,00,00,000/- रूपये की सब्सिडी दी गई। उनसे तो यह सब्सिडी यूज नहीं हो रही है जबकी जिला महेन्द्रगढ़ की सब्सिडी को बकाया रखा गया है। वहां पैसा नहीं भेजा जा रहा है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी निवेदन करना चाहता हूँ आप

[श्री ओम प्रकाश यादव]
इस दिशा में स्वयं संज्ञान लेकर विभाग को इस दिशा में कारगर कदम उठाने के लिए निर्देश दें और जिला महेन्द्रगढ़ के किसानों को सब्सिडी पहुंचाने में मदद करें। (विघ्न)

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास: उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य कहीं रिवाड़ी की सब्सिडी कटवाकर अपनी सब्सिडी तो नहीं लेना चाह रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश यादव: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कापड़ीवास जी को बताना चाहूँगा कि रिवाड़ी जिले में 9,50,00,000/- रूपये की सब्सिडी तथा भिवानी में 8,00,00,000/- रूपये की सब्सिडी सरप्लस है और यूज नहीं हो पा रही है। इस बारे में महकमा बार-बार लिखकर भी दे रहा है पर बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

उपाध्यक्ष महोदया: ओम प्रकाश जी, आप वाईंड अप करें।

श्री ओम प्रकाश यादव: माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं थोड़ी देर में अपनी बात पूरी करके बैठ जाउंगा। मैं सरकार से तथा माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से पीछे ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को हर्जाना देकर लाभ पहुंचाने का काम किया गया था उसी प्रकार जो इस बार मेरे क्षेत्र के नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली और महेन्द्रगढ़ में बारिश के अभाव में बाजरे की फसल को भारी क्षति हुई है और जिसके लिए स्पेशल गिरदावरी तक भी करवाई जा चुकी है, इन पीड़ित किसानों को भी हर्जाना देकर लाभ पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, गिरदावरी के इतने दिन हो गये हैं लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि सरकार किसानों को मदद करेगी या नहीं । अभी मेरे क्षेत्र में गेहूँ की फसल के खराब होने के बारे में भी अखबारों में बात आई थी मेरा अनुरोध है कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं एक छोटी सी बात और कहकर अपना स्थान ले लूंगा। मेरे क्षेत्र के नांगल चौधरी और नारनौल में पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। यहां के लहरोदा गांव में साथ लगते 118 से 120 गांवों को पानी पहुंचाने के लिए एक गांव के लोगों की जमीन एक्वॉयर करके एक प्रोजैक्ट बनाया गया है लेकिन अफसोस जिस गांव की जमीन एक्वॉयर की गई है उसी गांव के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि लहरोदा गांव को उस प्रोजैक्ट के साथ जोड़ा जाए और लहरोदा गांव के साथ-साथ जो पाँच गांवों का कलस्टर है जिनके नाम मडलाना, घरसू, सिलारपुर, निवाजनगर व हाजीपुर हैं, इनको भी लहरोदा प्रोजैक्ट के साथ जोड़ने का कष्ट करें। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अपने सुझाव के अनुसार हमारे क्षेत्र नारनौल में ही नहीं बल्कि पूरे महेन्द्रगढ़ जिले में कोई भी ट्रामा सैन्टर नहीं है, इसलिए हमारे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सैन्टर खोलने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने को समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्रीमती लतिका शर्मा (कालका): उपाध्यक्ष महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रजातंत्र की महान परंपराओं का अनुसरण करते हुए सभी बिन्दुओं जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों के विकास के लिए 'सबका साथ सबका विकास' का जिक्र

किया है। मैं कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वह केन्द्र की हो या हरियाणा राज्य की, महिलाओं के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उन्हें लागू करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटती है । अभी दिल्ली में 5 और 6 मार्च, 2016 को एक भव्य कार्यक्रम महिला अन्तर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित हुआ था। जिसका नेतृत्व हरियाणा की तरफ से आप स्वयं (उपाध्यक्ष महोदया) कर रही थी। यह अनूठा और बेमिसाल ऑल पार्टी सैमिनार पहली बार आयोजित हुआ था। इस सैमिनार की दो विशेषताएं थी । इस सैमिनार की पहली विशेषता तो यह थी कि इसमें नैशनल लेवल की पार्टी के शीर्ष नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती शीला दीक्षित, श्रीमती उमा भारती, श्रीमती सुमित्रा महाजन आदि महान हस्तियों ने हिस्सा लिया था। इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि यह सैमिनार एक दिन विज्ञान भवन और दूसरे दिन संसद भवन में आयोजित हुआ। दोनों दिनों के कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति महिलाओं के प्रति इस बात को जाहिर करती है कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले नेता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही हो सकते हैं। इस समय हमारी बहन नैना चौटाला जी सदन में उपस्थित नहीं है। श्रीमती नैना चौटाला जी ने कल सदन में महिलाओं के बारे में बहुत विस्तार से बताया था। भारतीय जनता पार्टी ही महिलाओं के मान-सम्मान को बढ़ाती आई है। महिलाओं के बारे में 33 प्रतिशत आरक्षण की बात सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही की थी। केन्द्र के मंत्रिमंडल में 16 महिलाओं की भागीदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में भी 13 महिलाओं को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' को अमलीजामा पहनाया गया है। प्रदेश के अंदर भ्रूण हत्या जैसी घिनौनी घटनाओं की सूचना देने वालों को 20 हजार से लेकर 1 लाख रूपये तक की राशि दी जाती है। हमारी सरकार ने लिंगानुपात से निपटने के लिए बालिकाओं के प्रति परिवार और समुदाय की सोच बदलने के उद्देश्य से 'आपकी बेटी, हमारी बेटी' नामक योजना शुरू की हुई है। अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवार में जन्मी पहली लड़की के लिए 21 हजार रूपये निवेश करेगी जो 18 साल के बाद 1 लाख रूपये हो जायेंगे। यह एक सराहनीय कदम है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिले के हर मुख्यालय में महिला पुलिस थाने खोले गए हैं। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार महिलाओं सुरक्षा के प्रति कितनी जागरूक है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने हरियाणा के पंचायत के चुनावों में कानूनी तौर पर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करवाई जिससे पढ़ी-लिखी महिलाओं के पंचायत में आने से अपराधीकरण पर रोक लगेगी। जारी-अपराधीकरण कम करने हेतु हमारी सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए महिलाओं का पढ़ा-लिखा होना अनिवार्य किया है। हमारे इस ऐतिहासिक निर्णय से 42 परसैंट महिलाए ग्राम पंचायतों के लिएं सरपंच चुनी गई हैं। हमारी सरकार में महिलाओं की इस भागीदारी से पता चलता है कि हम महिलाओं का कितना सम्मान करते है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार महिलाओं को पुरूषों के समान अवसर देना चाहती है। महिलाओं को अवसर मिलने से वे अपनी योग्यता को दिखा सकती है इसलिए पंचायती राज संस्थान में 42 परसैंट महिलाओं की भागीदारी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिला परिषद की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर महिलाएं सुशोभित हैं। जो महिलाएं ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनकर आई हैं जब वे ग्रामों के विकास के काम करेंगी तो लोगों को पता चलेगा कि महिलाओं में कितने गड्स हैं। महिला किसानों के सशक्तीकरण और जैविक खेती को बढ़ाने के लिए "महिला किसान

[श्रीमती लतिका शर्मा]

सशक्तीकरण परियोजना" नामक एक नई स्कीम हमारी सरकार ने लागू की है। हमने सभी सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए कम से कम एक-एक अलग सुलभ शौचालय का होना अनिवार्य किया है। "मिड-डे मिल" स्कीम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने एक मोबाइल एप की शुरूआत की है। हमारी सरकार ने "स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत" नाम की योजना शुरू की है। इसके तहत शौचालय बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से 4 हजार रूपये दिए जाते हैं और हमारी प्रदेश सरकार ने व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु 10 हजार रूपये निर्धारित किए हैं। इस तरह एक व्यक्ति को शौचालय बनाने के कुल 14 हजार रूपये मिल रहे हैं। अभी कुछ समय पहले गुजरात की मुख्यमंत्री बहन आनंदी बेन ने घोषणा की थी कि हम गुजरात की महिलाओं के लिए पूरे राज्य में शौचालय बनाएंगें। आज मुझे यह कहने में फख्र महसूस होता है कि हमारी सरकार भी उसी तर्ज पर शौचालयों के लिए अनुदान राशि दे रही है। घर में शौचालय की सुविधा होना महिलाओं के मान-सम्मान को बढ़ाता है। यह अनुदान राशि देकर हमारी सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करती हूं। मैं विधान सभा के गौरमामयी सदन में बताना चाहती हूं कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं वह हरियाणा का एक नंबर विधान सभा क्षेत्र है। मेरा विधान सभा क्षेत्र हिमालय की तलहटी में बसा हुआ क्षेत्र है जहां से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की शुरूआत होती है। यह हरियाणा का एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है। यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल माँ कालका के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र शिक्षा तथा आर्थिक दृष्टि से मेवात से भी अधिक पिछड़ा क्षेत्र है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण को मेरे क्षेत्र को औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। मुख्यमंत्री ने हमारे क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके हम पर बड़ा उपकार किया है। यह हमारे क्षेत्र की सबसे प्रमुख डिमाण्ड थी। हमारे मोरनी के इलाके को भी हर्बल फॉरेस्ट क्षेत्र घोषित करके सरकार ने इस क्षेत्र को तरक्की के मार्ग पर बढ़ा दिया है। हमारा क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है और नदी-नालों की वजह से यहां बच्चों को स्कूल में जाने के लिए 5-6 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। इस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिलाने के लिए मैंने माननीय शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा को भी निवेदन किया था। उन्होंने इस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिलाने के लिए नॉर्म्स भी बदल दिए हैं। इन नार्मर्स के बदलने से हमारे क्षेत्र को विशेष दर्जा मिलेगा और कलासेज भी अपग्रेड होंगी। हमारे क्षेत्र में ढ़ाणियां हैं और बच्चे स्कूलों तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस क्षेत्र को जल्दी से जल्दी विशेष क्षेत्र का दर्जा दें। हमारे रायपुरानी में मक्खियों की बहुत बड़ी समस्या है जिसकी श्री कुल्दीप जी और श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी चिंता जाहिर की थी। यहाँ मक्खियों की समस्या बहुत गम्भीर है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पॉल्यूशन बोर्ड और डी.सी. कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जल्दी से जल्दी कठोर कदम उठाए जाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगी। हमारे क्षेत्र में 5 पुलों का निर्माण हो चुका है और 2 पुलों का उद्घाटन होना अभी बाकी है। इसके लिए मैं लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। टोडा के पुल के निर्माण होने से कम से कम 15 गांव लाभान्वित होंगे। कालका विधान सभा क्षेत्र चार मंडलों में अलग-अलग है। यह दून एरिया, रायदन एरिया इत्यदि की तरह सब तरफ अलग-अलग है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहां के निवासियों को काफी

कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारा मंगनीवाला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आज तक सड़के ही नहीं बनी हैं। हमारी सरकार और मंत्री जी की तत्परता को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सड़कों का कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। अब वह दिन दूर नहीं है जब हमारे पूरे कालका क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा होगा। और इसके साथ साथ पिंजौर - बद्दी जो हाइवे है उसकी फोर लेनिंग का काम पिछले काफी समय से नहीं हो पा रहा था। पिंजौर गार्डन के पास आए दिन बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती हैं लेकिन अब उसकी फोर लेनिंग का काम मंजूर कर दिया गया है तथा यह मई तक बनना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदया, HMT आज बहुत जर्जर अवस्था में है। यह कम्पनी पहले बुलंदियों को छूती थी। अब मुख्यमंत्री और केन्द्र सरकार के प्रयासों से इसको चलाने के लिए लगातार बैठकें हुई हैं। वहां के कर्मचारियों को 17 महीने की तनख्वाहें नहीं मिल रही थी लेकिन अब उनको दोबारा सरवाइव करने की तरफ बहुत बडा कदम इस सरकार द्वारा उठाया गया है। मोरनी ऐसा क्षेत्र है जहां पर कभी भी बारिश हो जाती है। इसकों ध्यान में रखते हुए हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस क्षेत्र के लिए 10 बस क्यू शैल्टर्ज मंजूर किए हैं तथा लड़कियों के लिए स्पैशल बसिज की व्यवस्था करवाई है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे यहां पैरीफैरी एक्ट की बहुत बड़ी समस्या है, उसको समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनाउंसमैंट कर दी गई है। हमारा क्षेत्र हिमाचल के कोने में पड़ता है इसलिए हमारे यहां बरसाती नदियां बहुत हैं। इन बरसाती नदियों को चैनेलाइज किया जाए ताकि भूमि के कटाव को रोका जाए और भूमि कटाव के बाद जो भूमि बचे वह प्लांटेशन और इंडस्ट्रीज के काम आए। हमारे यहां नदियों की जो बोलियां होती हैं वे ऑक्शन की बजाय लीज पर दी जाएं। इससे जिन गांवों में नदियां हैं वहां के बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारे यहां कोई रोजगार नहीं है। यहां मल्लाह में ए.सी.सी. सीमेंट फैक्ट्री होती थी। मल्लाह में सीमेंट का अथाह पत्थर है इसलिए ए.सी.सी. सीमेंट की तर्ज पर यहां एक और फैक्ट्री लगाई जाए। हमारा यहां का कोई विधायक या मंत्री ऐसा नहीं होगा जो मोरनी न गया हो और सभी कहते हैं कि बहुत अच्छी जगह है। ओमप्रकाश धनखड़ जी भी जाते रहते हैं क्योंकि ये हिमाचल के प्रभारी रहे हैं। रामविलास शर्मा जी को भी इस बारे में पूरा पता है कि मोरनी हमारे हरियाणा क्षेत्र में एकमात्र पहाड़ी पर्यटक क्षेत्र है। उसके बावजूद भी मोरनी विकास के मामले में अनछुआ क्षेत्र रह गया है। उपाध्यक्ष महोदया, शिमला तो हर कोई जाता है इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारे मोरनी क्षेत्र को डिवैल्प करके पर्यटक क्षेत्र बनाया जाए। कालका क्षेत्र कालका देवी के नाम से जाना जाता है। पांडवों के समय का विराट नगर यहीं पर है। यहां पानी की 365 बावड़ियां हैं। कुरूक्षेत्र को तो कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया है, मैं चाहूंगी कि हमारे कालका को भी कृष्णा सर्किट में शामिल किया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, जो हमारा कालका विधान सभा क्षेत्र है वह काली देवी के नाम से है। यहां रामायण कालीन मंदिर हैं। यहां जगह जगह मंदिर हैं इसलिए इसको पर्यटक क्षेत्र घोषित करके कृष्णा सर्किट में शामिल किया जाए । उपाध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका धन्यवाद करती हूं।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू (पेहवा) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगातार दो दिन का समय राज्यपाल महोदय

[सरदार जसविन्द्र सिंह संधू]

का अभिभाषण पढ़ने को मिला। 14 मार्च को यह अभिभाषण पढ़ा गया था और दो दिन से हमें इस पर बोलने का समय नहीं मिल पा रहा इसलिए इसको पढ़ पढ़ कर हमने रट लिया। उपाध्यक्ष महोदया, जब भी बजट सत्र आता है तो विधानसभा के हर सदस्य की मंशा होती है कि राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश के किसानों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए कुछ रखा जाएगा। उनको उम्मीद होती है कि प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको पड़ोसी राज्यों के बराबर वेतन दिया जाएगा। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की आशा होती है लेकिन जब यह अभिभाषण हमने पढ़ा तो यह अभिभाषण हमें दिशाविहीन लगा। मैं अभिभाषण के पैरा 3, 4 और पैरा 5 की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों हमारे हरियाणा में कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रदेश का माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोडी। इस आंदोलन के दौरान जींद, रोहतक, हिसार, भिवानी आदि जिलों में बहुत भारी नुकसान हुआ। जो शरीफ लोग थे वे सुबह से लेकर शाम तक दुकानों में मेहनत करके जीविका कमा रहे थे उनकी दुकानों को लूट लिया गया और तहस नहस कर दिया गया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के मुताबिक 1817 केस दर्ज किए गए हैं जिसमें सरकार ने 24.38 करोड़ रूपये की राशि देने का फैसला किया है या दे दिए गए हैं। उसके साथ ही साथ 501 परिवार ऐसे हैं जो रेहड़ी लगाते थे या छोटे दुकानदार थे जो खोखे लगाते थे। उनके नुक्सान का उन्हें 50-50 हजार रूपये प्रत्येक को देकर उनके नुक्सान की भरपाई करने की कोशिश की गई है। उपाध्यक्ष महोदया, 50 हजार रूपये में तो आज एक छोटा सा खोखा भी नहीं बनता और मैं मानता हूं कि यह राशि प्रर्याप्त नहीं है। दंगाई कोई भी हों वे जाति नहीं देखते लेकिन रोहतक में पंजाबी बिरादरी का सबसे ज्यादा नुक्सान हुआ है। जिस समय 1947 में भारत आजाद हुआ उस समय भी आपसी भाईचारा बिगड़ गया था। मेरे पूर्वज पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे और हमारे बहुत से माननीय सदस्य हैं जिनके पूर्वज पाकिस्तान से आए थे। उस समय हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों का आपसी भाईचारा तार तार कर दिया गया था। पश्चिमी पाकिस्तान से लाशों की भरी हुई गाड़ियां आई और इधर से मुसलमान भाईयों की लाशें पाकिस्तान गई। उस समय हजारों बेटियों की इज्जत तार-तार की गई। आज वही मंजर हरियाणा में देखने को मिला। 1947 के मंजर को देखकर कवित्री श्रीमती अमृता प्रीतम की क्लम रो पड़ी। पंजाब के एक महान शायर बाबा वारिस साह हुए हैं जिनकी अमर गाथा हीर रांझा मशहूर हुई है। अमृता प्रीतम की कलम ने पीर बाबा से मुखातिब होकर कहा- अजाखां वारी शाह नूं किदे कबरां विचों बोल, आज किताबें ईश्क दा कुछ अगला वर्का खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख-लिख मारे बैन। ते आज रोंदियां लखां धियां तनू वारीशाह नू कहण। दर्द मदां दे दर्दिया हुण तक अपना पंजाब। आज बड़े लासा बिछियां ते लहूं दी बहें चिनाब। आज वही माहौल दोबारा हुआ। मैं आगे जिक्र करना चाहूंगा कि 19 फरवरी को सर्व दलीय बैठक हुई। जिसमें हमारी तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी और मैंने हिस्सा लिया। कांग्रेस के साथी भी थे और सरकार की तरफ से राम बिलास शर्मा जी थे। इनडीपैंडैंट्स की तरफ से जय प्रकाश जी आये थे और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टेकचंद शर्मा जी ने हिस्सा लिया। उस बैठक में चीफ सैक्रेटरी साहब और प्रिंसीपल सैक्रेटरी साहब भी मौजूद थे। वह मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि प्रदेश में शांति किस प्रकार से हो तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दो सुझाव दिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब हम बात करते हैं श्री राज कुमार जी सैनी हमारे सांसद हैं और पार्लियामैंट में हमारे प्रदेश के नुमांईदे हैं। हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है और हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। बात सिर्फ वैचारिक

मतभेदों की है। जब भी उनके नाम का यहां पर जिक्र होता है तो कुछ सदस्य खड़े होकर हमें इस बात के लिए टोकते हैं और कहते हैं कि यहां पर उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। मेरी सदन के नेता से प्रार्थना है कि वे इस बात का अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर निर्णय लें कि जैसा कि हमने माननीय मुख्यमंत्री के सामने दो आपत्तियां दर्ज़ करवाई कि हरियाणा प्रदेश में शांति दो तरीकों से ही हो सकती है और जो लोग सड़कों और रेलवे ट्रैक पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं वे तभी अपना आंदोलन समाप्त कर सकते हैं जब सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री श्री राज कुमार जी, लोकसभा सांसद से बात करें कि उनको कहें कि अब तक जो उन्होंने प्रदेश का भाई चारा खराब करने के लिए ब्यानबाज़ी की है उसके लिए वे खेद व्यक्त करें। हम यह नहीं चाहते कि वे हरियाणा प्रदेश की जनता से उसके लिए माफी मांगे हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि वे अपनी भड़काऊ ब्यानबाज़ी के लिए केवल खेद व्यक्त कर लें कि जो भी उनकी बातों से किसी को ठेस पहुंची है मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। दूसरी बात हमने उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को यह कही थी कि वे एक दिन का विधान सभा का सैशन बुला लें जिसमें वह यह कहे कि वह हरियाणा प्रदेश की जो पांच जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हैं उन पांचों जातियों को आरक्षण देने के लिए तैयार है ताकि हरियाणा प्रदेश की सरकार की वास्तविक मंशा हरियाणा प्रदेश की समस्त जनता के सामने आ जाये। उपाध्यक्ष महोदया, मैं नहीं मानता कि माननीय श्री मनोहर लाल जी की जगह अगर कोई और मुख्यमंत्री होते तो वे हमारे सामने श्री राज कुमार सैनी जी को फोन लगाते। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का दयालु स्वभाव है और ईमानदारी है कि उन्होंने हमारे बैठे-बैठे श्री राज कुमार सैनी जी को फोन लगाया वे उस समय विशाखापत्तनम में थे जहां पर उनकी कमेटी गई हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 5 से लेकर 7 मिनट तक समझाने की कोशिश की पर राज कुमार जी सैनी अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। इसके बाद हमने सैशन बुलाने की बात कही कि आप सैशन बुलाकर उसमें इस आशय का रेजोल्यूशन पास कर दीजिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी कुछ मज़बूरियां हैं और मैं 7 और 8 मार्च, 2016 तक हैपनिंग हरियाणा के कार्यक्रम के आयोज़न में व्यस्त हूं। उन्होंने कहा कि इसके बाद वे सैशन बुलायेंगे। हमने उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को चेताया था कि तब तक तो बहुत देर हो जायेगी। आपके माध्यम से मेरा सरकार से यही कहना है कि अगर उस समय हमारी पार्टी की बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मान लिया जाता तो जो हरियाणा में माहौल इतना खराब हुआ है और जान माल की तबाही हुई वह न होती क्योंकि जो माहौल खराब हुआ और जान माल का नुकसान हुआ वह 20 फरवरी, 2016 के बाद ही हुआ है। अगर इस स्थिति को पहले सम्भाल लिया जाता तो ऐसी नौबत ही न आती। महोदया जी, अभी कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि जो हमारी पार्टी के सदस्य पंजाब विधान सभा के बाहर नारेबाज़ी करके आये थे अर्थात उनको निमंत्रण देकर आये थे उसका जवाब देने के लिए वे भी हमारी विधान सभा के सामने आ गये। मैं यह कहना चाहता हूं प्रजातंत्र में नारेबाज़ी करने का और अपनी बात कहने का हर किसी को हक है। हमारी पार्टी के सभी सदस्य पंजाब विधान सभा के माननीय स्पीकर महोदय श्री चरणजीत सिंह अटवाल जी से मिलकर आये हैं। हरियाणा प्रदेश के हितों के प्रति जो हमारी भावनायें थी हमने उनको उनके सामने व्यक्त किया है। हमने उनको कहा है कि आपकी पंजाब सरकार ने एस.वाई.एल. के मामले में अनावश्यक और निंदित कार्यवाही करके जो भारतवर्ष के संघीय ढांचे के ऊपर चोट की है यह सरासर गलत है। हमने उनसे कहा कि वे इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात करें। सन् 2004 में जब कैप्टन अमरेन्द्र सिंह जी की सरकार ने जो हमारे पिछले अंतर्राज्यीय जल समझौते थे उनको रद्द करने

[सरदार जसविन्द्र सिंह संधू]

का काम किया। हालांकि उनमें तो रजवाड़ाशाही का खून था इसलिए अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी बात कुछ जंचती है लेकिन पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जिनकी उम्र आम 84-85 साल है। उनके जीवन का एक लम्बा हिस्सा हिन्दुस्तान के किसानों के हितों के लिए अर्पित रहा है। किसानों के हितों की लड़ाई में वे बहुत लम्बे समय तक जेलों में भी रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के लोगों को उनसे इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि वे यह गैर-जिम्मेदाराना काम करेंगे। ऐसा करके उनके और उनकी सरकार द्वारा हमारे देश के संघीय ढांचे को बिगाड़ने का काम किया गया है। ऐसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी यह ब्यान दे दिया कि हमें तो एस.वाई.एल. कैनाल के पानी की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ साथियों ने उनके इस ब्यान की प्रतिक्रियास्वरूप यहां पर सलाह दी कि हमें दिल्ली को जाने वाला उनका पानी बंद कर देना चाहिए। यह ठीक नहीं है क्योंकि मैं नहीं मानता कि अगर किसी मुल्क का राजा बेवकूफ हो तो उसकी जनता को दुख देना अच्छी बात है लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन ज़रूर करूंगा कि चाहे आंशिक तौर पर ही सही हमें दिल्ली को पानी की सप्लाई एक दिन के लिए तो बंद कर ही देनी चाहिए ताकि जब दिल्ली प्रदेश की जनता के घर में पानी नहीं जायेगा तो उनको पता चलेगा कि जिस मुख्यमंत्री को उन्होंने दिल्ली प्रदेश की सत्ता सौंपी है उसने एस.वाई.एल. कैनाल पर नकारात्मक ब्यानबाज़ी करके हरियाणा के हितों को नुकसान पहुंचाने का कितना गलत काम किया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें मूनक नहर से दिल्ली को जाने वाली पानी की सप्लाई एक दिन के लिए बंद करके दिल्ली की जनता को यह बताना चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री किस प्रकार की गैर-जिम्मेदाराना ब्यानबाज़ी करता है। हमारे द्वारा ऐसा करने से उनको यह भी पता चलेगा कि उनका मुख्यमंत्री उनकी भलाई के लिए क्या कुछ करने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि गुड़गांव में 7 व 8 मार्च, 2016 को उनके द्वारा ग्लोबल इंवैस्टर सम्मिट का आयोजन किया गया जिसमें 12 देशों ने भाग लिया और जिसके अंतर्गत हरियाणा प्रदेश में 5.84 लाख करोड़ का निवेश करने की बात भी की गई। इसमें केन्द्रीय मंत्री श्री अरूण जेतली और राव इंद्रजीत सिंह जी भी शामिल हुए थे। उन्होंने भी इस बात की चिन्ता व्यक्त की थी कि कहीं यह इन्वैस्टमैंट गुड़गांव तक ही सीमित न रह जाये। एन.सी.आर. का एरिया जो करनाल, भिवानी तथा सिवानी तक है ये लोग वहाँ जा कर भी इन्वैस्टमैंट करें। हम सरकार की मंशा पर शक तो नहीं करते लेकिन हमें इस बात का शक है कि पिछली श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार की तरह किसी एक इलाके तक ही यह इन्वैस्टमैंट सीमित न रह जाये। मेरा तो अब भी सरकार से यह अनुरोध है कि कांग्रेस के साथियों को यहाँ हाउस में बुला लिया जाये ताकि उनके 10 साल के काले कारनामे उनके सामने बताये जा सकें। एक कहावत है कि अगर किसी की घास, बरसीन या चरी हो और उस में से कोई एक गठरी बरसीन या घास काट कर लाये तो पूछ कर लायें कि मुझे एक गठरी बरसीन चाहिए। अगर वह बिना बताए चोरी करके लाते हैं तो गांव में एक कहावत है कि फटियाँ दी चोरी ते धक्का-मुक्की बहुत होंदी है। उनको ज्यादा नहीं मारा जाता केवल धक्का-मुक्की होती है। इसी तरह से कांग्रेस को भी उनके गुनाह के हिसाब से दो दिन बाहर रख लिया यह सजा बहुत हो गई है इसलिए अब उनको बुला लिया जाये ताकि उनके जो 10 साल के काले कारनामे हैं वह हम उनके सामने उजागर कर सकें। पिछली सरकार ने नम्बर-1 हरियाणा के नाम से प्रदेश के किसानों की लाखों एकड़ जमीन एस.ई.जैड के नाम पर

[श्री सुभाष बराला]

हड़पने का काम किया। रिलायन्स जैसी बड़ी कम्पनी को चार्टर्ड प्लेन हायर करके चण्डीगढ़ के होटल ताज में ठहरा कर पूरी दिल्ली की प्रैस और पूरी मुम्बई की प्रैस को बुला कर गुलछर्रे तो उड़ाए गये लेकिन एस.ई.जेड के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। प्रदेश की जनता को बरगलाया गया कि 2 लाख, 4 लाख और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे लेकिन आज तक प्रदेश के एक भी बच्चे को उस एस.ई.जैड में रोजगार नहीं मिला है। हमें इस बात की आशंका है कि जिस प्रकार से पिछली सरकार काम करके गई है उसी प्रकार से यह सरकार भी जनता के प्रति जवाबदेही से न बच जाये। इसलिए जो इन्वैस्टर आये हैं और जो एम.ओ.यू. साईन हुये हैं उन सब में सही तरीके से सही काम करने के लिए हम आपको चेता रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैराग्राफ नं.13 के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस पैरा में लिखा है कि सरकार शासन उत्पीड़न के सभी पीड़ितों को सम्मान प्रदान करने के लिए बचनबद्ध है। उपाध्यक्ष महोदया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया था तो उन्होनें अपने चहेते लोगों के कहने पर 25 जून, 1975 को देश में इमरजैंसी लगा दी थी तथा तकरीबन 19 महीने तक वह इमरजैंसी लागू रही। उसमें हिन्दुस्तान के सभी विरोधी दलों के नेताओं को बिना किसी जुर्म के जेलों में बंद कर दिया गया। उस समय चौधरी देवी लाल जी, श्री ओमप्रकाश चौटाला और डॉ. मंगल सैन जी भी उनमें शामिल थे। वैसे तो हरियाणा के सैंकड़ों लोग थे जिनको जेलों में बंद कर दिया और श्री रामबिलास शर्मा जी भी उनमें शामिल थे । शर्मा जी हर मामले में हमारे साथ रहे हैं।उस समय श्री जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान के युवाओं ने एक आन्दोलन चलाया था जिससे मजबूर हो कर श्रीमती इन्दिरा गांधी को 21 मार्च, 1977 को इमरजैंसी समाप्त करके चुनाव करवाने पड़े। सरकार ने उस दौरान के पीड़ित लोगों को सम्मानित करने का जो फैसला लिया है वह अच्छी बात है लेकिन उपाध्यक्ष महोदया, जिन लोगों ने अंगुली पर लहू लगा कर शहीदों में नाम लिखाने का काम किया था, जो एक दिन के लिए जेल में जा कर शाम को माफीनामा दे कर बाहर आ गये क्या उनको सम्मानित करना उचित बात है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो एक दिन के लिए जेल में गये थे और माफीनामा दे कर बाहर आ गये थे और उनको आज सम्मानित किया जा रहा है ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, सन् 1947 से पहले भी हूकुम्मतें तो बदली थी और सल्तनतें भी बदली थी लेकिन लाखों की संख्या में आवाम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाए शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, सरदार श्री जसविन्द्र सिंह संधू हमारे बहुत पुराने साथी हैं और एमरजैंसी की जो काली रात थी उसका तिथि अनुसार ब्यौरा मेरे पास है क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस समय पुलिस रिमांड पर भी रहा और हरियाणा की जेलों के बाहर बिहार की सैट्रल जेल गया में मुझे भेजा गया था और हरियाणा में सबसे बाद में जो रिहाई हुई वह मेरी और डॉ. पी.सी.जैन जो कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी में इकॉनोमिक्स के हैड ऑफ दि डिपार्टमैंट की हुई थी। सरदार जी, आप जो कह रहे हैं वह घटना 21 मार्च को नहीं हुई वह 18 जनवरी 1977 को जब चुनाव डिक्लेयर हुए और 22 मार्च 1977 को नई सरकार मोरार जी देसाई के नेतृत्व में बनी और मैं 22 मार्च 1977 को गया जेल से छूट कर आया था। मैं जसविन्द्र जी एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आपके ध्यान में उस समय का अगर कोई व्यक्ति हो जो

[श्री रामबिलास शर्मा]

आपातकालीन स्थिति के समय क्योंकि यू.पी. में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी । (इस समय श्री अध्यक्ष चेयर पर आसीन हुए) और एमरजेंसी में जो मुलायम सिंह का दल था वह भी इस आन्दोलन में हमारे साथ था। अकाली दल भी हमारे साथ था। चौधरी देवी लाल और मैं तो रोहतक की जेल में इक्ट्ठे थे। यदि कोई इस तरह से एक दिन भी जेल में रहा है अगर सरदार जसविन्द्र सिंह संधू जी के ध्यान में कोई है तो वह जरूर बताएं क्योंकि उसके लिए क्राइटेरिया रखा है और यू.पी. की सरकार ने तो उनको स्वतन्त्रता सेनानी का दर्जा भी दिया है, पैंशन भी दी है लेकिन हमने उनको उनके मान सम्मान के लिए 26 जनवरी को ताम्र पत्र दिये हैं । उनको बस में आने-जाने में छूट दी है। अगर जसविन्द्र सिंह संधू जी के ध्यान में इस तरह का कोई भी केस हो तो सरकार उस पर बाकायदा पुनर्विचार करेगी।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, मैं इसी के साथ अपनी बात को जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि वर्ष 1947 में लाखों लोग पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आए और हिन्दुस्तान से पाकिस्तान में गये जिसमें हिन्दू, सिक्ख, पंजाबी, मुस्लिम काफी सारे लोग थे। उन्होंने अपनी सम्पत्तियों को वहां छोड़कर अपने वतन से प्यार करते हुए अपने धर्म की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानियां दी जिनमें उनके बहुत से लोग शहीद भी हुए उनमें जो अच्छे खाते-पीते लोग थे उनको यहां आकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे परिवारों का भी चयन किया जाए क्योंकि उनकी कुर्बानी भी कम नहीं है उन लोगों का भी समय-समय पर सम्मान करना चाहिए। उनकी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है उनकी भी कोई छोटी कुर्बानी नहीं है। इसके अलावा पैरा नम्बर-15 पर किसानों को मुआवजा देने की बात कही गई है। स्पीकर सर, ये जो कुदरती नुकसान होता है वह किसी के बस की बात नहीं है। अब सरकार आपकी है आपसे पहले दूसरी रही और उससे पहले हमारी भी सरकार रही है। कुदरती कहर से किस वक्त फसल बर्बाद हो जाए यह किसी के बसकी बात नहीं है लेकिन सरकारों का काम होता है कि वह किसानो की यथा संभव सहायता करे। पीछे जो गेहूं की फसल खराब हुई उसके लिए 1092 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई जिसके लिए हमारे इण्डियन नैशनल लोकदल के विधायक दल ने कई कमेटियाँ बनाकर हमने भी प्रदेश के सारे क्षेत्रों में जाने का काम किया था और हमने अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार के पास भी भेजी थी। जिन-जिन गांवों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है वहां के पटवारी वहां के ऑफिसर्ज कोई गिरदावरी करने के लिए नहीं जा रहे। सरकार ने इसके बारे में विश्वास भी दिलाया है कि हम इसके लिए काम करेंगे लेकिन उसमें भी भाई-भतीजावाद हुआ जितने लोगों को मुआवजा दिया गया उनमें से जो पात्र लोग थे उनको मुआवजा नहीं दिया गया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि असंध हल्के में आज तक 11 महीने हो गये अब मार्च-अप्रैल में दूसरी गेहूं की फसल आ रही है एक पैसा भी आज तक वितरित नहीं किया गया। इसी तरह ही कपास के मामले में भी 967 करोड़ रूपये की जो राशि वितरित करने की जो बात यहां पर की गई है उसके बारे में भी मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि कपास की फसल के मुआवजे को देने में भी एक अड़चन डाल दी गई है कि 13.00 बजे मुआवजा 5 एकड़ तक ही दिया जायेगा। अगर किसी के पास 7 या 8 एकड़ है तो उसके लिए मुआवजा नहीं दिया जायेगा। बड़े अफसोस की बात है इस मुल्क में हर्षद मेहता जैसा कोई व्यक्ति 10 हजार करोड़ रूपया खा जाये तो उस वक्त की केन्द्र की कांग्रेस सरकार को यह गंवारा था। 9 हजार करोड़ रूपया विजय माल्या खाकर लंदन में जाकर बैठ गया. . . (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: संधू साहब, क्योंकि असंध हल्के की बात चली है इसलिए मुख्य संसदीय सचिव श्री बख्शीश सिंह विर्क कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार उन्हें अपनी बात कह लेने दे उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लेना।

मुख्य संसदीय सचिव (सरदार बख्शीश सिंह वर्क): अध्यक्ष महोदय, संधू साहब ने मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिया है तो मेरे लिए इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी हो गया है। अध्यक्ष महोदय, असंध में जो एस.डी.एम. हैं वह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार के समय भर्ती हुए अधिकारी हैं। इस क्षेत्र में जो पटवारियों ने या कानूनगो ने यहां पर गिरदावरियां की हैं, उन गिरदावरियों को इस एस.डी.एम. साहब ने निरस्त कर दिया है। यहां के मौजूदा तहसीलदार और एस.डी.एम. साहब ने जो अपनी रिपार्ट बनाई थी वह बिल्कुल नैगेटिव थी और इस रिपोर्ट को डी.सी. साहब के माध्यम से चण्डीगढ़ भेजा गया तो स्वाभाविक है कि रिजल्ट जीरो ही होना था। इस संबंध में हम संबंधित एफ.सी.आर. साहब से मिले। इस संबंध में विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला गया और मुख्यमंत्री जी ने हमारी जायज मांग को मानते हुए दोबारा जांच करने के आदेश दिये कि इस मामले में गलती किस पक्ष पर हुई है। यह गलती असंध के एस.डी.एम. की गलती रही थी। दोबारा गिरदावरी इसलिए नहीं हो सकी थी क्योंकि फसल नष्टप्राय: हो चुकी थी और नष्ट हो चुकी फसल के खेतों में जीरी लगा दी गई थी। हरियाणा शिरोमणि अकाली दल कमेटी के जत्थेदार जगदीश सिंह झांडि भी हमारे साथ थे और जब हम दोबारा से इस संबंध में एफ.सी.आर. से मिले तो यही आश्वासन मिला कि दोबारा से गिरदावरी तो नहीं हो सकती क्योंकि फसल नष्ट हो चुकी है और वहां पर दूसरी फसल रोप दी गई है लेकिन यह फैसला लिया गया कि जो पिछले साल के दौरान किसानों द्वारा भरे गये "जे" फार्म है और इस साल किसानों द्वारा भरे गये "जे" फार्म हैं उनका आपसी मिलान किया जाये और उस मिलान के हिसाब से जिस भी किसान की इस साल जितनी भी फसल कम हुई है उस कम फसल के मुताबिक मुआवजा दिया जाये। अब इस संबंध में रिपोर्ट बनकर एफ.सी.आर. साहब के पास आ गई है और बहुत जल्दी लगभग1 करोड़ रूपये की राशि मेरे इलाके को मिलने वाली है। इस मामले में जितनी गलतियां हुई वह सभी इन इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के आर्शीवाद प्राप्त लोगों की वजह से ही हुई। उस अधिकारी का नाम इस सदन में लेना मैं उचित नहीं समझता। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी ने ऐसा किया है उसके खिलाफ इनको कार्यवाही करनी चाहिए। इस तरह का बहाना इस सदन में नहीं चलेगा।

सरदार बख्शीश सिंह विर्क: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस अधिकारी के बारे में शिकायत की और उस अधिकारी की ट्रांसफर कर दी गई। वह अब असंध में कार्यरत नहीं है इसलिए उन पर कोई कार्यवाही भी नहीं हो सकती। इनके आर्शीवाद प्राप्त कई-कई अधिकारी जो पिछले 15-20 सालों से बैठे हुए है, हमारे हर काम में बाधा डालने का प्रयास करते है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाकर आई है। सात अजूबे तो सबने सुने और देखे हैं यह आठवां अजूबा पहली बार देखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय बख्शीश सिंह विर्क ने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है यह आठवां अजूबा सिद्ध हुआ है। आठवां अजूबा तो होना ही था क्योंकि आप लोगों को तो पता ही नहीं था कि आप सत्ता में आयेंगे लेकिन आप सत्ता में आ गये। यह अजूबा नहीं तो और क्या है? विर्क साहब, आपने जो फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया है। आप दिल में कुछ नहीं रखते। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य संसदीय सचिव ऐसी बात कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एम.एल.ए. और यहां तक की मुख्य संसदीय सचिव कुछ भी कह देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभय जी, बख्शीश सिंह जो यह कहना चाहते हैं कि जो इतना जल्दी मुआवजा सरकार ने दे दिया वह आठवां अजूबा है। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार बख्शीश सिंह विर्क: अध्यक्ष महोदय, अजूबा इस बात का हुआ है कि जब हम विधान सभा चुनाव में ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, डॉ अभय सिंह जी चौटाला ने विर्क साहब की पंजाबी भाषा का जो तरजुमा किया है वह ठीक नहीं है। सरदार बख्शीश सिंह विर्क बात दूसरी कहना चाहते हैं और अभय सिंह जी उसका अर्थ कुछ और निकाल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री पिरथी सिंह : अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी घुमा-फिराकर बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: पिरथी सिंह जी, आपको पंजाबी भाषा का ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं पंजाबी अच्छी तरह से बोल भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) सरदार बख्शीश सिंह विर्क जी यह कहना चाहते हैं कि ये रब दी मेर नाल . . . (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलकौर सिंह: अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पाटी सत्ता में आई है यह आठवां अजूबा ही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: बलकौर सिंह जी, आप तो विर्क साहब के गुवांडी भाई हो आपको तो विर्क साहब का समर्थन करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) मेरा अनुरोध है कि सरदार बख्शीश सिंह विर्क की बात का कोई दूसरा अनुवाद न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हम विर्क साहब की बात बाकायदा अच्छी तरह से समझ गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार बख्शीश सिंह विर्क: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से भाई अभय जी से प्रार्थना है कि वह मुझे अपनी बात स्पष्ट कर लेने दें। (शोर एवं व्यवधान) मेरे कहने का मतलब यह है कि जब चुनाव हो रहे थे, उस समय बुढ़ापा पैंशन की बात चला करती थी । जब हम गांवों में वोट मांगने के लिए जाते थे, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि यदि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट

दिया तो सरकार जरूर बनेगी। हमने कहा यह तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ-साथ वह एक बात और कहते थे कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बुढ़ापा पैंशन 1000 रूपये की जगह केवल 200 रूपये ही रह जायेगी। अध्यक्ष महोदय, लोगों के सहयोग से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और पैंशन 100 रूपये से 1400 रूपये हो गई और इसमें हर साल बढ़ोतरी होती रहेगी। अब बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई माननीय सदस्य हाउस में बोलता है तो मैं कभी भी बीच में टोका-टाकी नहीं करता, यह मेरा रिकॉर्ड रहा है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत सारे विकास के काम हो रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, श्री रामबिलास शर्मा जी कह रहे हैं कि मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: अभय जी, मैं तो पिरथी सिंह जी के बारे में बोल रहा था। क्योंकि यह पिण्डू पंजाबी है, इसलिए पिरथी सिंह जी के समझ में नहीं आयेगी। मुझे पता है कि आपको पंजाबी भाषा बहुत अच्छी तरह से आती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा पिछला विधानसभा क्षेत्र रोड़ी में 70 प्रतिशत सिक्ख मतदाता थे। मैं जब भी उनके साथ कोई मीटिंग करता था तो उन्हीं लोगों की भाषा में करता था। शायद पंजाबी के घरों में पैदा हुए लोगों को इतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती होगी जितनी कि मुझे आती है। श्री बख्शीश सिंह जी ने भी कापड़ीवास जी की तरह मान लिया है कि हम तो लाचार हो गए थे, चार दिन की घटना देखकर हमारी हालत खराब हो गई थी, उसके बचाव में आप खड़ें हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आप प्लीज बैठिए। आपकी ही पार्टी के श्री जसविन्द्र सिंह संधू अपनी बात रखना चाह रहे हैं। संधू साहब, वैसे तो आपको बोलने हुए 20-25 मिनट्स हो गये हैं लेकिन यदि इसके बावजूद भी आपकी कोई बात पैंडिंग रह गई है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करें। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले तीन दिन से बार-बार आपसे बोलने का मौका लेने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। आज जब मौका मिला है तो आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अपनी बात रखें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: संधू साहब, वैसे तो आपको बोलते हुए अब भी आठ मिनट्स हो गये हैं लेकिन मैंने बावजूद इसके यह आठ मिनट्स मैंने आपके खाते में नहीं लगाये हैं। इस आठ मिनट के अतिरिक्त आप 20 मिनट्स और बोले है। अत: आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको बोलने का कितना अतिरिक्त मौका दिया है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, मुझे बस थोड़ा सा समय और चाहिए। यदि आपकी परमिशन मिल जाती है तो मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप अपनी बात रखिए लेकिन सदन के समय को भी अवश्य ध्यान में रखें।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, बिजली का ट्यूबवैल कनैक्शन लेने के लिए सैल्फ फाईनैंस स्कीम के तहत किसान को सवा से लेकर डेढ़ लाख रूपये जमा करवाना पड़ते हैं, जो किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है इसे कम किया जाये। कल से पैट्रोल 3.07 रूपये और डीजल 1.90 रूपये मंहगा हो गया है। इससे किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय राम बिलास शर्मा जी ने कई बार विदेश यात्राएं की है और मैं भी अमेरिका वगैरह कुछ देशों में भ्रमण करके आया हूँ। वहां पर हमने देखा है कि खेतीहर किसानों को जो डीजल मुहैया करवाया जाता है उसका रंग बाजार में बिकने वाले डीजल से बिल्कुल अलग होता है। यह अलग रंग का बिकने वाला डीजल किसानों को बहुत ही सस्ते रेट्स पर उपलब्ध करवाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, डीजल महंगा होने पर किसानों को तो फर्क पड़ता है लेकिन जो लोग अमीर होते हैं उनको डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि को कोई असर नहीं पड़ता है। डीजल चाहे सस्ता हो या महंगा हो अमीर लोग तो अपनी गाड़ियां चलाते रहते है। अत: किसानों के हित में मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि डीजल से संबंधित सरकार को कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि डीजल के रेट्स में वृद्धि होने पर किसानों को यथोचित सस्ते रेट्स पर डीजल मिलता रहे। एक बात और . . .(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: जसविन्द्र जी, अब आप अटककर बोलने लग गये हो। लगता है आपकी बात समाप्त हो गई है। आप प्लीज बैठिए। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, देखिये मैंने इस विषय पर बहुत मेहनत की है और उसी मेहनत का नतीजा है कि मैं आज सदन में बड़े ही विस्तार से डीजल वृद्धि के मसले पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: संधू साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने डीजल वृद्धि के मसले पर बहुत मेहनत की है। निश्चित रूप से आप इस मसले पर एक घंटा भी बोल सकते हैं। परन्तु सदन का एक निश्चित समय होता है और उस निश्चित समय में हर माननीय सदस्य को अपनी बात रखनी होती है। इसलिए आप कंक्लूड कीजिए। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ और भलीभांति जानता हूँ कि सदन का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं केवल प्वॉयट्स पर ही अपनी बात रखूंगा। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हाउस की सिटिंग भी तो बढ़ाई जा सकती हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: ऐसा भी तो हो सकता है कि सिटिंग बढ़ाने के बावजूद भी कुछ माननीय सदस्य अपनी बात रखने से वंचित रह सकते हैं। कोई भी माननीय सदस्य अपनी बात रखने से वंचित न रह जाये इसी के मद्देनजर हमने सदन की ज्यादा से ज्यादा सिटिंग्ज रखीं हैं ताकि प्रत्येक सदस्य को अपनी बात रखने का भरपूर अवसर प्राप्त हो सके। अत: हम सबका दायित्व है कि एक निश्चित समयाविध में सभी माननीय सदस्य अपनी बात रखें।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का थोड़ा सा और समय लेकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अत: प्लीज मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, संधू साहब आप कंक्लूड करते हुए अपनी बात रखें।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से हाउस को बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार खेती में विविधीकरण लाना चाहती है। सरकार की मंशा है कि किसान धान और कनक की बजाय फल और सब्जियां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैदा करें। बागवानी के लिए जब तक सरकार स्प्रिंकलर, डिप्रिकेशन, स्प्रे पम्प, इंस्ट्रूमैंट्स, दवाइयां और छोटे ट्रैक्टर रियायत दर पर नहीं देगी तब तक कृषि में डायवर्सीफिकेशन लाना और भू-जल को सुरक्षित रख पाना मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए मेरा सरकार से अनुरोध है जिस प्रकार से गेहूं का एम.एस.पी. निर्धारित है उसी प्रकार आलू, प्याज और लहसून आदि फसलों पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करे अन्यथा किसान नहीं बचेगा। जब तक आलू, प्याज और लहसून जैसी सब्जियां किसान के खेत में होती हैं तब तक उनका मूल्य डेढ़-दो रूपये प्रति किलो होता है और जैसे ही ये सब्जियां किसान के खेत से निकलकर मार्किट में अमीरों के बड़े-बड़े स्टोर्स में पहुंचती है तो इनके दाम आसमान छूने लगते हैं। अगर सरकार सब्जियों पर भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दे तो किसान गेहूं और चावल की फसल को छोड़कर फल और सब्जियां पैदा करना शुरू कर देगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र सिंह संधू जी, जिस समय आप अपनी सरकार में कृषि मंत्री थे अगर आप उस समय पहल कर देते तो अब तक किसान फलों का उत्पादन करना शुरू कर देते। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष जी, जितना इस चीज के लिए मैने प्रयास किया है अगर वर्तमान सरकार उसका आधा काम भी कर दे तो काफी होगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, जसविन्द्र सिंह संधू जी। अब आप बैठ जाइये।

श्री अरविद केजरीवाल मुख्यमंत्री, दिल्ली द्वारा दी गई टिप्पणियों के सम्बन्ध में मामला उठाना

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक रैजोल्यूशन दिया था। मैं इस महान सदन में लोकहित के लिए एक संकल्प लाना चाहता हूं। पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों के बीच रावी-ब्यास नदियों के पानी के बंटवारे पर समझौते के तहत हरियाणा प्रदेश को लगभग 3.85 एम.ए.एफ. पानी मिलना तय हुआ था लेकिन पंजाब सरकार ने हरियाणा को पर्याप्त पानी नहीं दिया। हरियाणा इस समय दिल्ली को अपने हिस्से का पानी दे रहा है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एस.वाई.एल. कैनाल को लेकर जो हरियाणा के हितों के खिलाफ ब्यानबाजी की है इसलिए यह महान सदन हरियाणा सरकार को सिफारिश करता है कि जब तक हरियाणा को पंजाब से पानी नहीं मिल जाता तब तक प्रदेश की सरकार दिल्ली को दिए जाने वाले पानी पर रोक लगाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन में इस पर चर्चा कराई जाए और सदन द्वारा पास करने के लिए इस संकल्प को यदि आवश्यक हो तो नियम 171 के तहत ढील देकर स्वीकृत किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह चौटाला जी, ठीक है हम इस पर विचार करेंगे ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा(पुनरारम्भ)

श्री महिपाल ढांडा (पानीपत ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे हरियाणा विधान सभा के इस सत्र में अपनी बात रखने का अवसर दिया इस के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण से पहले एक दल ने यहां पर राजनीतिक ड्रामा किया। उस ड्रामे को हरियाणा की जनता ने बहुत गौर से देखा और समझा है कि किस तरह से यहां पर राज्यपाल अभिभाषण की कॉपियां फाड़ने जैसा घृणित काम किया गया। स्पीकर सर, जब हम लोग यहां पर चुनकर आए थे और इस विधान सभा में हमने कदम रखा था तो हमने सोचा था कि यहां हमसे पहले चुनकर बैठे हुए लोग जिन्होंने पहले सरकारें भी चलाई हैं उनसे हमें कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। विधान सभा में हमारा आचरण और व्यवहार कैसा हो यह सिखाने के लिए आपने एक प्रशिक्षण शिविर भी लगाया था। उस प्रशिक्षण शिविर में आपने उन अनुभवी लोगों के विचार हमारे साथ शेयर करवाए थे। आज मुझे यह कहते हुए बहुत शर्मिन्दगी महसूस होती है कि कुछ लोगों के वक्तव्य, आचरण और व्यवहार में अंतर है। विपक्षी दलों का काम होता है कि सरकार की जो नीतियां और काम हैं वह उन पर नजर रखे। विपक्ष का यह काम नहीं होता कि वह बहुमत से चुनी हुई सरकार को साजिश के तहत गिराने के लिए पूरे हरियाणा में आग लगवा दें। देश में एक ईमानदार प्रधानमंत्री बना जिसको कांग्रेस और उसके सहयोगी दल नहीं पचा पाए । हरियाणा में एक ईमानदार मुख्यमंत्री बना तो बेईमान लोग उसको नहीं पचा पा रहे हैं। उनको लगा कि यह सरकार अच्छा काम कर कैसे रही है। जिन विषयों के बारे में कोई सरकार सोच नहीं पाई उन विषयों पर यह सरकार काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। इस चीज को देखते हुए इन लोगों ने साजिशें रचना शुरू कर दिया जिसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता यदि हम सभी लोग हरियाणा को आगे बढ़ाने की रणनीति में सहयोग करते। हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे सामाजिक संरक्षण बढ़े, आर्थिक रूप से हरियाणा कैसे मजबूत हो, सामाजिक विरासत कैसे बचे, अपने बच्चों को हम कैसे संस्कारवान बनाएं और हम बच्चों के सामने कौन से आदर्श रखें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हम सब पर गर्व कर सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रशिक्षण शिविर लगवाया था उसमें नेताओं ने अपनी बातों के माध्यम से हम लोगों को अच्छा आचरण और व्यवहार करने की शिक्षा दी थी। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इन लोगों ने अपने राजनीतिक पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। इनके पूर्वजों ने इस देश की गदी को हथियाने के लिए भारत के टुकड़े कर दिए थे और इस देश की सत्ता हासिल की थी। इसी प्रकार से इन्होंने हरियाणा प्रदेश की सत्ता के लिए भाईचारे को तुड़वाने जैसा घृणित कार्य किया। इस काम के लिए इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में उद्योग धन्धे बढ़ें इसके लिए ग्लोबल इन्वैस्टर्स समिट आयोजित किया गया। इस समिट में 5.84 लाख करोड़ रूपये के एम.ओ.यू. साइन हुए। 12 देशों के प्रतिनिधि इस समिट में शामिल हुए । वहां निवेशकों का जो उत्साह था वह कुछ लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध करने का फैसला लिया। उन्होंने मुंह पर काली पट्टी बांधकर चिल्लाना शुरू कर दिया था। मुझे बाहर एक आदमी मिला और कहने लगा कि आपकी पार्टी को ज्यादा कुछ करने

की आवश्यकता नहीं है, जनता को भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोगों ने अपने आप ही इनका मुंह काला कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को बाहर निकालने का जो आपने डिसीजन लिया है, मैं उसका स्वागत करता हुं। हमारी सरकार हरियाणा के हिस्से का पानी ईमानदारी से हरियाणा में लाने का काम कर रही है। पानी हमारी जीवन रेखा है और उस पर बहुत लम्बे समय से राजनीति हो रही है। राजनीति भी इस तरह की हो रही है जैसे सूतली, कपास और जुलाहे आपस में लट्ठम लट्ठा हो रहे हों। इधर वाले कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया और उधर वाले कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सब लोगों को लेकर साथ में मिलकर इस पानी को कैसे लाया जाए इसके लिए प्रयास कर रही है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का बधाई देता हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जो बात मेरे साथी ने कही कि वे तो यह कहते थे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, और वे हमारे ऊपर ब्लैम लगाते रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं एस.वाई.एल. कैनाल के इशू पर कहना चाहता हूं।(विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही कहना चाह रहा था कि एस.वाई.एल.कैनाल के मामले को लेकर पंजाब सरकार ने और पंजाब के लोगों ने मिट्टी डालने शुरू कर दी है। दो दिन हो गये हैं और कल सुबह से यह बात सबको मालूम थी कि एस.वाई.एल.कैनाल में मिट्टी डाली जा रही है जबकि जो बिल इस विषय को लेकर पंजाब विधान सभा ने पास किया है उस पर गवर्नर साहब से मंजूरी नहीं मिली है। अगर सरकार उसको लेकर सीरियस होती तो कोर्ट में जाती और एस.वाई.एल. कैनाल को मिट्टी से भरने से रोकने के लिए स्टे आर्डर लाने की कोशिश करती लेकिन दो दिन हो गये सरकार न तो कोर्ट में गई और न ही केन्द्र सरकार के पास गई। हमारे लिए असैम्बली महत्व नहीं रखती क्योंकि एस.वाई.एल. कैनाल की बात आ गई थी तो सभी विधायकों को लेकर या मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से दिल्ली जा करके मिट्टी डालने के काम को रूकवाने के प्रयास करते बजाय टैलीफोन पर काम चलाने के। इन बातों से पता चलता है कि सरकार एस.वाई.एल. कैनाल को लेकर सीरियस नहीं है क्योंकि अगर सरकार सीरियस होती तो 100 प्रतिशत कोर्ट में जाती और कोर्ट से उसका स्टे मिलता। जब तक गवर्नर साहब के बिल पर साईन नहीं होंगे तब तक हमारा अधिकार है कि कोर्ट में जाकर उसको रूकवाने का काम करते लेकिन सरकार इसको लेकर सीरियस नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे कल हमको यह पता चला। मीडिया की अलग बात है। मीडिया में सबने अपने-अपने तरीके से कहा। आपने भी कहा और हमने भी कहा। मैंने स्वयं बादल साहब से बात की । आपने कहा कि टैलीफोन पर बात करने का कोई फायदा नहीं। आप चाहें उसे औपचारिकता कहें या दबाव कहें हमने अपनी नाराजगी उन्हें बताई कि जब बिल साईन ही नहीं हुआ है तो उससे पहले एस.वाई.एल. में मिट्टी क्यों डाली जा रही है और चैक क्यों भेजा है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमें चैक भी भेजा है। उस चैक को आज हमने एक सख्त पत्र लिखकर वापिस लौटाया है। उसमें हमने अपनी पूरी नाराजगी जताई है। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय में बात की है। उधर से समाचार यह मिला कि हमारी पार्टी के प्रदेश के सारे केन्द्रीय मंत्री और सांसद उनसे मिलकर आए हैं। जिन्होंने सारी बातचीत इस विषय में प्रधानमंत्री जी से की है। प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि क्या विषय वही है । मैंने कहा विषय वही है इस पर उन्होंने कहा कि उस विषय पर केन्द्र सरकार संज्ञान ले रही है । उसके बाद आज भी वहां के अधिकारियों से लेटैस्ट पोजीशन जानने

[श्री मनोहर लाल]
के लिए टैलीफोन किया था । हम लगातार उनके संपर्क में हैं । इसके अतिरिक्त गवर्नर महोदय को भी हमने पत्र लिखा है कि पंजाब विधान सभा ने एस.वाई.एल. को लेकर जो बिल पास किया है यह असंवैधानिक है । इसको असंवैधानिक मानते हुए कृपया आप इस पर साईन न करें यह हमारा निवेदन है । माननीय प्रतिपक्ष के नेता को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सरकार ने कुछ नहीं किया। हमने ये सभी कदम उठाये हैं। जहां तक कोर्ट की बात है। आज संयोग से 17 मार्च को जो पिछला प्रैजीडैंशियल रैफरैंस है उसकी तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। (विघ्न) सुप्रीम कोर्ट में हमने इस बारे में एप्लीकेशन दायर कर दी है कि जैसे पहले हुआ था उसी तरह अब फिर से पंजाब विधान सभा ने बिल पारित किया है और एस.वाई.एल. में मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है । इस पर स्टे लगाया जाये ताकि पंजाब सरकार इस प्रकार का काम न करे । सुप्रीम कोर्ट में उस एप्लीकेशन को पहले वाले केस के साथ जोड़ लिया है। आज शाम तक पता चलेगा कि उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है।

श्री महीपाल ढांड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी "सबका साथ, सबका विकास" में विश्वास रखते हुए प्रधान मंत्री जी के सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसी तरह से "हरियाणा एक, हरियाणवी एक" इस मूल मंत्र को लेकर केन्द्र सरकार के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ते हुए ऐसी-ऐसी योजनाएं प्रदेश में बना रहे हैं जिनसे सीधे-सीधे फायदा आम जन को होगा। हमारी विचारधारा अंत्योदय भी है। अंत्योदय के लिए मुख्यमंत्री जी ने सालों साल काम किया है। अंत्योदय का मतलब यह है कि वह अंतिम से अंतिम आदमी जिसके पेट में दाना और तन पर कपड़ा, सिर पर छत नहीं है, ऐसे आदमी दुखी नहीं होने चाहिंए। इसलिए हरियाणा में उद्योग धंधे बढ़े उसके लिए काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से लोग अपना काम कर सकें उसके लिए भी काम हो रहा है ताकि लोग अपना रोजगार शुरू करके अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सकें और आगे बढ़ सकें । यहां पर गरीब आदमी को मकान मिले इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दीन दयाल जन आवास योजना शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से सभी गरीब परिवारों को कम से कम रेट पर मकान की उपलब्धता सम्भव हो पायेगी। यह करके हमारी सरकार ने पूरे देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। स्पीकर सर, प्रधान मंत्री जन धन योजना के माध्यम से जो हमारे प्रदेश के गरीब वर्ग को लाभ मिल रहा है यह हमारी सरकार की एक और विशेष उपलब्धि है। इसके लिए हम अपनी सरकार की सराहना करते हैं। हमारी सरकार किसानों की सरकार है। यहां पर पहले भी बहुत सी सरकारें आई हैं जो अपने आपको किसान हितैषी सरकारें कहलवाती थी लेकिन वे सभी सरकारें केवल मात्र कहने भर के लिए ही किसान हितैषी सरकारें थी क्योंकि उन्होंने किसान वर्ग के हित में कितना और कैसा काम किया यह कोई बताने की बात नहीं है। इसके बारे में सभी अच्छी प्रकार से जानते हैं। उन सरकारों के समय में किसानों की फसल के प्राकृतिक आपदा से खराबे का 5/- रूपये, 10/- रूपये देकर किसान भाईयों का अपमान किया जाता था लेकिन हमारी सरकार ने इस प्रदेश के किसान का भी और इस देश के जवान का भी दोनों का सम्मान बढ़ाया है। दोनों का सम्मान इस प्रकार से कि हमारी हरियाणा सरकार किसानों को उनकी फसल के प्राकृतिक आपदा से खराबे के लिए तीन हज़ार करोड़ रूपये का मुआवज़ा दिया गया है इस राशि का किसी बजट में कोई प्रावधान न होने के बावजूद भी यह काम किया गया है और इसी प्रकार से फौजी भाईयों की ओ.आर.ओ.पी. की एक डिमाण्ड जो काफी लम्बे अर्से से लम्बित थी उसको

भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा स्वीकार करके उनको एक तोहफा दिया गया है। इन दोनों ही अच्छे कामों की जितनी भी प्रशंसा की जाये वह कम होगी। स्पीकर सर, कांग्रेस पार्टी के लोग किसानों को मुआवज़े के रूप में 5/- और 10/- रूपये देकर उनका तो अपमान किया ही करते थे लेकिन ये हमारे देश के जवानों का अर्थात बहादुर सैनिकों का जो अपने देश और मातृभूमि की आन-बान और शान के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं उनका अपमान करना भी नहीं भूले और कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधान सभा सदस्य और पूर्व मंत्री ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू को "अफजल गुरू जी" कहकर सम्बोधित किया। हमारे यहां पर एक पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री आदरणीय श्री जय प्रकाश जी बैठें हैं वे कल मुझे यह कह रहे थे कि तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है जितना मेरा राजनीतिक जीवन हो गया है मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि उनकी यह बात बिल्कुल सही है और इसमें कोई दो मत नहीं है लेकिन स्पीकर सर, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने पहले भी बताया है इसी विधान सभा के एक माननीय सदस्य ने जो आदरणीय श्री जय प्रकाश जी के जिले से सम्बंध रखता है और इनकी पूर्व पार्टी का नेता है उसका भी बहुत लम्बा चौड़ा राजनीतिक जीवन है मैं यह बात एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि उस आदमी ने हिन्दुस्तान के जवान का जो अपमान किया संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी उसको वे "अफजल गुरू जी" कहकर सम्बोधित करते हैं। स्पीकर सर, मैं यह उदाहरण देकर यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे हमारा कोई ज्यादा लम्बा-चौड़ा राजनीतिक जीवन नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी हम जघन्य अपराध करने वाले देशद्रोहियों के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। मेरे विचार से आदरणीय श्री जय प्रकाश जी भी मेरी इस बात से निसंदेह और पूरी तरह से सहमत होंगे।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण -

(श्री जय प्रकाश एम.एल.ए. द्वारा)

श्री जय प्रकाश : स्पीकर सर, एक माननीय साथी द्वारा मेरा जिक्र किया गया है इसलिए मुझे भी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, महीपाल जी तो आपकी फेवर में ही बोल रहे हैं अगर इसके बावजूद भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए।

श्री जय प्रकाश : स्पीकर सर, किसने कहां पर क्या कहा इस बारे में सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अफजल गुरू और कन्हैया वाला मामला यहां पर डिसकस न ही किया जाये तो ज्यादा बेहतर रहेगा।

श्री महीपाल ढांडा : स्पीकर सर, अगर इस सदन का कोई व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग देशद्रोहियों के लिए करता है तो हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ इस हाऊस में नहीं उठायेंगे तो और कहां पर उठायेंगे ?

श्री जय प्रकाश : स्पीकर सर, मैं जो बताऊंगा कि उससे महीपाल जी का भी फायदा होगा। वास्तव में इस बारे में मैं दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि हमारा भाई महीपाल बहुत जल्दी ही तेज़ी में आ जाता है। जो इन्होंने कहा कि आपने विधायकों के लिए

[श्री जय प्रकाश]

प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। मुझे लगता है कि उस प्रशिक्षण शिविर में इन्होंने भी सही शिक्षा ग्रहण नहीं की क्योंकि बात किसी की और ये कह मुझे रहे हैं। इस बारे में एक पंजाबी कहावत है कि " कहंदा धी नू, सुनांदा नूंह नू।" मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि ये ही ठीक नहीं हैं। इसलिए मैं इनको सलाह देना चाहता हूँ कि ये ठीक हो जायें। आज जो महत्वपूर्ण इश्यू था। जब राम बिलास शर्मा जी ने यह मुद्दा उठाया तो मैंने उस समय भी कहा था कि आप जो ये बार-बार आरक्षण का मुद्दा उठाते हो यह अच्छी बात नहीं है। हरियाणा को किसने जलाया और किसने नहीं जलाया। अगर महीपाल जी इस बात को नहीं उठाते तो मुझे पीड़ा नहीं होती। दूसरी बात इन्होंने कन्हैया और अफजल गुरू के बारे में कही है कि किसी ने अफजल गुरू को "जी" कहकर सम्बोधित किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस ने अफजल गुरू को "जी" कहा उसने बाद में अपनी इस गलती के लिए बाकायदा माफी भी मांगी है। एक बात मैं इस बारे में यह भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने अफजल गुरू को "जी" कहा है तो यह उस व्यक्ति का और उसकी पार्टी का मामला है मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वह मेरी पार्टी का सदस्य नहीं है। अगर मेरे जिले का कोई आदमी कुछ गलत कहता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। अगर मेरे जिले का कोई व्यक्ति गलत बोलता है तो मैं उसका ठेकदार नहीं हूं। अंत में, मैं इस बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे जिले में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं जो कुछ-कुछ कह देते हैं क्या महीपाल जी उनको भी रोकेंगे।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बड़े लीडर हैं सिर्फ इसीलिए ही महीपाल जी ने आपका नाम लिया है ताकि लोगों को यह बात समझ में आ जाये कि वे कैथल की बात कर रहे हैं।

श्री जय प्रकाश : स्पीकर सर, मैं भी इस बात की पैरवी करता हूं कि जो देशद्रोही हो उसको "जी" कहना पाप भी है और अपराध भी है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : स्पीकर सर, मैं श्री जय प्रकाश जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिसका यहां पर जिक्र चल रहा है और जिसने एक देश द्रोही को "जी" कहा है उसको तो आपने हाऊस से नहीं निकाला है लेकिन इसके बावजूद भी वह हाऊस में क्यों नहीं आ रहा है? ये यह तो बतायें कि वह क्यों भाग गया ? अध्यक्ष महोदय, उस "जी" कहने वाले व्यक्ति को तो सदन से निकाला भी नहीं गया है इसलिए वह भी सदन में क्यों नहीं आ रहा है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जयप्रकाश जी, इन्होंने जिले की पहचान बताने के लिए आपका नाम ले दिया और कोई बात नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं अगर कहूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी मिली हुई हैं ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, श्री जयप्रकाश जी का तो जन्म ही कांग्रेस से हुआ है ।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि इस मामले को ज्यादा न उछाला जाये वरना कहीं न कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की फिक्सिंग का पता चल जायेगा ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि हाऊस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के निलम्बित सदस्यगण को वापिस बुलाने के लिए अनुरोध

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक रिक्वैस्ट है। एस.वाई.एल. कैनाल का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है और इस पर सभी दलों की एकता नजर आनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जिन साथियों को निलंबित किया गया है उनको भी हाउस में वापिस बुला लिया जाये तो बहुत अच्छा रहेगा। आज पंजाब के सभी दल इस मुद्दे पर इकट्ठे हैं तो हमारी तरफ से भी ऐसे संकेत जाने चाहिएं कि हम सभी एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर इकट्ठे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक बात कहता हूं कि क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने तो जो कुछ किया सो किया जिसके लिए उनको पांच बैठकों के लिए निलम्बित किया गया था जिसमें से चार बैठकें आज पूरी हो गई हैं। अगर पांचवी बैठक की छूट देकर उनको भी वापिस बुला लिया जाए तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इस बारे में विचार कर लिया जायेगा। महीपाल जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, हमारे हाउस के सदस्य मीडिया में जा कर जब इस प्रकार की बात करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके बारे में अवश्य कुछ सोच-विचार करें। जे.एन.यू. मामले में एक देशद्रोही छात्र संगठन है और कांग्रेस उसका समर्थन करती है और कोई भी कांग्रेस का नेता उन देशद्रोहियों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलता। अफजल को ये कांग्रेस के साथी अफजल गुरू जी कह रहे हैं तथा जो लोग देश के टुकड़े-टुकड़े करने के नारे लगाते हैं उनके खिलाफ ये लोग एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों के पद चिह्नों पर चलते हुये उनका अनुसरण किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे एक वरिष्ठ साथी हाउस में बोलते हुये कह रहे थे कि सरकार किसानों को गेहूं, धान और गन्ने की पारम्परिक खेती से बाहर निकाल कर कैश क्रॉप्स की तरफ आकर्षित करे। जब तक वह इस पारम्परिक फसल चक्र से बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसको उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पायेगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, किसान को लाभकारी फसलचक्र की ओर ले जाने के लिए हमारी सरकार बहुत सार्थक प्रयास कर रही है। कृषि से संबद्ध पशुपालन विभाग द्वारा दुधारू पशुओं को प्रोत्साहन देने के लिए दूध प्रतियोगिता करवाई जाती है और सबसे अधिक दूध देने वाली गाय को 20 हजार रूपये की राशि ईनामस्वरूप दी जाती है। इसी प्रकार से जो सबसे अच्छी गाय है उसके लिए भी विभाग

[श्री महीपाल ढांडा]
प्रतियोगिता करवा रहा है तथा लाखों रूपये का ईनाम देने की विभाग की योजना है। इसी प्रकार से किसानों के लिए जे-फार्म के लिए प्रति वर्ष 12 करोड़ रूपये के ईनाम का प्रावधान किया जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे जो किसान भाई मत्स्य पालन करते हैं उनके लिए पहले अढ़ाई करोड़ रूपये की सब्सिडी दी जाती थी जिसको बढ़ा कर सरकार ने 8 करोड़ रूपये कर दिया है। स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि सरकार की योजनाओं से किसानों में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और किसान लाभकारी फसल चक्र को अपनाकर उन्नत बनेंगे। इसमें हमारी सरकार ने हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हर जिला लैवल पर उत्कृष्ट केन्द्र खोलने की जो योजना बनाई है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कृषि मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हमारे किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, महीपाल जी, अब आप बैठ जायें। माननीय सदस्यगण, अब सदन आज दिनांक 17 मार्च, 2016, को दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित किया जाता है।

*13.35 बजे **(तत्पश्चात सदन की बैठक वीरवार 17 मार्च, 2016, दोपहर 02:30 बजे तक *स्थगित हुई।)**

———————

54376–H.V.S.—H.G.P., Chd.

© 2016

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha and printed by the Controller, Printing and Stationery Department, Haryana, Chandigarh.